राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ६वां दिवस संख्या 6

गुरुवार

दिनांक 25-1-68

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.4 बजे, विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(आयुर्वेद, गृह, सार्वजनिक निर्माण, पशुपालन, नियुक्ति, चिकित्सा, सहकारी, कृषि, स्वायत्त शासन, यातायात, जन-स्वास्थ्य एवं सामान्य प्रशासन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री गंगा सहाय।

उप वैद्यों को रिवाइज्ड पे स्केल्स

117. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के उप वैद्यों को 1-4-1966 से रिवाइज्ड पे स्केल्स नहीं दिये गये हैं, जबकि वैद्यों को दिए जा चुके हैं ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : उप वैद्यों की वेतन श्रृंखला 1-4-67 से बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। पे कमीशन की रिपोर्ट आने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री गंगा सहाय : इतना विलम्ब करने का क्या कारण है ? औरों को तो मिल चुका है ?

श्री अमृतलाल यादव : पे कमीशन के विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : यह विचाराधीन का मामला कब तक समाप्त हो जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव : पे कमीशन इस पर विचार कर रहा है। उससे पूर्व हम अपना कोई निर्णय नहीं दे सकेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : आखिर इनका कब तक विचाराधीन रहेगा, एक साल, दो साल, तीन साल, छः महिने। आखिर उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, बड़ी तकलीफ में हैं इन मंहगाई के दिनों में वे।

श्री अमृतलाल यादव : यही प्रश्न पे कमीशन के विचाराधीन है।

ग्राम सरेड़ी में कत्ल का मामला।

118. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या दिनांक 6-11-66 को ग्राम सरेड़ी, तहसील अकलेरा में मथुरा तेली

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)
नामक किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि मृतक मथुरा की पत्नी रोड़ी की पुलिस स्टेशन मनोहर थाना ने इस रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया कि मेरे पति की हत्या अमुक अमुक व्यक्तियों ने की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने हत्या का केस रजिस्टर नहीं किया और मथुरा की मृत्यु को एक एक्सीडेन्ट बताकर फाइनल रिपोर्ट लगादी ?

(4) क्या रोड़ी ने अपने पति की हत्या किए जाने की शिकायत एस. पी. झालावाड़ एवं कलक्टर झालावाड़ को की थी किन्तु उसकी वहां भी सुनाई नहीं हुई ?

(5) क्या अन्ततः रोड़ी को अपने पति की हत्या के सम्बन्ध में मुंसिफ मजिस्ट्रेट अकलेरा से प्रारम्भिक जांच की प्रार्थना करनी पड़ी और मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच के पश्चात् उक्त मृत्यु को 302 का अपराध मानते हुए अपराधियों के विरुद्ध वारन्ट गिरफ्तारी जारी किये ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त हत्यारों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और अपराधी अकलेरा, मनोहर थाना में रहते हुए भी उनके वारन्ट गिरफ्तारी निकले होते हुए भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं ?

उप मंत्री गृह (श्री खेतसिंह) : (1) यह सही है कि मथुरा तेली ग्राम सरेड़ी तहसील अकलेरा की मृत्यु दि. 7-11-66 को 3 बजे रात को हुई थी न कि दिनांक 6-11-66 को।

(2) मुसम्मात रोड़ी बेवा मथुरा तेली द्वारा लिखाई गई दिनांक 8-11-66 की रिपोर्ट श्री हीरालाल तेली नि. सरोड़ा ने दिनांक 12-11-66 को थाने में पेश की थी। पुलिस द्वारा हस्ब दफा 174 जा फो0 में जांच चालू हो गई। इस कारण इस दर्खास्त पर कोई अलग से मुकद्मा कायम नहीं किया गया।

(3) चूंकि कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ था इसलिए एफ. आर. देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(4) मुसम्मात रोड़ी ने कोई शिकायत एस. पी. झालावाड़ को प्रस्तुत नहीं की थी। हीरालाल ने एस.पी. झालावाड़ को शिकायत की थी जो एस. पी. ने एस. एच. ओ. मनोहर थाने को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी थी।

(5) मुसम्मात रोड़ी के इस्तगासे पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट अकलेरा ने प्रारम्भिक जांच के पश्चात् हस्ब दफा 302 में मुकद्मा दर्ज किया व वारन्ट गिरफ्तारी जारी किये थे।

(6) यह सही नहीं है। वारन्टों की तामील होकर तमाम अभियुक्तगण गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या है ?

श्री खेतसिंह : इसके लिये भाग दो में निवेदन किया कि 174 जाब्ता फौजदारी के तहत जांच की गई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : एस. पी. ने जब थानेदार को लिखा तो उसने मुकद्मा दर्ज क्यों नहीं किया ?

Page No.3

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : पोस्ट मार्टम किया गया था तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? अगर नहीं है, तो क्यों नहीं करवाया गया।

श्री खेतसिंह : किस्सा इस प्रकार था कि इन्सपेक्टर, एक्साइज के पास में यह रिपोर्ट हुई थी कि फलां गांव के एक कुए के पास में शराब बना रहे हैं कुछ लोग। इस पर एक्साइज इन्सपेक्टर ने वहां धावा बोला। इस दरमियान में मथुरा तेली कुए के अन्दर बतलाते हैं कि गिर गया और चोट आई और इसकी वजह से मृत्यु हो गई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से यह पाया जाता है कि हैड इन्जरी हुई थी और इसकी वजह से यह डैथ हुई।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जब आप यह मानते हैं कि कुए में गिर गया था और वह कुआ 6-11-67 को सूखा था और सूखा होने के कारण वह एक्सीडेन्ट से सिर टूटने से मर गया। इसकी मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने घटनास्थल पर जाकर जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह दुर्घटना नहीं हत्या का मामला है। 6-11-67 के तीन महीने बाद जनवरी में उस कुए में 8 फीट पानी था और पुलिस की रिपोर्ट है कि वह सूखा था और हड्डी टूटने से मरा जबकि कुए में पानी था। यह पुलिस की रिपोर्ट रौंग और गलत थी।

श्री खेतसिंह : हां, ऐसा हुआ है। आपके क्वेश्चन आने के बाद हमने भी पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट को देखा और महसूस किया इससे माननीय गृह मन्त्री महोदय को भी संशय हुआ कि गलती हुई है इसमें हमारी। इसलिये आपने आदेश दे दिया है कि उस सब इन्सपेक्टर को सस्पेण्ड कर दिया जावे और फौरन एन्क्वायरी चालू कर दी जावे और मुंसिफ मजिस्ट्रेट को भी लिख दिया गया है कि हम इसकी क्राइम ब्रान्च से इन्वेस्टीगेशन कराना चाहते हैं और 302 का मुकद्दमा रजिस्टर कर मुलजिमान के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस सब इन्सपेक्टर ने 302 की हत्या के केस को केवल दुर्घटना कहकर टाल दिया उसको सस्पेण्ड करने के स्थान पर सर्किल इन्सपेक्टर बनाकर पदोन्नत किया गया है।

श्री खेतसिंह : यह तो मुझे मालूम नहीं। पर यह आर्डर कर दिया गया है कि उसको तत्काल सस्पेण्ड कर दिया जावे। और उसके खिलाफ एन्क्वायरी शुरू कर दी जावे और इससे मेरा खयाल है आपको सन्तोष होगा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं जानकारी से कह रहा हूं कि वह सस्पेण्ड नहीं किया गया है बल्कि सर्किल इन्सपेक्टर बना दिया गया है। यह आपकी नोलेज में है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरा जवाब ठीक तरह से सुन नहीं रहे हैं ऐसा लगता है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कल ही आदेश दिये हैं कि सब-इन्सपेक्टर को सस्पेण्ड कर दिया जावे और उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न क्लीयर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : थानेदार सस्पेण्ड हो गया और सरकार इन्वेस्टीगेशन क्राइम ब्रांच से कराने जा रही है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इसने पैसे खाये हैं, डाक्टर ने पैसे खाये हैं, दोनों ने मिलकर इस मामले को दबा दिया है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो सस्पेण्ड हुआ है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : यह तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने किया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज।

श्री लेखसिंह : आप उसको मदद देवें।

नोहर–भादरा सड़क पर रेलवे क्रासिंग फाटक

119. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नोहर–भादरा सड़क पर स्टेशन गोगा मंडी व स्टेशन भादरा के पास फाटक नहीं बने हैं? यदि हां, तो वर्षा में गड्ढे पानी से भर जाने पर बसें व अन्य ट्रक आदि के जाने का रास्ता कहां से है?

(2) क्या रेल्वे क्रासिंग राजस्थान सरकार द्वारा बनाये जाते हैं? यदि हां, तो यह रेल्वे क्रासिंग फाटक क्यों नहीं बनाये गये?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क का आवागमन बन्द होने से कोई दूसरा रास्ता नहीं है? यदि हां, तो सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान देगी?

(4) यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) जी हां, अन्य कोई मार्ग नहीं है।

(2) रेल्वे क्रासिंग पर फाटक रेल्वे विभाग द्वारा ही बनाये जाते हैं।

(3) जी हां, ध्यान दिया जा रहा है।

(4) यह रेल्वे विभाग के निर्णय पर आधारित है अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि 17 जुलाई को अतारांकित प्रश्न में भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया था कि रेल्वे विभाग को लिखा गया है और शीघ्र ही फाटक बन जायेंगे तो क्या यह ऐसी बात नहीं है कि इतने बड़े आवागमन के रास्ते पर यह फाटक हैं और 6–6 महीने तक फाटक नहीं बने और रेल्वे लाइन पर खाई खोद रखी हैं और मुसाफिरों की जान खतरे में रहती है। सरकार ने 6–6 महीने से इस मामले को ढील में डाल रखा है इसका उत्तर दें।

श्री अमीनुद्दीन : ऐसा नहीं है कि ढील में बात थी क्योंकि उस चर्चा के बाद फिर जुलाई के आखिर में फैसला रेल्वे से हो

Page No.5

(श्री ग्रमीनुद्दीन)

गया है और जो शर्त उन्होंने रखी थीं कि बनाने का खर्चा और रेंम का सरकार दे और उसके मेन्टीनेन्स का भी खर्चा दे तो वह दोनों बातें मन्जूर हो गयीं और अब सिर्फ उसके बनाने का काम है जिसके लिए कि उनसे बातचीत हो रही है और उनके ऊपर जोर दिया जायेगा कि जल्दी से जल्दी करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने अर्से में यह बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरलाल खर्रा–पशुपालन मंत्री।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कितने अर्से में बन जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, दूसरा कैसे ले लिया मेरे क्वेश्चन का तो उत्तर अभी तक आया ही नहीं। मैंने यह पूछा है कि कितने अर्से में बन जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ चुका है माननीय सदस्य..

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने पूछा है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह कहना चाहता हूँ कि कितने दिनों में बता दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ चुका है। समझौता हो गया है, निर्माण कार्य शीघ्र करने वाले हैं और वहां पर बनाने के लिए रेल्वे ने मान लिया है..

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने समय में बनकर तैयार हो जायेंगे। 6 महीने पहले भी यही कहा था ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आडर माननीय सदस्य। अभी कई प्रश्न रहते हैं जिनको समाप्त करना है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर बाकी है। आज राज्य सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी .....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज..

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, फिर क्वेश्चन करने से क्या फायदा ? यह कोई तारीख निश्चित नहीं करते हैं कि कितने समय में यह बन जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मेरा ख्याल है आप दूसरे माननीय सदस्यों का भी ख्याल रखें। प्रत्येक दिन कई सवाल रह जाते हैं और मुझे कई माननीय सदस्य बार बार कहते हैं कि उनके सवाल रह गये। इसलिए प्रश्न का उत्तर आ गया है, विश्वास मिल गया और फिर भी आप उसी की हुज्जत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरलाल सिंह खर्रा।

Page No.6

वरिष्ठता सूची

120. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग में 90-225 की वेतन शृंखला की वरिष्ठता सूची फाइनल कर दी गई है? यदि हां, तो क्या यह सूची पहले कर्मचारियों में वितरित कर दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वरिष्ठता सूची नवम्बर, 1966 में भी निकली थी ? यदि हां, तो क्या वह फाइनल कर दी गई थी तथा क्या नई वरिष्ठता सूची इससे भिन्न है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) वरिष्ठता सूची किस आधार पर बनाई गई तथा क्या इस सूची में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कर्मचारियों को क्रमवार प्राथमिकता दी गई है ? वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची वितरित किये बिना ही पदोन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों व इससे कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए?

(5) क्या यह सही है कि पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को पदावनत कर दिया गया है ? यदि हां, तो बाकी के लिए क्या कार्यवाही हो रही है ?

उप मंत्री पशुपालन (श्री हरिसिंह) : (1) यह सही नहीं है कि भेड़ व ऊन विभाग में 90-225 की वेतन शृंखला की वरिष्ठता सूची फाइनल कर दी गई है। दिनांक 4-8-67 को प्रोवीजनल वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी और सम्बन्धित कर्मचारियों में वितरित की जाकर उस संबंध में आक्षेप मांगे गये हैं।

(2) यह सही है कि उपरोक्त वरिष्ठता सूची नवम्बर, 1966 में भी निकली थी और वह वरिष्ठता सूची विभाग की ओर से फाइनल कर दी गई थी लेकिन जिन आधारों पर यह फाइनल वरिष्ठता सूची निकाली गई थी वे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं थे। नई प्रोवीजनल वरिष्ठता सूची नवम्बर, 1966 में जारी की गई वरिष्ठता सूची से कुछ भिन्न है, क्योंकि नवम्बर 1966 में जारी की गई वरिष्ठता सूची में कुछ राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों को उचित स्थान नहीं दिया जा सका था और उन्हें उचित करार दिया जाना आवश्यक समझा गया। दूसरे जिन आधारों पर नवम्बर, 1966 की वरिष्ठता सूची बनाई गई थी, उसमें पशुपालन विभाग व अन्य विभागों से भेड़ व उन विभाग में आये हुए कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची में उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ नहीं दिया गया था और बाद में यह महसूस किया गया कि उन्हें उन सेवाओं का लाभ भी दिया जाना उचित है। आधारों में परिवर्तन के फलस्वरूप 4 अगस्त, 67 को पुनः प्रोवीजनल वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई और उस संबंध में सम्बन्धित सभी कर्मचारियों से आक्षेप मांगे गये हैं जिन पर गौर किये जाने के बाद ही वरिष्ठता सूची अन्तिम (फाइनल) की जायेगी।

(श्री हरिसिंह)

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग से अवनित कर्मचारी अन्य कर्मचारियों से वरिष्ठ हैं तथा इस वरिष्ठता सूची में उन्हें उसी प्रकार क्रमवार प्राथमिकता दी गई है। वरिष्ठता सूची जिन आधारों पर बनाई गई है वे, तथा वरिष्ठता सूची की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) 57 कर्मचारियों को जुलाई सन् 1967 में इकोनोमी कट के फलस्वरूप पदोवनत किया गया। वे सभी कर्मचारी अस्थाई थे।

(5) जी हां, इन 57 कर्मचारियों में से 23 कर्मचारियों को पुन. पदोन्नत किया गया है। जैसे जैसे रिक्त स्थान होंगे, वैसे वैसे यह स्थान पदोवनत कर्मचारियों को पदोन्नत भरे जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरलालसिंह खर्रा : क्या गलत रिवर्ट हुए कर्मचारियों को फिर प्रमोट किया गया और किया गया तो क्या यह सर्विस रेगुलर मानी जायेगी?

श्री हरिसिंह : आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर मांग रहे हैं?

श्री हरलालसिंह खर्रा : तो पहले गलत वरिष्ठता सूची निकली उसमें जिनको रिवर्ट किया गया उनको फिर प्रमोट किया गया तो क्या वह रेगुलर सर्विस मानी जायेगी?

श्री हरिसिंह : अभी जैसा निवेदन किया है 2–3 बार वरिष्ठता सूची प्रावीजनल निकाली गयी और अभी जो सूची 67 में निकली है वह प्रावीजनल लिस्ट है न कि फाइनल है और इस पर अभी और आक्षेप मांगे गये हैं और उसके ऊपर रिप्रेजेन्टेशन होंगे और जो डिसीजन होंगे उसके अनुसार उनको स्थान दिये जायेंगे वरिष्ठता के आधार पर।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जो 3 साल से सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्य कर रहे थे अभी भी 67 में वरिष्ठता सूची निकाल कर उनको रिवर्ट कर दिया गया। उसके बाद में जब दूसरी वरिष्ठता सूची बनी तो 3–9–67 को फिर प्रमोट कर दिया गया तो क्या एक महिने का जो पीरियड है उनकी सर्विस प्रमोशन पर रेगुलर मानी जायेगी क्या?

श्री हरिसिंह : इस विषय में मैं निवेदन कर दूं कि कुछ स्टाफ को इसमें रिवर्ट करना आवश्यक समझा गया वह इसलिए कि जिस कार्य के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई····

श्री अध्यक्ष : रिवर्शन के बाद प्रमोशन्स हुए हैं और जिन कर्मचारियों का वह गैप है वह क्या मान लिया जायेगा सर्विस में रेगुलर एक महीने का जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं?

पशुपालन मंत्री (श्री शंभाराम) : माननीय अध्यक्ष जी जुलाई 67 में इकानामिक कट के कारण कुछ लोगों को....

श्री हरलालसिंह खर्रा : मेरा सवाल इकानामिक कट से नहीं है....

Page No.8

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल ही आ रहा है।

श्री शोभाराम : उनको रिवर्ट किया गया और 4 अगस्त, 67 को एक प्रॉवीजनल लिस्ट निकली उसके बाद में 57 आदमी जो डिमोट हुए और जैसे जैसे स्थान रिक्त हुए उनमें से 23 आदमियों को प्रमोट करके लगा दिया गया। बाकी 57 में से 34 बच गये–अभी वे छोटी ग्रेड में काम कर रहे हैं जैसे जैसे रिक्त स्थान खाली होंगे वैसे ही 34 आदमियों को लगा दिया जायेगा। जहां तक उनकी सर्विस का सवाल है वह रेगूलर सर्विस में हैं। उनके लिए अभी अलहदा नहीं किया गया। 4 अगस्त, 67 की जो प्रोवीजनल लिस्ट वरिष्टता की निकली उस पर आक्षेप मांगे गये हैं और जल्दी से जल्दी आक्षेपों को तयकर उसके आधार पर लिस्ट तैयार की जायेगी और फिर वह फाइनल लिस्ट तैयार की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन यह है कि जिसको आप कहते हैं डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट द्वारा तय किये आधारों के विपरीत लिस्ट बनी जिससे डिमोट करना पड़ा और बाद में आपने प्रोवीजनल लिस्ट अपने आधार पर बनाई उसके अनुसार डिमोट नहीं हो सकते उनका प्रमोशन दिया तो प्रमोशन और डिमोशन की डेट में फर्क है, क्या उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको प्रमोट मानेंगे?

श्री शोभाराम : इसमें भ्रम यह है कि राजस्थान सरकार ने क्योंकि कोई आधार सीनियोरिटी लिस्ट बनाने के लिए नहीं बनाया जो भी आधार बना है वह विभाग का बनाया हुआ है इसलिए फाइनल लिस्ट 66 वाली अन्तिम नहीं मानी गई। प्रोवीजनल लिस्ट 4 अगस्त, 67 की मानी गई है। अभी राजस्थान गवर्नमेन्ट को सीनियोरिटी लिस्ट बनाना बाकी है इसलिए कहना गलत है कि राजस्थान सरकार ने अपने आधार तय कर कोई लिस्ट बनाई थी सिर्फ डिपार्टमेन्ट ने बनाई थी। अभी राजस्थान सरकार के लिए आधार बनाना बाकी है जब आधार बन जायेंगे और आधार बनाते समय इन बातों का ख्याल रखा जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्वेश्चन यह है कि जो आप स्वयं मंजूर कर चुके हैं कि हमने कुछ आधारों पर एक ऐसी वरिष्ठता सूची बनाई थी जो सही नहीं थी। उस वरिष्टता सूची के आधार पर कई लोगों को डिमोट कर दिया गया था दूसरी प्रोवीजनल लिस्ट 1967 में बनी जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं उसके अनुसार प्रमोशन हुआ है तो इस बीच में जिनका डिमोशन हो गया उनकी लिस्ट प्रकाशित हुई जिनको वापिस प्रमोट करना पड़ गया तो उस पीरियड के बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री शोभाराम : एक तो 65–66 और एक 66–67 में, तो इसके बीच में जो इकोनोमिक कट हुआ था जुलाई में तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें पदावनत दो तरीकों से हुए हैं। एक तो जो सूची पहले विभाग ने बना दी कि जिसके अनुसार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चयन में जो केन्डीडेट्स रह गये थे उनको ठीक करने के लिए उन्हें उचित स्थान दिया गया जिनको 1 नवम्बर 1966 में कन्सीडर किया

(श्री शोभाराम)

गया था। एक वह स्टेज है। दूसरा इकोनोमिक कट के कारण जो जुलाई, 1967 में पदावनत हुए उसमें कन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ है। 4 अगस्त, 1966 की सूची में भी वे उसी ग्रेड में रखे गये। जिनको डिमोट किया गया उनका सूची में देखने से कोई विरोधाभास नहीं पाया जाता है। वह कम से कम कन्फ्लिक्ट में नहीं आती है उसी क्रम में है।

अब जिन 57 आदमियों को डिमोट किया गया था उनमें से 23 आदमियों को ले लिया गया है जैसे जैसे रिक्त स्थान हुए। बाकी औरों को भी लगा दिया जायगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उन तमाम बातों को शुरू से 64 से पहले से लगाकर जो जो सूचियां निकली हैं विभाग की तरफ से और जो आधार विभाग ने राजस्थान सरकार से मन्जूर नहीं कराये थे जिसके कारण यह भ्रम पैदा हुआ है, ध्यान में रखते हुए जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई उनको ठीक करने की कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष: नेकस्ट, श्री महेन्द्रसिंह।

कोटा-इटावा रोड का निर्माण कार्य तथा उसका भुगतान

121. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की कोटा–इटावा रोड का माइल नं. 51 से 65 तक सड़क निर्माण का ठेका श्री केवल प्रकाश को दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि ठेके की शर्तों के मुताबिक ठेकेदार का एस्टीमेट के अतिरिक्त क्लेम को विभाग ने नामन्जूर कर दिया था?

(3) क्या यह भी सही है कि उसी क्लेम को विभाग के एस.ई. ने अब मन्जूर कर लिया है? यदि हां, तो कितना?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरसिंह (किशनपोल, जयपुर): प्रश्न नहीं उठता है क्वेश्चन उठता है।

श्री अमीनुद्दीन: किस तरह से प्रश्न उठायें। जो सवाल है उसमें अगर लिखा है कि किस शख्श को ठेका····

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन नहीं उठता। अब आप सवाल पूछेंगे। प्रश्न उठता नहीं है तो धराशायी है। अब आगे सप्लीमेंट्रीज!

श्री महेन्द्रसिंह: अध्यक्ष महोदय इसका जवाब मंत्री महोदय से लिखवायें कि यह जो ठेका है वह केवल प्रसाद को दिया है माइल 51 से 54, यह मुझे पूर्णतया मालूम है। उसने क्लेम किया है और डिपार्टमेंट ने नामन्जूर किया है और अब पता नहीं किस कारण से उसके केस को रिकमन्ड करके भेजा है और उसकी सेंक्शन हो गई है। मंत्री महोदय तथ्य छिपाना चाहते हैं।

श्री अमीनुद्दीन: आपने जो जवाब मांगा था कि क्या केवल प्रसाद को ठेका दिया गया

(श्री अमीनुद्दीन)
तो उसका जवाब दे दिया कि नहीं दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपके जवाब के अनुसार क्या यह माना जाय कि वह ठेकेदारी नहीं करता है ?

श्री अमीनुद्दीन : यह दूसरा सवाल है उसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। आपने जो पूछा था कि केवल प्रसाद को ठेका दिया गया या नहीं तो उसका जवाब साफ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा-इटावा रोड पर माईल 51 से 54 का ठेका कादरबख्श ठेकेदार को दिया गया था ?

श्री अमीनुद्दीन : आपने जितना सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है। आपने केवल प्रसाद का नाम पूछा था।

श्री अध्यक्ष : केवल प्रसाद के स्थान पर कोई "प्रसाद" लगा दें। कोई ठेकेदार तो था।

श्री अमीनुद्दीन : "बख्श" आ रहा है "प्रसाद" नहीं आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : "बख्श" कर द।

श्री अमीनुद्दीन : आप जो माइलेज बता रहे हैं उसमें 54 का नम्बर तो है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप बताओ।

श्री अमीनुद्दीन : आप पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन कान्ट्रेक्टर्स में कादरबख्श या केदारबख्श को ठेका दिया गया था ?

श्री अमीनुद्दीन : यह सवाल आप दूसरी बार पूछेंगे तो सही नाम व पता मालुम कर लूंगा कि यह ठेका इस शख्श को दिया गया या और कोई नाम है। आप पूछें तो टाइम देकर पूछें ताकि मैं मालूम करके आपको बता दूंगा कि ठेका उसको दिया गया या नहीं।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज, प्रश्नकर्ता !

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि कादरबख्श ने ठेका केवलराम के नाम पावर ऑफ एटार्नी देकर करवाया था ?

श्री अमीनुद्दीन : यह अभी मेरे इल्म में नहीं है कि केवल प्रसाद के नाम उसने करवाया था। मैंने मालूमात की कि किस को ठेका दिया गया तो कहीं कादरबख्श का नाम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस ठेके के सम्बन्ध में एक बार क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और दुबारा उसका क्लेम फिर लेकर मन्जूर करने की स्थिति आई है ?

श्री अमीनुद्दीन : जब यह है ही नहीं ठेकेदार तो क्लेम का सवाल कैसा ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पहले इस ठेकेदार का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था ?

श्री अमीनुद्दीन : यह सवाल तो अब आया है। आपने यह पूछा कि इसको ठेका दिया गया या नहीं तो कह दिया गया कि क्लेम हुआ कि नहीं। जितना पूछा उसका जवाब दिया गया। केवल प्रसाद को कोई ठेका नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि आप इस सम्बन्ध में नहीं बता सकते कि इस रोड पर ठेका किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया गया जिसके क्लेम्स रिजेक्ट कर दिये गये थे ?

श्री अमीनुद्दीन : मेरे मालूमात में यह चीज नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को अगले वक्त पर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगले का प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन साफ है और मामला साफ है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि उप-मन्त्री महोदय घबराने के कारण आज नहीं पधारे ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी बहुत बुलन्द हैं।

प्रश्न संख्या 122

श्री देवीदत्त गाड़िया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुडी।

लिपिक कर्मचारी वर्ग में से प्रशासनिक सेवा में चयन

123. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लिपिक कर्मचारी वर्ग में से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में विशेष चयन हेतु सरकार द्वारा कितना प्रतिशत कोटा निर्धारित है ?

(2) क्या इसी प्रकार तहसीलदार (आर. टी. एस.) के लिए भी लिपिक कर्मचारी वर्ग में से विशेष चयन हेतु कोई प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा प्रावधान करने पर विचार कर सकती है ?

उप मंत्री (राव श्री धीरसिंह) : (1) कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

(2) जी नहीं। जिलाधीश एवं राजस्व मंडल के कार्यालय अधीक्षकों के लिए तहसीलदार सेवा नियमों में विशेष चयन का प्रावधान सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दिग्विजयसिंह।

उनियारा अस्पताल में स्टाफ व दवाइयों की व्यवस्था

124. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में कुल कितने हास्पिटल व डिस्पेन्सरीज है और प्रत्येक

Page No.12

(श्री दिग्वजयसिंह)
का सालाना क्या बजट है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोंक खास के हास्पिटल को छोड़कर बाहर के अस्पतालों में पूरी दवाइयां नहीं पहुंचती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उनियारा स्थित अस्पताल में पूरी दवाइयां नहीं हैं जिससे वहां के मरीजों को दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं ? यदि हां, तो इस समय वहां स्टाक में क्या क्या और कितनी कितनी दवाइयां हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वहां पर पहले दो कम्पाउन्डर थे और अब कम करके एक ही और वह भी तृतीय श्रेणी का रख दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : टोंक जिले में 6 अस्पताल, 0 डिस्पेन्सरियां, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 2 मात्र-शिशु कल्याण केन्द्र व एक ए, पोस्ट डिस्पेन्सरी है। प्रत्येक का सालाना स्वीकृत बजट सन् 1967-68 का व्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उनियारा के लिए एक तृतीय श्रेणी कम्पाउन्डर का पद ही स्वीकृत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने पूछा था कि पहले दो कम्पाउन्डर्स थे और अब एक ही कर दिया गया हैं, क्या यह सही है ? स्वीकृत तो पहले भी थे

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह जवाब दिया 'जी हां' क्योंकि अब राज्य सरकार द्वारा उनियारा के लिए तृतीय श्रेणी के कम्पाउन्डर का पद स्वीकृत है।

श्री दिग्विजयसिंह : कमी किस प्रकार की गई ? जब पहले दो स्वीकृत थे तो एक ही का निर्णय किस प्रकार लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया था कि पहले दो थे लेकिन नये स्टाफ पैटर्न फार प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स एन्ड डिस्पेन्सरीज के अनुसार उनियारा में तृतीय श्रेणी के कम्पाउन्डर की पोस्ट रखी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केदारनाथ।

बीकानेर जिले में लैण्ड मोर्टगेज सहकारी बैंक

125. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले में लैण्ड मोर्टगेज सहकारी बैंक की स्थापना का प्रश्न क्या राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिया जायगा व उसकी क्रियान्विति कब तक की जायगी ?

उपमंत्री, सहकारी विभाग (श्री रामदेव सिंह) : जी हां, बीकानेर जिले में भूमि विकास बैंक का गठन विविध वर्ष 67–68 में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयनारायण सालोदिया।

प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति कब बनी और अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई ? उसने अब तक क्या क्या सुझाव दिये और उन पर राज्य सरकार ने कितने प्रतिशत अमल किया ?

(2) समिति ने सुझावों में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (मुख्य मन्त्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया के स्थान पर) : (1) राज्य सरकार ने राज्य के प्रशासन में सुधार लाने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति का जुलाई, 1962 में गठन किया था। समिति ने समय समय पर अपनी बैठकें कर जो प्रतिवेदन तैयार किया था वह सितम्बर, 1963 में प्रकाशित कर दिया गया था। समिति ने कुल मिलाकर 233 सिफारिशें की थीं जिनमें से 199 क्रियान्वित की जा चुकी हैं। तथा शेष 34 सिफारशों पर कार्यवाही चल रही है।

(2) समिति की रिपोर्ट सितम्बर, 1963 में प्रकाशित हो चुकी है और उसकी प्रतियां विधान सभा के समस्त तत्कालीन सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित की जा चुकी हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : समिति की सिफारिश है वह किस स्टेन्डर्ड की सिफारिश है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टेन्डर्ड से क्या मतलब ?

श्री जयनारायण सालोदिया : किस किस तरह से किस किस विभाग में सुधार लाया जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रशासनिक सुधार सभी विभागों से संबंधित है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इसमें यह सिफारिश . . . .

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 127

कोटा जिले में फसलों को नुकसान

127. श्री जुंझारसिंह (रामगंज मंडी)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्ष 1967-68 में भी गेहूँ की फसल में कोटा जिला की तहसीलों में कीड़ा लगा था व समय पर व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषकों को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो किन तहसीलों में ?

Page No.14

(श्री जुझारसिंह)

(2) क्या यह सही है कि सांगोद तहसील के 132 व रामगंज मंडी तहसील के 28 गांवों में अकाल घोषित किया गया था ? यदि हां, तो इन गांवों में सरकार द्वारा गेहूँ व चने के बीज का क्या प्रबन्ध किया गया था और कुल कितना बीज सरकार या सहकारी समितियों द्वारा बांटा गया ?

(3) क्या सरकार ने अकालग्रसित क्षेत्रों में खाद्यान्न व कार्मशियल क्राप्स के कम्पेरेटिव फिगर्स उपलब्ध करवाने की चेष्टा की है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बीज की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस साल खाद्यान्न कम बोया गया है ?

(4) सरकार के पास कमी वाले क्षेत्रों में बीज उपलब्ध कराने की क्या स्थायी व्यवस्था है ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें सामग्री एकत्रित नहीं हुई है इसलिये इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : सामग्री मुहैया नहीं है इसलिए स्थगित किया जाता है ।

प्रश्न संख्या 128

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु उधार दी गई मशीनरी की बकाया की वसूली

128 **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : **क्या सार्वजनिक** निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में किन किन ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया और क्यों ? किस किस सड़क का कितना कितना काम बाकी है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) जिन ठेकेदारों को मशीनरी राज्य सरकार द्वारा उधार दी गई थी उनमें से किस किस ठेकेदार में कितनी कितनी मशीनरी बकाया रही है और उसकी वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए 15 दिन की मोहलत दी जाय ।

श्री भैरोंसिंह : 15 दिन की मोहलत तो बहुत हो जायगी । प्रश्न ठीक है तब तो इनके पास सूचना नहीं है और प्रश्न ठीक नहीं था तब सारी सूचना ले आये । यह प्रश्न इम्पोरटेन्ट है ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो इन्होंने मोहलत मांगी है ।

श्री भैरोंसिंह : कब तक जवाब दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : 15 दिन का कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : सूचना इनके पास भी है क्योंकि 4 दिन पहले पत्रकारों के सामने भाषण दिया था कि सारी सड़कों का काम द्रुतगति से चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : गति की इन्फार्मेशन है, किस माइल से है यह नहीं है ।

. श्री भैरोंसिंह : अभी दौरा करके आये हैं।

श्री अमीनुद्दीन : अभी और दौरा करना है।

श्री भैरोंसिंह : इसी सेशन में इसका जवाब आना चाहिये ।

श्री अमीनुद्दीन : आपको मैं पूरी तसल्ली दिलाऊंगा। आपका जितना इन्ट्रेस्ट है उतना ही मेरा है। आप चाहें तो आप भी दौरे में मेरे साथ पधारें।

श्री भैरोंसिंह : मैं दोनों के इन्ट्रेस्ट की बात से ज्यादा पब्लिक और हाउस के इन्ट्रेस्ट को मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपका भी नहीं और उनका भी नहीं यह सदन का इन्ट्रेस्ट है।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपकी सुविधा को देख कर 15 दिन में दे देंगे ।

श्री अमीनुद्दीन : आप इसको स्वीकार करलें 15 दिन कोई ऐसी बात नहीं है।

भूमि बेचने का अधिकार

126. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् कोटा को स्ट्रिप आफ लैंड बेचने का अधिकार प्राप्त है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् कोटा ने स्ट्रिप आफ लैंड की दरें निश्चित करके सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दी हैं ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार अनुभव करती है कि व्यक्तियों ने बिना स्वीकृति के अनधिकृत रूप से स्ट्रिप आफ लैंड पर कब्जे कर लिये हैं ? अगर हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां, दिनांक 1-9-66 से।

(2) जी हां, दिनांक 20-12-66 को।

(3) यह राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है। यदि अनधिकृत कब्जे हों तो नगर परिषद् को नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि 20-12-66 से पहले नगर परिषद् कोटा ने स्ट्रिप आफ लैंड बेचने के सम्बन्ध में रेट्स निर्धारित करके स्वीकृति के लिये सरकार के पास भेजी थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, भेजी थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि दुबारा सरकार के आर्डर से रेट्स निर्धारित करके सरकार के पास भेजा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार डेढ़ साल तक निर्णय नहीं ले पाई, रेट्स को फाइनल करके कोटा नगर परिषद् के पास नहीं भेज पाई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं । अन्तिम पत्र जो आया है उसके आधार पर क्योंकि काफी गम्भीर प्रश्न था उस पर विचार करने के बाद यह सोचा गया कि सारी कठिनाइयां दूर हो जांय इसके लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाय। यह विज्ञप्ति प्रकाशित हो रही है उसके आधार पर बेचने के लिए नियम बनाये जायेंगे । विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन बातों को दृष्टिगत रखा जाय । ये इस प्रकार हैं:—

(1) पिछले तीन वर्षों में मार्केट वेल्यू प्राइवेट सेल में क्या रही है ?

(2) सम्बन्धित लोकेलिटी में जमीन की कीमत में क्या घटत-बढ़त हुई है।

(3) संबंधित लोकेलिटी में जो विकास के कार्य किये गये हैं जैसे जमीन को समतल बनाना, सड़कों का निर्माण बिजली, पानी, ड्रेनेज, पार्क आदि की सुविधाओं को प्रदान करना आदि आदि ।

(4) जमीन कितनी महत्वपूर्ण लोकेलिटी में स्थित है कि जिससे किराये की कितनी अधिक आमदनी हो सकती है ।

(5) बेचने के बाद जमीन के उपयोग को भी ध्यान में रखा जावेगा, जैसे औद्योगिक, व्यावसायिक, रिहायशी, धार्मिक आदि कार्यों में उपयोग

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिकाएं स्वयं स्ट्रिप ऑफ लैंड की कीमत निर्धारित करेंगी ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह विज्ञप्ति प्रकाशित कर चुके हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आज कल में प्रकाशित हो जायेगी ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगर परिषद् कोटा ने प्रस्ताव पास करके सरकार को सूचना दी है कि यदि सरकार ने स्ट्रिप ऑफ लैंड बेचने की रेट्स निर्धारित करके नहीं भेजी तो 1 फरवरी, 1968 से नगर परिषद् स्ट्रिप ऑफ लैंड बेचना शुरू कर देगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : स्ट्रिप ऑफ लैंड की दरें निर्धारित करने के लिए नगरपालिका काम्पिटेन्ट है लेकिन पहले बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करनी चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जहां तक बेचने का सवाल है नगर परिषद् बेचने की रेट्स निर्धारित करके रिकमन्डेशन भेजती है और सरकार की स्वीकृति के बाद स्ट्रिप ऑफ लैंड बेच सकती है, क्या यह सही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विज्ञप्ति में बताये हुए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए

Page No.17

नगर परिषद् को मूल्य निर्धारित करना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह माना जाय कि आप जो विज्ञप्ति प्रकाशित करने वाले हैं उसके प्रकाशित होने के बाद नगरपालिका कोटा को अधिकार है बेचने का?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उसमें बताई गई शर्तों के अनुसार रेटस निर्धारित करनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जब नजूल कमेटी द्वारा रेट्स निर्धारित करदी जाती है और नगर परिषद के पास पहुंच जाती है उसके बाद कलेक्टर के आर्डर की क्यों जरूरत पड़ती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस समय जरूरत होती है जब पर्टिकुलर रेट्स से बेचने की जो सीमा है उससे अधिक हो तो कलेक्टर के आर्डर्स की जरूरत रहती है।

श्री मूलचन्द डागा : सीमा का प्रश्न नहीं होता है जो नजूल बना लेते हैं और निर्धारित कीमत पर बेचना शुरू करते हैं तो फिर कलेक्टर के एप्रूवल की क्यों आवश्यकता होती है...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 130

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 131

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

घुमक्कड़ पशुपालन योजना के अन्तर्गत पानी की व्यवस्था

132. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

घुमक्कड़ पशुपालन योजना के अन्तर्गत पानी की समस्याओं को हल करने के लिए किस किस गावों में कुंड बनाने के लिए धन राशि दी गई है और किस किस गांवों में कुन्ड बनाकर कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं और किन किन गांवों में अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया? जहां पूरा नहीं हुआ है उनके लिए कारण क्या है?

उपमंत्री पशुपालन (श्री हरिसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए समय दिया जाय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न गलत छप गया है। मैंने बीकानेर जिले के बारे में पूछा था लेकिन जिले का नाम नहीं छपा है।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित किया गया। सामग्री नहीं प्राप्त हो सकी।

Page No.18

डाक्टरों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं मुकदमें

133. श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

सतर्कता आयोग ने अब तक किन किन डाक्टरों के विरुद्ध विभागीय जांच अथवा मुकदमें दायर करने की सिफारिश की है और उनमें से कितने डाक्टरों के विरुद्ध विभागीय जांच अथवा मुकदमें दायर किये गये ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): सतर्कता आयोग ने अब तक निम्नलिखित डाक्टरों के विरुद्ध विभागीय जांच करने की सिफारिश की है :

1. डा. महेन्द्रसिंह। इस सम्बन्ध में डा. महेन्द्रसिंह को शासकीय आदेश क्रमांक एफ 2 (101) अपाइन्टमेन्ट्स एफ। 3160 दिनांक 11-1-68 के द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। आरोप पत्र देने संबंधित कार्यवाही की जा रही है।

2. डा.के. एन. हल्दिया। डा.के. एन. हल्दिया को शासकीय आदेश क्रमांक एफ 2 (58) अपाइंटाए। 66 दिनांक 28-11-67 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है और उनके विरुद्ध सी.सी. ए.एस. के अन्तर्गत नियुक्ति (क.ग) विभाग द्वारा कार्यवाही जारी है।

सतर्कता आयोग ने अब तक निम्नलिखित डाक्टरों के विरुद्ध अदालत में मुकदमें दायर करने की सिफारिश की है, ये मुकदमें दायर कर दिये गये है : जो न्यायालय के विचाराधीन हैं :

1. डा.बलराज गिल
2. डा.आर. के शर्मा
3. डा.जे.पी शर्मा
4. डा.बी.एन. ज्युतसी
5. डा.ओ.पी. लट्टूर

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह जो डाक्टरों की इन्क्वायरी का मामला है दो केसेज बताये हैं आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। डा. महेन्द्रसिंह और डा. के.एन. हल्दिया।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्या इन दोनों को चार्जशीट दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैंने अर्ज किया कि 11-1-68 को इन्हें निलंबित किया जा चुका है। आरोप पत्र देने की कार्यवाही चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सूचना किस पीरियड तक की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल का जवाब डिपार्टमेन्ट ने भेजा तब तक की सूचना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

नगरपालिका जोधपुर के प्रशासक

134. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा जोधपुर)–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर नगरपालिका में 1 जनवरी, 1967 से अब तक कितने प्रशासकों की नियुक्ति की गई ? इन प्रशासकों

Page No.19

(श्री ओमदत्त भाटी)
के नाम तथा प्रशासक के रूप में कार्य करने की पृथक पृथक अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन प्रशासकों के स्थानान्तरण थोड़ी थोडी अवधि से होते रहे हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि थोड़ी थोड़ी अवधि से स्थानान्तरण के कारण नगरपालिका का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सका है और इन स्थानान्तरणों के कारण जो व्यय होता है वह भी निरर्थक रहता है?

उपमंत्री, स्वायत शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) –(1) निर्वाचित नगरपालिका की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 24-1-67 से निम्न प्रकार प्रशासकों की नियुक्ति की गई :

नाम प्रशासक	अवधि
1. श्री रामरतन	26-1-67 से 28-3-67
2. श्री के.एम.रस्तोगी	29-3-67 से 13-6-67
3. श्रीगोपीनाथ गुप्ता	14-6-67 से 5-7-67
4. श्री अर्जुनराज भंडारी	6-7-67 से 16-1-68
5. श्री जी.एल. महाजन	17-1-68 से

(2) प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किये गये।

(3) जी नहीं।

श्री ओमदत्त भाटी: अब एक साल में पांच एडमिनिस्ट्रेटरों की बदली हुई क्या यह ठीक है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के फायदे में है? मैं पहले का समझ सकता हूं, रामरतन की बदली केन्डीडेट को चुनाव में जिताने के लिए, दोस्तों को जिताने के लिए की, लेकिन दूसरे चार आदमियों की बदली दो दो, एक एक महीने में क्यों बदली की, उसकी वजह मैं नहीं समझ सकता, उसके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हो सकते हैं? मैं भी एडमिनिस्ट्रेटशन में रहा हुआ हूं, मैं जानता हूं, यह बहुत गलत तरीका है।

श्री अध्यक्ष: आडर प्लीज! उत्तर दीजिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि चुनाव के लिए किसी को बदली की गई। जैसा मैंने उत्तर में बताया, यह प्रशासनिक दृष्टि से किये गये।

श्री नरसिंह (किशनपोल,जयपुर): क्या प्रशासनिक दृष्टि से यह उचित है कि अपने यहां पर अधिकारीगणों के स्थानान्तरण दो दो, एक एक महीने में लगातार होते रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा (पाली): आवश्यकता हो तो।

स्वायत शासन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) इसमें ऐसा है कि रामरतन जी सेटलमेंट आफिसर भी थे और उसके साथ साथ उनको इस कार्य के लिए भी नियुक्त किया हुआ था। बाद में अधिक काम होने की वजह से अलग अलग अधिकारी नियुक्त करने पड़े इसलिए इनकी जगह पर दूसरे को मुकर्रर कर दिया।

Page No.20

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): बाद में दूसरों को बदला –उसके क्या कारण थे ?

श्री अमृत मदन भाटी : यह पहले ही सोचा जा सकता था कि ज्यादा काम होगा तो दो काम एक आदमी का कैसे दिये जायं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री विजयसिंह रावत !

अजमेर जिले में मृत्यु भोज

135. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर जिले में पिछले तीन वर्ष में कितने मृत्यु भोज मोसर किस किस ग्राम में हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पुलिस ने अब तक कितने मृत्यु भोज (मोसर) ई. सी. एक्ट एवं मृत्यु भोज कानून के अन्तर्गत पकड़े और इनमें से कितने मामलों में भोज करने वालों पर मुकदमे दर्ज किये गये ? यदि नहीं किये गये तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मोयाणा, तहसील ब्यावर में मृत्यु भोज पिछले तीन मास में हुआ था ? यदि हां, तो पुलिस ने इसमें क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या उक्त मृत्यु भोज को बन्द कराने हेतु कलेक्टर अजमेर ने वीर रावत के सम्पादक एवम् रावत राजपूत महासभा के अध्यक्ष द्वारा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ब्यावर को आदेश दिया था ? यदि हां, तो पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(5) क्या उक्त मृत्यु भोज में पुलिस ब्यावर ने भोज करने वाली पार्टी से रिश्वत ली थी ? यदि नहीं, तो कलेक्टर एवं समाज के अध्यक्ष द्वारा डी. एस. पी. को दो रोज तक जानकारी कराने पर भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) अजमेर जिले में सन् 1965-66-67 में निम्न गांवों में मृत्यु भोज हुए—

सन् 1965
1. देवलिया कलां
2. अराई
3. रूपनगढ़
4. सराधना
5. फतहगढ़ कलां

सन् 1966
6. नागोला
7. झीपियां
8. एकलसिंगा
9. सिनोदिया
10. नट्टी
11. रावतनाल

सन् 1967
12. रूपपुरा
13. चावड़िया
14. पुष्कर
15. पड़ासोली
16. रूपनगढ़
17. ढाणी जालिया
18. किशनगढ़
19. सिल्लोरां
20. [illegible]
21. योगियों का नाड़ा

Page No.21

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोगियों का !

श्री खेतसिंह : जी हां।

(2) उपरोक्त 21 मृत्यु भोजों में से 8 में धारा 317 एसेंसियल कामोडिटीज एक्ट के मुकदमे कायम हुए और 13 मृत्यु भोजों में फीस्ट एक्ट के तहत इस्तगासे अदालत में पेश किये गये।

(3) जी नहीं।

(4) ग्राम मोयराना में मृत्यु भोज होने की बाबत एक पत्र वास्ते जांच डी. वाई एस. पी. ब्यावर के पास कलेक्टर अजमेर से प्राप्त हुआ था जिसकी मौके पर डी. वाई. एस. पी. ने जाकर जांच की तो मृत्यु भोज का करना व होना नहीं पाया गया।

(5) जब मृत्यु भोज ही नहीं हुआ तो पुलिस द्वारा रिश्वत लेने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री अध्यक्ष : मृत्यु भोज होता तो होता ?

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : कोई मरा नहीं या भोज नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !

श्री विजयसिंह रावत : मेरे प्रश्न के अन्दर मैंने पूछा है कि मृत्यु भोज कहां कहां हुए इसकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। वह सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है.......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पढ़ दी है।

श्री विजयसिंह रावत : खैर कोई बात नहीं। मेरे प्रश्न के उत्तर में पैरा 1 में जो आपने जवाब दिया है यह जवाब बिल्कुल असत्य है क्योंकि अजमेर जिले के अन्दर मेरे समाज की महासभा का उपाध्यक्ष होने के नाते और दूसरे समाज के हर साल होने वाले सम्मेलनों में जाने के नाते मुझे यह मालूम है कि 1965 में 80 मृत्यु भोज हुए, 1966 में 138 मृत्यु भोज हुए और 1967 में 143 मृत्यु भोज हुए और मंत्री महोदय ने बताया है कि 1965 में 5 मृत्यु भोज हुए, 1966 में 6 मृत्यु भोज हुए और 1967 में 10 मृत्यु भोज हुए...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : फिर आपने एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं कराई ?

श्री विजयसिंह रावत : खैर यह जाने दीजिये। फिर आपने प्रश्न 2 का उत्तर दिया है....

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष होने के नाते आपको जानकारी है मृत्यु भोजों की ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जानकारी होने पर एफ. आई. आर. क्यों नहीं दी है, आपने जानकारी को छुपाया क्यों है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मृत्यु भोज के सम्बन्ध में आपके पास में जानकारी आती होगी ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जानकारी...

सिचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष के कान, जो जानकारी उचित होती है, उसके लिए हैं, अनुचित के लिए नहीं।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मोयराना ग्राम में मृत्यु भोज हुआ, यह प्रश्न मेरा था, उसमें मैंने तीन मास के लिए पूछा था। उसके लिए आपने कहा, प्रश्न नहीं उठता। वैसे आप और आपके अधिकारीगण काफी चतुर हैं—इसमें दो राय नहीं हैं। मैंने तीन महीने का कहा था और ग्राम मोयराना में जो मृत्यु भोज हुआ, उसमें 140 मन गेहूं का हलुआ बनाया गया था, वह सारा का सारा गेहूं, आपके राशन से जो गेहूं वितरित होता है, वहां गया था और इसके लिए अजमेर रावत राजपूत महा सभा के अध्यक्ष और ब्यावर के विधायक और वीर रावत के सम्पादक के द्वारा डी. एस. पी. को कम्पेल करने के ऊपर और जो एफेडेविट अजमेर के कलेक्टर को दिया गया उस पर उसके द्वारा आदेश देने पर मृत्यु भोज की जांच करने के लिए वहां पुलिस गई और वहां जाने के बाद उनको पेट भर रिश्वत मिलने के बाद उनके द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। (शेम, शेम)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हुई थी उसके ऊपर जो दूसरे विधायक, मेजर फतेहसिंह जी बैठे हैं, उनको सारा केस मालूम है, केस इस प्रकार से हुआ था . . .

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : श्रीमान्, मेरे प्रश्न के बाद आप उत्तर दें, यह उचित होगा।

श्री खेतसिंह : आप भी पूछ लीजिये।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि ना ग्राम में मृत्यु भोजन होने की सूचना सबसे पहले मेरे द्वारा स्थानीय डी. एस. पी. ब्यावर वाले को दी गई ?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री फतेहसिंह : क्या यह बात सही है कि इसके बाद डी. एस. पी. ब्यावर अपने पुलिस अमले को लेकर उस गांव गये थे ?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि डी. एस. पी. ब्यावर ने ग्राम मोयराना में मृत्यु भोज का स्मारक, जिसको पथवारी कहते हैं, को निर्मित होते देखा था ?

श्री खेतसिंह : यह गलत है।

श्री फतेहसिंह : यह सही है।

श्री विजयसिंह रावत : यह बिल्कुल सही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह रावत : रिश्वत लेकर इस तरह मामले को खत्म कर दिया और आप उसको बचाना चाहते

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गुस्सा क्यों होते हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : एक विधायक यहां जो कह रहे हैं वह गलत बोलते हैं और आपके विभाग ने जो आपको सूचना दी है उसको आप सही मानते हैं।

श्री खेतसिंह : कतई गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको झूठ से चिढ़ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : थोड़ा धीरे बोलिये।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा धैर्य से ! थोड़ी शांति से ! इतनी उग्रता अपेक्षित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मिलिट्री के हैं।

श्री अध्यक्ष : मिलिट्री यहां नहीं है। यहां सब नार्मल हैं

श्री फतेहसिंह : क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा सूचना यह मृत्यु भोज होने के चौबीस घंटे पहले स्थानीय डी. एस. पी. को दे दी गई थी ?

श्री खेतसिंह : मैं सब आपको बता देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : इन सब बातों का उत्तर दे दीजिये। और कोई प्रश्न है ?

श्री फतेहसिंह : क्या यह बात सही है कि उस दिन उस गांव में 14 बारातें आई थीं और 14 शादियां थीं ?

श्री खेतसिंह : सब का जवाब दे देता हूँ।

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि डी. एस. पी. ने इन चौदह बारातों को वहां स्वयं देखा था ?

श्री खेतसिंह : जी हां। मेरे पास उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने तारीख 25 को उस गांव में मोसर होने की इतला दी, इनको जो पत्र रावत .....

श्री अध्यक्ष : वीर रावत !

श्री खेतसिंह : उसके सम्पादक महोदय ने दी थी। उनकी जानकारी पर पता लगाया 15 तारीख को पुलिस मौके पर पहुंची और सारी जानकारी हासिल की। उसके बाद में 25 को पता लगाया, लेकिन कोई मौसर नहीं हुआ। उसके बाद तारीख 3 को, 3-1-67 को इन्होंने फतेहसिंह जी, मेजर फतहसिंहजी, विधायक महोदय ने एक श्री··

श्री फतेहसिंह : राशा सिंह !

श्री खेतसिंह : उसकी मार्फत एक दरख्वास्त दिलाई। उसके ऊपर आप खुद डी. एस. पी. से मिले थे। वह तीन को मौके पर गये, मौके पर जाकर उन्होंने सब घरों की छानबीन की, पता भी लगाया। उनके साथ सरपंच भी थे, गांव के मुखिया भी मौजूद थे। सबके सामने उन्होंने पता लगाया कि कोई मौसर नहीं हो रहा है। लेकिन तारीख चार को वहां 13 बच्चियों की शादी होने वाली थी। यह बात सही है। फिर वह जांच करके आ गये। उसके बाद तारीख 4 को वापिस डी.एस.पी., एस.एच.ओ. को लेकर, पुलिस पार्टी को लेकर सबेरे नौ बजे वहां पहुंच गये और शाम को 7 बजे तक वहां बैठे रहे लेकिन वहां मौसर कहीं नही था, शादियां जरूर हुई। और उनकी जो कुमकुम पत्रियां वगैरह जो छपी थीं, आप चाहें तो वह मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : हमें आवश्यकता नहीं है।

श्री खेतसिंह : तो इस प्रकार शादियां हुई थीं, मौसर नहीं था।

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़े महत्व का है, यह मृत्युभोज निवारक कानून पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये बनाया गया था। जो मंत्री महोदय ने कहा है उसको मैं चैलेंज करता हूं और इसे अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न बनाने को तैयार हूं...

भूतपूर्व ह. मेजर हरिसिंह आये, उनके पिता का देहान्त हो गया था, क्योंकि पिछड़ी जाति के थे, लोगों ने उन्हें मौसर करने के लिये, उकसाया और उन्होंने मौसर करने का निश्चय किया। 140 मन शक्कर गलने वाली थी। जब हमें मालुम हुआ तो समाज के सुधारकों के नाते हमने उस मौसर को बन्द कराने की योजना बनाई, और 25 तारीख को मौसर होने वाला था उसको बन्द करवाया लेकिन फिर 3 तारीख को मालूम हुआ कि लोगों के उकसाने की वजह से मौसर हो रहा है और जब मुझे निश्चित् रूप से मालूम हो गया कि मौसर होने वाला है तो मैं डी. वाई. एस. पी. से मिला। वे मौके पर आये और उन्होंने मौसर का जो स्मारक होता है, उस पथवारी को बनते हुए उन्होंने देखा था। सुबह गया तो डी. एस. पी. साहब में उत्साह था लेकिन शाम को मैंने उनका उत्साह मन्द पाया, उनका उत्साह मन्द क्यों हुआ, इसका अन्दाज आप लगा सकते हैं।

फिर उन्होंने कहा कि आप लोग हमें बताइये कि कौन से मकान में लप्सी बनी पड़ी है, कोई मौसर नहीं हो रहा है यह जरूर मालूम हुआ है कि 10-14 बारातें आ रही हैं। मैंने कहा कि डी. एस. पी. साहब यह पिछड़ी जाति के सुधार का मामला है, आप हमें इसमें मदद कीजिये लेकिन जब उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रही तो मैंने 'वीर रावत' के सम्पादक राशासिंह को कहा कि वे एस. पी. और कलेक्टर से मिलें, दूसरे दिन 4 तारीख को राशासिंह और श्रीनगर पंचायत समिति के प्रधान श्री शंकरसिंह कलेक्टर साहब से मिले। शंकरसिंह प्रधान ने एफेडेविट दिया कि मौसर होने वाला है। जब कलेक्टर साहब को विश्वास हो गया कि मौसर हो रहा है तो उन्होंने एस. पी. को आदेश दिया कि तत्काल कार्यवाही की जाय। राशासिंह वह आदेश लेकर एस. पी. के पास गये। फिर डी. एस. पी. से मिले और वह आदेश उनको दिया, पर उन्होंने यही कहा कि कोई मौसर नहीं हो रहा है, शादियां होने वाली हैं, बारातें 4 बजे आयेंगी...

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : यह प्रश्न है या भाषण है?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मिश्रित भाषण है।

श्री फतेहसिंह : यह राजस्थान की पिछड़ी जातियों के उत्थान का सवाल है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वह आदेश उनको 11 बजे दिया, उन्हें फौरन मौके पर जा कर सामान पकड़ना चाहिये था पर वे अपराधियों को समय दे रहे थे, ताकि अपराध के सब निशानों को वे लोग मिटा दें। 11

(श्री फतेहसिंह)
बजे सुबह उनको आदेश दिया गया पर वे वहां से 2।। बजे रवाना हुए। कानून का उल्लंघन करने के लिये 13 बारातों का बहाना बनाया गया था। मैं इसे चैलेंज करता हूँ कि डी. एस. पी. द्वारा इस मामले को रिश्वत खा कर दबाया गया है। इस राजस्थान सरकार का भगवान ही मालिक है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

श्री फतेहसिंह : एक तरफ तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग हमें सहयोग दें और जब हम सहयोग देते हैं तो इस प्रकार मामलों को दबाया जाता है। अपराध करने की छूट दी जाती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, हम सहयोग देते हैं और सहयोग देने को तैयार हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, जो सूचना सरकारी अधिकारियों ने हमें दी उसी के आधार पर सदन में यह सूचना दी गई है। अब माननीय सदस्य इतना एम्फेटिकली असर्ट कर रहे हैं तो मैं भी तैयार हूँ इसकी प्रॉपर इन्क्वायरी कराने के लिये और एक सीनियर आफीसर, एडीशनल आई. जी. पी. को इसके लिये मुकर्रर करूंगा इन्क्वायरी के लिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे पूरा सहयोग करें एन्क्वायरी में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। 136।

ग्राम नैनवा व ग्राम हिन्डौली की नल-योजना

136. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी के नगर नैनवा व ग्राम हिन्डोली में नल-योजना का उद्घाटन किस तारीख व किसके द्वारा किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों स्थानों पर काम शुरू अभी तक नहीं किया गया है ?

(3) काम शुरु नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(4) इसका काम दोनों स्थानों पर कब-कब शुरू होगा ?

जन-सम्पर्क मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) नैनवा की नल-योजना का शिलान्यास 10-2-67 को व हिन्डौली नल-योजना का उद्घाटन 9-2-67 को श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा किया गया था।

(2) हिन्डौली नल-योजना का कार्य शुरू कर दिया गया है नैनवा का नहीं।

(3) ग्राम हिन्डौली की जल-वितरण योजना का निर्माण कार्य हाथ में ले लिया गया है। नैनवा की योजना को बीमा निगम से मिलने वाले 2 करोड़ रुपये के ऋण की धनराशि में सम्मिलित किया हुआ है। बीमा निगम से ऋण प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(श्री हरिदेव जोशी)

(4) ग्राम हिन्डोली नल योजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। नैनवा की योजना की बीमा निगम से ऋण प्राप्त होने पर उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री केशरीसिंह हाडा : हिन्डौली की नल योजना का कार्य किस तारीख से शुरू किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास ठीक तारीख नहीं है, पर इस वर्ष इस योजना के लिये 40 हजार रुपया रखा हुआ है जो मार्च अप्रेल तक खर्च किया जायगा। 112 हजार में से बाकी रकम नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड की जा रही है।

श्री केशरीसिंह हाडा : मुझे अफसोस है। रुपया रखा जा रहा है यह तो मंत्री महोदय ने फरमा दिया पर काम किस तारीख से चालू हुआ है, मह मन्त्री महोदय को कतई पता नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि वाकई इस योजना का काम चालू हुआ है या नहीं। आप तारीख बतलावें।

श्री अध्यक्ष : वाकई काम चालू हुआ है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जो सूचना है उसके अनुसार वाकई काम चालू हो गया है। बाकी का काम नेक्स्ट ईयर में किया जायगा। अलबत्ता मेरे पास सूचना है कि इसका 5 परसेंट जो पंचायत को कन्ट्रीब्यूट करना चाहिये था वह कन्ट्रीब्यूट नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : बृजसुन्दर जी के सिवा और कोई नहीं मिला उद्घाटन करने के लिये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री केशरसिंह हाडा : केवल सदन को गुमराह करना ठीक नहीं है। काम चालू नहीं हुआ है, अब कर दिया जाय तो पता नहीं है, आज तक तो शुरू नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन करने से पहले यह आवश्यक है कि जिस मन्त्री महोदय द्वारा इस प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन किया जाय, वे उद्घाटन करने से पहले इस बात की पूरी तहकीक कर लें, कि उन योजनाओं को पूरा करने के लिए सारे वित्तीय साधनों का प्रोवीजन कर लिया गया है ? सरकार द्वारा सारे वित्तीय साधनों की पूर्ति कर ली गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसकी पूर्त्ति होती है तभी शुरूआत करने की योजना होती है।

श्री भैरोंसिंह : जब इसका उद्घाटन कर दिया गया.....

श्री हरिदेव जोशी : शिलान्यास किया।

श्री भैरोंसिंह : एक ही बात है, जब शिलान्यास किया तो शिलान्यास करने से पहले मन्त्री महोदय ने यह यकीन कर लिया था कि इस योजना को पूरा करने के लिए सारे वित्तीय साधनों की पूर्त्ति कर ली गई है ?

Page No.27

श्री हरिदेव जोशी : पैसों का प्रोविजन कर दिया गया था इसी लिए शिलान्यास किया ।

श्री भैरोंसिंह : इन दो योजनाओं का शिलान्यास किया तो क्या शिलान्यास करने वाले मन्त्री महोदय ने राज्य सरकार की सारी वित्तीय स्थिति का अवलोकन कर लिया था कि जिन योजनाओं का वे शिलान्यास कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए सारी वित्तीय साधनों की पूर्त्ति कर ली गई है ।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक हिन्डोली की योजना का सवाल है पूरा कर लिया गया । दूसरी जो म्युनिसिपल टाउन की है, म्युनिसिपल टाउन को प्रोवाइड कर दिया था और उसमें सवाल यह था कि एल. आई. सी. से पैसा मिलने वाला था पर कुछ टैक्निकल आपत्तियों के कारण कि म्युनिसिपैलिटी का रेजोलूशन पास नहीं हुआ था इसलिए उसमें देर हुई ।

श्री भैरोंसिह : तो क्या इससे यह मान कर चलें कि शिलन्यास के पूर्व इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास उपयुक्त धनराशि थी ?

श्री हरिदेव जोशी : इसी आधार पर कि एल. आई. सी. से पैसा मिलेगा. . . .

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : एल. आई. सी. से क्यों नहीं पैसा मिला, उसके लिए भारत के वित्त मन्त्रीजी ने संसद में कहा है, दो करोड़ रुपया मिलने वाला था वह राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता के कारण नहीं मिला ।

श्री हरिदेव जोशी : वित्त मन्त्रीजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा । स्टेटमेंट की कापी मेरे पास है, उसके लिए मैंने लिखा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय. .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान के संसद सदस्य ने एल. आई. सी. से मिलने वाले 2 करोड़ रुपयों के मामले में संसद में सवाल उठाया था. . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! मेरे पास 15 प्रश्न और हैं अगर आप माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्हें नहीं पूछा जाय तो दूसरी बात है । मन्त्री महोदय ने इसको समझ लिया है, आपने भी समझ लिया है, माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रश्न पूछ लिये हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, यह गम्भीर प्रश्न मेरे सामने पहले ही उपस्थित है, वह पूरा हो जाय तो फिर दूसरा पूछ लें ।

श्री भैरोंसिंह : जिन मन्त्री महोदय के शिलान्यास करने से काम पूरा नहीं होता है, वह शिलान्यास उठा लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : या उनकी तनख्वाह से पैसा काट कर उस फार्म को पूरा कराया जाय ।

(12 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा।

जैसलमेर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

137. **श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के माध्यम से सीमान्त सड़कों का कार्य जैसलमेर क्षेत्र में आरम्भ किया गया था और अपूर्ण कार्य रुका पड़ा है? अगर हां, तो अपूर्ण कार्य रोकने के क्या कारण हैं और आज तक कितना सड़क निर्माण कार्य, पूर्ण हो चुका है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने अपने कार्य कान्ट्रेक्ट की अवधि और शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं किये हैं। अगर हां, तो किस ठेकेदार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही आज तक गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट के माध्यम से भी कार्य किया और वह भी अपूर्ण ही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या भविष्य में सरकार इस अपूर्ण सड़क कार्य को पूर्ण करने की योजना रखती है? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा?

(4) सरकार सीमा सड़क निर्माण कार्य में दोहरी व्यवस्था क्यों रखती है—एक ठेकेदार के माध्यम से और दूसरी अपने विभागीय माध्यम से? आज तक जो कार्य हुए उनके अनुसार कौनसी व्यवस्था सफल और मितव्ययी रही है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए 15 दिन की मोहल्लत दी जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : मन्त्री महोदय के पास किसी प्रश्न की सूचना नहीं है। ऐसा विभाग भी क्या है जो मन्त्री को जवाब नहीं दे रहा है। यह मन्त्री महोदय की प्रतिष्ठा का सवाल है। जितने भी सवाल पूछे गए, किसी की सूचना नहीं मिली, अध्यक्ष महोदय, थोड़ी रक्षा आप भी कीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं यही रक्षा कर सकता हूँ कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय, इसमें आपकी भी रक्षा हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : यह बोर्डर रोड्स का मामला है। अगर पूरे बोरडर की नहीं देते सिर्फ एक जिले की भी जानकारी नहीं दे सकें तो मुश्किल है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: अगर सवाल का जवाब आता तो क्यों रुका रहता। दोनों एक साथ के तरीके के सवाल हैं इसलिए मैंने इजाजत मांगी हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले वाले सवाल में तो सारी सीमांत सड़कों की जानकारी चाही, दूसरा सवाल तो केवल जैसलमेर तक ही सीमित है, उसकी तो जानकारी दे देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जैसी तैसी दे सकते हैं तो दी जाय।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: जैसी तैसी कैसे दी जाय। जवाब तो सही आना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, या तो जानकारी दिलायें या ऐसी व्यवस्था करें कि रूल्स के अन्दर जो 15 दिन का प्रावधान है उसको हटादें। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को मन्त्री एस्केप करना चाहें तो उचित नहीं होगा। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूँ कि सूचना विभाग के पास आ गई उसने डिप्टी मिनिस्टर को भेजी, उन्होने समझा कि मामला उलझन का है, वह जयपुर छोड़कर जोधपुर चला गया''

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा फासला पार करना पड़ा? मन्त्री महोदय इसका शीघ्रातिशीघ्र उतर देंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। सूचना नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : आपके हाथ फाइल कल। साढ़े पांच बजे पहुंच गई?

श्री अध्यक्ष : बिना सूचना थी के।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: अगर ऐसी बात हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक्शन लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने अधिकारी से फोन से कोई बात कही कि चिन्ता की बात नहीं है फाइल भेज दी जाय। उसने आपको कहलाया कि फाइल लेकर आ रहा हूँ बिराजमान रहिए।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लेकिन यह जरूरी नहीं कि फाइल में इन्फरमेशन मौजूद हो।

श्री भैरोंसिंह : फाइल में पूरी इन्फरमेशन है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वह फाइल इन्कम्पलीट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये सवाल लोकसभा और राज्यसभा में उठाए गए हैं, सीमा की सड़कों के बारे में, आपके जवाब के आधार पर ही वहां उत्तर दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस प्रश्न को स्थगित किया है, मेरे पास और क्या चारा है? मंत्री महोदय के पास सूचना नहीं, उपमंत्री यहां है नहीं, अब सब विवशतायें मंत्री महोदय पर पड़ी हुई हैं। इसको जल्दी लिया जाय।

श्री फूलचन्द बाफना।

ग्राम सादड़ी को नल–योजना

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या जन–स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत आम चुनावों के ठीक पहले सादड़ी (जिला पाली) में नल योजना की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई थी किन्तु कार्य अभी तक भी चालू नहीं हुआ है? यदि हां तो कार्य आरम्भ कब तक हो जायगा?

(जनस्वास्थ्य मंत्री के स्थान पर)

जन सम्पर्क मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं। दिनांक 29-12-66 को नल

(श्री हरिदेव जोशी)
योजना का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था। यह योजना बीमा निगम से मिलने वाले 2 करोड़ रुपये के ऋण में शामिल करली गई है। वह स्वीकृत होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री फूलचन्द बाफना : अंदाजन समय बता सकेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : इस वित्त वर्ष में पैसा आ जाना चाहिए और जल्दी काम शुरु हो जायगा।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या यह सही है कि आपने फैसला किया है कि जो लोग विरोधी पक्ष के हैं उनके क्षेत्रों में नल-योजनाओं के काम बन्द किया जायं ? इस प्रकार की बातें आपने रामगंजमंडी और दूसरी जगहों पर कही हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह आपके मन का भ्रम है। किसी नगरपालिका की कोई योजना शुरु नहीं हुई।

श्री जुझारसिंह : आपने रामगंजमंडी में नलयोजना के बारे में कहा है कि क्योंकि यहां पर कांग्रेस का सदस्य नहीं जीता है इसलिए यह योजना चालू नहीं की जायेगी ?
(विरोधी पक्ष द्वारा शेम, शेम की ध्वनि)
इसी तरह की बातें आपने कही हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप यह बिल्कुल असत्य बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि यह भ्रम मात्र है।

श्री जुझारसिंह : उन्होंने जनता के सामने कहा है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या नगरपालिका सादड़ी ने लोन फार्म भरकर आपको भेजा है ?

श्री हरिदेव जोशी : कई नगरपालिकाओं ने किया है। प्लान में आ गया है। किन्तु जीवन बीमा निगम का कहना है कि सब के फार्म आ जाने पर कन्सोलीडेट करेंगे इसलिए वेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

जिलाधीश कार्यालयों में अधिकारियों के कार्य करने का समय

139. **श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सभी कलेक्टर कार्यालयों में उच्चतम अधिकारियों को किस समय से किस समय तक काम करना पड़ता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उन्हें लंच, चाय आदि के लिए समय दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना और किस समय से किस समय तक ?

(3) क्या यह सत्य है कि कई जिलों में सभी अधिकारीगण चाय के समय एक साथ बैठकर चाय पीते है ? यदि हां तो किस समय से किस समय तक ?

(4) क्या यह सत्य है कि इसके कारण जनता में बड़ा भारी असंतोष रहता है ? यदि हां तो सरकार इस समस्या का निराकरण करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उपमंत्री सामान्य प्रशासन (राव श्री धीरसिंह) :

(1) प्रत्येक जिलाधीश कार्यालय में उच्चतम अधिकारी के लिए 9 बजे से 5–30 तक का कार्यालय समय है। प्रतिवर्ष शीत काल में (15 नवम्बर से 15 फरवरी) कार्यालय समय 9 बजे से 5 बजे का होता है। पूरे साल डेढ़ घंटे का अल्पहार समय भी इसमें सम्मिलित है।

(2) जी हां। अल्पाहार का समय 1 बजे से 2–30 बजे तक होता है, यह समय उन अधिकारियों के लिए है जो कार्यालय में पूर्वान्ह 9 बजे आते हैं। कार्यालय में 10 बजे आने वाले अधिकारियों का अल्पाहार समय 1–30 बजे से 2 बजे तक का होता है।

(3) अधिकारीगणों को अल्पाहार के समय में एक साथ बैठकर चाय पीने की कोई मुमानियत नहीं है।

(4) जनता में असन्तोष सम्बन्धी शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार ठीक समझती है कि सरकारी अधिकारी कलेक्टर के कार्यालय में इकट्ठे होकर जलपान करें, मनोरंजन करें, वहां पर जनता बाहर खड़ी रहे और आप समझते हैं कि सिर्फ आधा घंटा ही अल्पहार पर लगाते हैं।

राव श्री धीरसिंह : जो समय निर्धारित है यह 1 से 2–30 है उसके दौरान बैठ कर चाय या खाना खाना चाहें तो कर सकते हैं, मनोरंजन करने के लिए यह समय नहीं दिया जाता है, यह अल्पाहार के लिए निर्धारित है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : यह गंभीर नीति संबंधी सवाल है। चाहे सरकार इसे लाइटली ले पर होता यह है कि सभी अधिकारी बैठ जाते हैं वहां पर और शाम के 5 बजे तक गप्प लड़ाते रहते हैं, तारीख पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर भरतपुर के कार्यालय का रेकार्ड उठाकर देखें, महीनों तक लगातार तारीखें पड़ती हैं, एक मिनट का काम नहीं होता। सभी अदालतों का रेकार्ड देखेंगे तो इस तरह गड़बड़ी और षड़यंत्र रचे जाते हैं, तो व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था फैल रही है।

श्री मूलचन्द डागा : जो लन्च का समय मुकर्रर किया है उसमें बाद तीन बजे से साढ़े तीन बजे तक जलपान के लिए इकट्ठे होते हैं ? क्या यह सही है ?

राव श्री धीरसिंह : जो समय निर्धारित है उसके अतिरिक्त अगर इकट्ठे होते हैं तो मैं आपकी सुविधा के लिए एक सक्यूंलर तमाम कलक्टर्स को जारी करूंगा कि निर्धारित समय के अलावा कोई भी चाय पीने के लिए एक ही जगह एकत्रित न हों।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने एक से ढाई अल्पहार के लिए उन अधिकारियों के लिए रखा है जो 9 बजे आते हैं। क्या आप किसी जिला हैडक्वार्टर के लिए बता सकते हैं कि

कोई भी अधिकारी सिवा कलेक्टर के 9 बजे आता है ?

राव श्री धीरसिंह : 9 बजे आने का समय सचिवालय के उप सचिव व उसमें ऊपर के अधिकारियों के लिए, सुपरिन्टेन्डेन्ड पुलिस व विभागध्यक्षों के लिए है। नीचे के अधिकारियों के लिए 10 से 5॥ बजे तक है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि नीचे वाले भी एक से ढाई तक···

श्री मूलचन्द डागा : कलक्टर मेरे खयाल से 9 बजे अपने कार्यालय में नहीं आते हैं और प्रार्थना पत्र लेने का समय क्या है उनका ?

राव श्री धीरसिंह : आप खयाल की बात कहते हैं या फैक्ट की ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं फैक्ट की बात कहता हूं फाइल के आधार पर।

राव श्री धीरसिंह : अगर किसी कलेक्टर के बारे में आपकी शिकायत है कि वह 9 बजे नहीं आता है तो बतायें तो राज्य सरकार विचार करेगी। हम एक्शन लेने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल व्यास के खड़े होने पर), आर्डर आर्डर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जरूरी सवाल है।

श्री अध्यक्ष : 15 सवाल और हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बार एसोसिएशन्स ने मिलकर शिकायतें की हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह (मकराना) :

पंचायत समिति मकराना के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

140. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना पंचाएत समिति के गांव रामसिया और उसके आस पास के 23 गांवों का पानी खराब होने के कारण पीने वालों के शरीर में नुक्स हो जाता है और कम उम्र में ही किसी का हाथ, किसी का पैर का शरीर का बल खा जाता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी हां।

(2) ग्राम रामसिया व पंचायत समिति मकराना के अन्य समस्त गांवों में पेय जल समस्या को हल करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है और स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा हुआ है। स्वीकृति प्राप्त होने व धन की उपलब्धि पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरा सवाल है कि गांव रामसिया और उसके आसपास के गांवों का पानी खराब होने के कारण बीमारी हो जाती है। लोग दूसरी जगहों से पानी भर कर लाते हैं। सारे मंत्रियों से निवेदन किया गया··

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल,जयपुर) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपनी ओर से भी, मैं पहले प्रश्न के उत्तर में पूछ रहा हूँ जिसमें राज्य सरकार ने माना है कि यह सही है कि पानी से बीमारी हो जाती है । तो क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई महत्वपूर्ण योगदान करेगी ? भारत सरकार से स्वीकृति आयेगी, उसमें 10-5 वर्ष लग जायेंगे तब तक वहां की जनता तो मर जायगी ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार ने अपनी ओर से सर्वे करवाया है और यह मामला पंचायत समिति और जिला परिषद् को दिया गया, किन्तु पंचायत समिति ने और जिला परिषद् ने तो इसको प्रायोरिटी में भी नहीं लिया है । राज्य सरकार को जितना धन उपलब्ध होता है और कितना कितना कहां कहां खर्च करना चाहिये वह करती है । जिला परिषद् को पूछते हैं तो मुझे खेद है, मैंने रेकार्ड देखा है कि उन्होंने इसे प्रायोरिटी में भी नहीं लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आप स्वायत्त शासन संस्थाओं से बिना पूछे कोई धन खर्च नहीं कर सकते ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक कुओं के पानी का सवाल है यह कार्य पंचायत समितियों को सौंपा जाता है कि उनको क्या करना है । यह पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, ड्रिंकिग वाटर का सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि पंचायत और पंचायत समितियों को इस प्रकार के सार्वजनिक काम करने के लिए, खर्च करने के लिये दिये हुये रुपयों की व्यवस्था आप करते हैं तो राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक प्रायोरिटी देने की अक्यूट चीज है, पंचायत और पंचायत समितियों को राज्य सरकार के सामने स्थिति को रखना चाहिये और जहां तक कुओं के फंड का सवाल है वह पंचायत समितियों को अलाट कर देते हैं कि वह वहां काम में लावे ।

श्री भैरोंसिंह : फंड के रखने का सवाल है । यह तो माननीय सदस्य ने स्वीकार कर लिया है कि पंचायतें राजनैतिक विद्रोह के कारण प्राथमिकता नहीं दे पाती हैं, तो क्या सरकार अपनी ओर से खर्च करके यह व्यवस्था करने को तैयार नहीं हो सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : पंचायत समितियों को ही यह कार्य सौंपा गया है वही इस कार्य की एजेन्सी का कार्य करती है । रुपया खर्च करने की एजेन्सी का कार्य उनके पास ही है ।

श्री भैरोंसिंह : उसके बिना गवर्नमेंट कोई भी रुपया इस प्रकार के कामों में खर्च नहीं कर सकती है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सवाल नहीं है, सवाल है प्राथमिकता देने का । मैंने अभी पोइन्ट आउट किया है कि यह पंचायत समितियों के लेवल पर ही होता है । माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं । उनको स्ट्रेस करना चाहिए ।

श्री भैंरूंसिंह : वह नहीं करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं करते हैं तो उनको देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मेरा प्रश्न रह गया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कइयों के रह गये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इनका खास तौर से रह गया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाडिया : बडा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण हैं, जो अवशेष हैं और आपका बीच का प्रश्न है वह महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी अनुपस्थिति में चला गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप लिबरल होकर इस ओर ध्यान देंगे। मंत्री महोदय की कार से मृत्यु हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : उसको इतना महत्व देते हैं तो प्रश्न पूछने के समय उपस्थित क्यों नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाडिया : आप संकेत करते हैं अध्यक्ष महोदय की कुर्सी को कि इस प्रश्न को नहीं लिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : इसका मतलब . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! यह प्रश्न संकेत का नहीं है। 12-15 प्रश्न और जो अवशेष हैं। आपका प्रश्न बीच का है। इन 12-15 प्रश्नों के लिये क्या कहूँ–माननीय सदस्यों को, जिनके नहीं लिये गये हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह तो बीच का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मुझे 13 सदस्यों को उत्तर देना पड़ता है। इसलिये है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह दूं तो 13 और रह जाते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(**अश्रव्य**)

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी आपको इस बारे में नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप तो बार बार कहते ही रहते हैं। मैं थक जाता हूं आपके कहने से।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस प्रश्न को ले लें, अध्यक्ष महोदय। बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

कोटपूतली के निकट कार दुर्घटना में मृत्यु

122. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20 मार्च, 1967 को कोटपूतली के निकट श्री मंगतूराम माली एक कार दुर्घटना से तुरन्त घटनास्थल पर ही मर गये ?

(2) क्या यह सही है कि यह गाड़ी घटनास्थल पर बिना रुके ही वहां से जयपुर की ओर तेज रफ्तार से चली गई ?

(3) क्या यह सही है कि शाहपुरा के हैडकान्स्टेबल ने इस गाड़ी को सड़क पर रोक लिया जिसको एक मंत्री महोदय चला रहे थे और उसका नम्बर 2515 था ?

(4) क्या यह सही है कि कोटपूतली थाना में यह केस रजिस्टर किया गया परन्तु इसमें 20 अप्रेल, 1967 को फाईनल रिपोर्ट दे दी गई और मामले को दबा दिया गया ?

उप मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, दिनांक 20-3-67 को कोटपूतली के निकट ग्राम सड़क पर श्री मंगतूराम माली की एक कार दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई उसका पता नहीं लगा परन्तु घटनाग्रस्त कार का पता लगाने के सिलसिले में कार नं. आर. ए. एल. 2515 को हैडकान्स्टेबल, शाहपुरा थाना ने रोक कर चैक किया था उस गाड़ी में भूतपूर्व मंत्री श्री बी. के. कौल कार की पिछली सीट पर बैठे हुये थे। वे स्वयं कार नहीं चला रहे थे। इस कार द्वारा श्री मंगतूराम की मृत्यु, का होना नहीं पाया गया। इत्तला जो हुई उसमें जिस कार से टक्कर लगना बताया गया उसका रंग काला बताया गया था जब कि इस उक्त नम्बर की कार का रंग सफेद था। इसके अतिरिक्त इस कार पर दुर्घटना ग्रस्त होने के कोई अलामात एवं टूट फूट के निशानात भी नहीं पाये गये थे।

(4) जी हां, परन्तु मामले का दबाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : परन्तु क्यों लगा दिया ?

श्री खेतसिंह : भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी मुलजिम का पता न लग सकने के कारण मुकदमा अदम पता में रहा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसमें गाड़ी के रंग का कोई भी उल्लेख नहीं था ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो जानकारी है, उसमें दो गाड़ियां बताई हैं और दोनों का रंग काला है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एफ. आई. आर. की इनफार्मेशन की बात कर रहा हूं।

श्री खेतसिंह : मैं भी एफ. आई. आर. के बारे में कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एफ. आई. आर. में यह उल्लेख है कि इस गाड़ी का रंग काला था ?

श्री खेतसिंह : एफ. ग्राई. ग्रार. में यह बात है कि दो गाड़ियां वहरोड़ की तरफ से जयपुर की ग्रोर जा रही थीं, उनका रंग काला था।

श्री भैरोंसिंह : यह जो ग्राप बोल रहे हैं, वह एफ. ग्राई. ग्रार. से नहीं बोल रहे हैं। जो ग्रधिकारियों ने ग्रापको कागज दिये हैं, उससे बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह : एफ. ग्राई. ग्रार. ग्रोरिजिनल मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये उन्होंने जो लिखकर दिया है वही बोल रहे हैं। क्या यह सही है कि इस मामले में फाईनल रिपोर्ट दे दी गई?

श्री खेतसिंह : एफ. ग्रार. दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : जिस कान्स्टेबल ने उस गाड़ी को रोका, उसके पीछे जयपुर के एक प्रतिष्ठित घराने के व्यक्ति कार लेकर ग्रा रहे थे ग्रौर उन्होंने कार का पीछा किया ग्रौर शाहपुरा या प्रागपुरा में गाड़ी रोकी। हैडकान्स्टेबल उसको नहीं रोक सका।

श्री खेतसिंह : ग्रापने जो कहा है उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हैड कान्स्टेबल उस गाड़ी को नहीं रोक सके ग्रौर जयपुर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री ललितकुमार ग्रग्रवाल जो ग्रपनी गाड़ी में ग्रा रहे थे, उस घटनास्थल पर रुके ग्रौर उस गाड़ी का पीछा किया? क्या यह सही है कि श्री ललितकुमार ने यह कहा कि यह एक्सीडेन्ट इसी गाड़ी से हुग्रा है। क्या यह भी सही है कि श्री ललितकुमार ग्रग्रवाल ने यह कहा।

श्री खेतसिंह : यह तो ग्राप कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री ललितकुमार का कोई स्टेटमेंट रेकार्ड नहीं किया?

श्री खेतसिंह : मेरे पास तफतीश फाइल है नहीं उनका स्टेटमेन्ट लिया गया था या नहीं, यह मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस ग्रादमी ने परस्यू किया था उसका स्टेटमेन्ट लिया गया या नहीं, यह तो जानकारी महत्वपूर्ण है?

श्री खेतसिंह : ललितकुमार जब शाहपुरा पहुंच गये थे उस वक्त में दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसको ललितकुमार ने भी देखा ग्रौर हैडकान्स्टेबिल ने भी, गाड़ी पर कोई ग्रलामात नहीं थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): गाड़ी का मेकेनिकल एक्सपर्ट से ऐग्जामिनेशन करवाया था क्या?

श्री खेतसिंह : एक्सपर्ट का सवाल तो बाद में ग्राता है उससे एक्सीडेन्ड हुग्रा होता तो खून भी लगा होता, ग्राप तो रोजाना देखते होंगे एक्सीडेन्ट। खास तौर से उन दिनों तो राष्ट्रपति शासन था उस समय यह बात नहीं हो सकती कि किसी प्रकार से केस को दबाया जाय उस समय ग्राप तो सरकार वनाने की कोशिश में थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि शाहपुरा में हैड कान्स्टेबिल गाड़ी को रोक

(श्री भैरोंसिंह)
नहीं सका वह गाड़ी का पीछा करते करते जयपुर में माननीय मंत्री महोदय के बंगले तक पहुंच गया वहां मेकेनिकल एक्सपर्ट से एग्जामिन कराना चाहा लेकिन उसको करने नहीं दिया।

श्री खेतसिंह : उनको तो शाहपुरा में ही रोक दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : शाहपुरा में रोका नहीं। आप भले ही इस मामले को दबाना चाहें दबायें इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि आज किसी मिनिस्टर की कार के नीचे आकर कोई व्यक्ति कुत्ते की मौत मर जाय और उसका मामला होता है तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष, उस समय तो वे मंत्री भी न थे और न मेम्बर थे। उस समय राष्ट्रपति शासन था।

श्री भैरोंसिंह : उस समय तो केस रजिस्टर हो गया लेकिन आपने तो उनको बिल्कुल बरी कर दिया, आपने तो बिलकुल फाइनल रिपोर्ट दे दी।

श्री खेतसिंह : इसमें केस को दबाने का सवाल ही नहीं उस समय तो वे मंत्री भी नहीं थे और न सदस्य ही थे।

श्री अध्यक्ष : आप उसके साथ भूत लगा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व मंत्री सही।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या उस कार का मेकेनिकल एक्सपर्ट से एग्जामिनेशन भी करवाया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय रावत स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : क्या वह कार चोरी हो गई ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : मेरा भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हाई ब्रीड बाजरे की फसल

130. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस खरीफ फसल में राजस्थान में हाई ब्रीड बाजरा कुल कितने एकड़ में बोया गया ?

(2) राज्य सरकार की ओर से कुल कितना हाई ब्रीड बाजरा का बीज बांटा गया और किस कीमत पर ?

(3) एक एकड़ में यह कितना बीज बोया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि हाई ब्रीड बाजरा में एक (हाइटग्रब) सफेद कीड़ा

(श्री दौलतराम सारण)
लग गया जिसने सारे हाईब्रीड बाजरे की फसल को चोपट कर दिया और कृषि विभाग के पास उसका कोई इलाज नहीं है ?

(5) जिन किसानों को हानि हुई है, क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी ?

उत्तर

(1) अनुमानित क्षेत्रफल 65,590 एकड़

(2) कुल 740-71 क्विटल। 8) रु० प्रति किलो हाई ब्रीड बाजरा बांटा गया।

(3) 1 से 1½ किलो प्रति एकड़।

(4) राज्य के जोधपुर, जयपुर, सीकर और भरतपुर जिलों में बाजरे की फसल पर कहीं कहीं इस कीड़े का प्रकोप हुआ था बाकी जिलों में कोई नुकसान नहीं हुआ। विभाग के पास इस कीडे को नष्ट करने का इलाज है जैसे बी. एच. सी., एल्ड्रिन, एंड्रन दवाइयां। दवाइयों के प्रयोग से कीड़े के आक्रमण को 20-25 प्रतिशत कम किया गया था। इस की कीड़े रोकथाम के प्रभावशाली नियन्त्रण हेतु अनुसंधान कार्य जारी है।

(5) फसलों में रोग व्याधि के लगने पर मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

सिलीसेढ़ के लिये यातायात के साधन

31. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिलीसेढ़, अलवर शहर से लगभग 9 मील दूरी पर स्थित एक रमणीक स्थान है जो कि अलवर-जयपुर रोड पर मुख्य सड़क से लगभग 3 मील पश्चिम की ओर है।

(2) क्या यह सही है कि इस स्थान तक आम लोगों के आने जाने के लिए कोई यातायात का साधन नहीं है इसलिए इस रमणीक स्थान पर तफरीह के लिए सामान्य जनता के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है ?

(3) क्या यह सही है कि यह राजस्थान स्टेट रोड़वेज के अलवर-जयपुर राष्ट्रीयकृत रूट से सम्बन्धित रूट है जो कि मुख्य सड़क से केवल 3 मील दूर है।

(4) क्या राज्य सरकार अलवर शहर से सीलीसेढ़ तक हर रविवार राजस्थान स्टेट रोडवेज की विशेष सर्विसें चालू करने की व्यवस्था करेगी ताकि आम जनता भी इस स्थान का तफरीह के लिए उपयोग कर सके।

उत्तर

1-सिलीसेढ़ अलवर से 9 मील की दूरी पर स्थित है। यह सही है कि सिलीसेढ़ अलवर-जयपुर मुख्य मार्ग से 3 मील पश्चिम की ओर है।

2-निगम की डेली सिड्यूल्स बसें सिलीसेढ़ नहीं जाती है। अलबत्ता देहली जयपुर चलने वाली वातानुकूलित बस सिलीसेढ़ होकर जाती हैं।

3-जी हां, यह मुख्य सड़क से केवल 3 मील दूर है।

(यातायात मन्त्री)

फिलहाल ऐसा कोई भी प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फलौदी में पागल कुत्ते के काट का इलाज

38. श्री दीपचन्द छंगाणी (फलौदी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नागरिकों की सुविधा के लिए पागल कुत्तों के काटने के इलाज की व्यवस्था राजकीय अस्पताल, फलौदी में कब से शुरू करवाने का विचार है ?

उत्तर

राजकीय अस्पताल फलौदी में पागल कुत्तों के काटने के इलाज की व्यवस्था नवम्बर 1966 से शुरू हो चुकी है।

फलौदी के ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की योजना

39. श्री दीपचन्द छंगाणी (फलौदी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वित्तीय वर्ष सन् 1967-68 में फलौदी तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में कितने ग्रामों में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की योजना है और किस किस ग्राम पंचायत प्रधान कार्यालय पर ?

उत्तर

वित्तीय वर्ष 1967-68 में फलौदी तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में कोई नया औषधालय नहीं खुल रहा है। कारण जो औषधालय खोले जाते हैं ये जिला परिषद् की सिफारिश एवं राज्य द्वारा निर्धारित आधार पर खोले जाते हैं जिला परिषद् जोधपुर से उक्त क्षेत्र में औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

प्रतापगढ़ से नीमच जाने वाली सड़क

40. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ़ से अमलावद, पानमोड़ी, थड़ा, बरड़िया होकर नीमच सड़क जाती है ? यदि हां तो यह सड़क कितने मील लम्बी है ?

(2) क्या यह सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थी ? यदि हां, तो अब तक यह सड़क कितने मील बन चुकी है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि यह सड़क काफी बड़े बड़े गांव व सात ग्राम पंचायत एरिया को कवर करती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है ? यदि हां, तो इस सड़क पर पूरा ध्यान कब तक दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह कच्ची सड़क है और राजस्थान सीमा में 16 मील है।

(2) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां, यह सड़क तीसरी योजना में स्वीकृत नहीं है और चौथी योजना अभी बनी नहीं है अतः नहीं कहा जा सकता।

राजस्थान वेतन आयोग

41. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वेतन आयोग के सदस्य व पदाधिकारी कौन हैं ? यह आयोग कब से कार्य कर रहा है ? इस आयोग द्वारा अब तक कितनी सिफारिशें की गईं और सरकार ने कितने प्रतिशत उन सिफारिशों को माना है ?

(2) आयोग ने कोई रिपोर्ट तैयार की है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रक्खें ?

उत्तर

(1) राजस्थान वेतन आयोग के एक मात्र सदस्य राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.एस. रानावत हैं। यह आयोग 7-6-67 से कार्य कर रहा है। इस आयोग द्वारा अभी तक कोई सिफारिश नहीं की गई हैं।

(2) आयोग ने अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

ग्राम बामला की कल्याण वृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि. के मैनेजर

42. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बारां के ग्राम बामला कल्याण वृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड के मैनेजर श्री रामचन्द्र शर्मा ने सन्, 1967 में कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के संचालक का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था और इसकी सूचना, मनोनयन पत्र भरने के बाद जांच समय, बैंक के चुनाव अधिकारी को भी दी थी ?

(2) क्या यह सही है उक्त मैनेजर आज भी बामला की उक्त सोसायटी में इसी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस नियम के तहत कार्य कर रहे हैं और विभाग ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, त्यागपत्र मंजूर न होने की वजह से श्री रामचन्द्र शर्मा अभी भी वैतनिक मन्त्री का कार्य कर रहे हैं। नियम का प्रश्न नहीं उठता। सहकारी विभाग द्वारा किसी नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जरूरत नहीं थी।

मूंज बाग सहकारी समितियां अलवर

43. श्री गंगासहाय (कठूमर)—क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मूंज बाग की सहकारी समितियां अलवर जिले में कितनी हैं ? उनकी सदस्य संख्या कितनी है ?

(2) कितनी सहकारी समितियों को ऋण व अनुदान दिया गया है तथा किन-किन वर्षों में और कितना-कितना ?

(3) क्या वे सहकारी समितियां आज भी कार्य कर रही हैं ? यदि नहीं कर रही हैं तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में मूंज बाण की सहकारी समितियों की संख्या 10 है उनकी सदस्य संख्या 175 है।

(2) 7 सहकारी समितियों को ऋण व अनुदान दिया गया है जिनके बारे में वांछित विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(3) तीन समितियां क्रम संख्या 2,3,4 कार्य कर रही हैं। समिति संख्या 6 अवसायन में है। शेष 6 कार्य नहीं कर रही हैं। इसका कारण सदस्यों द्वारा रुचि न लेना, ऋण प्राप्त न होना है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये।

गांधी चर्म उत्पादक सहकारी समिति, कस्बा लाडनूं

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं में गांधी चर्म उत्पादक नाम की सहकारी समिति बनी हुई है? यदि हां, तो वह कब बनी व बनते समय उसके कौन कौन सदस्य थे और बाद में कब कब कौन कौन सदस्य बनाये गये तथा पहले के सदस्यों में से किन किन को कब कब किन कारणों से अलग किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त सहकारी समिति को कब कब कितने कितने रुपये की सहायता व ऋण दिया गया और उसको किस किस कार्य में खर्च किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस सहकारी समिति के सदस्यों ने ही इस समिति के खिलाफ कब कब किस किस अधिकारी को अनियमित कार्य व गलत खर्च के लिये शिकायतें की और उन पर क्या र्यवाही की गई?

(4) क्या राज्य सरकार इस समिति के कार्य में संतुष्ट है?

(5) क्या सरकार इस समिति के कार्यों की सम्पूर्ण जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक जांच होगी? अगर नहीं, तो क्यों?

(4) मौजूदा समिति के सदस्य क्या क्या कार्य करते हैं तथा नगरपालिका सेवा के कर्मचारी इसके सदस्य हो सकते हैं या नहीं?

[स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा निवेदन किया गया।]

(12.23 म. प.)

श्री मोड़ूलाल मीणा भूतपूर्व सदस्य राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट

श्री अध्यक्ष: मैं एक दुखद घटना के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

मुझे सूचना मिली है कि मोड़ूलाल मीणा सदस्य द्वितीय राजस्थान विधान सभा का देहान्त 8 सितम्बर, 196 को हो गया है। वे हिन्डोली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित

Page No.42

हुए थे तथा वे मुवासा गांव के रहने वाले काश्तकार थे। विधान सभा में वे कांग्रेस दल के सदस्य थे।

मैं अपनी ओर से और माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनिट खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें

(सदस्यों ने दो मिनिट मौन रह कर श्रद्धान्जलि अर्पित की)

सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि ठा. मदनसिंह दांता ने दिनांक 18 जनवरी 1968 से एक महीने तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय।

आज्ञा प्रदान की गई

(स्वीकृत)

विशेषाधिकार प्रश्न

श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री रामकिशन, श्री बद्रीप्रसाद गुप्त, श्री विजयसिंह रावत व श्री देवीदत्त गाड़िया ने दिनांक 23-1-68 को एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि माननीय गृह मंत्रीजी ने श्री नाथूराम (बागीदुरा) सदस्य विधान सभा पर अनुचित दबाव डाल कर उन्हें मतदान हेतु ना पक्ष में ले गये और इस कारण उन्होंने सदस्य के स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने के अधिकारों का हनन किया है।

इस मामले में श्री नाथूराम (बागीदुरा) ने लिखकर मुझे यह सूचित किया है कि उपरोक्त सूचना में कही गई बात सही नहीं है। उन्होंने किसी के दबाव में आकर अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है। वे स्वेच्छा से लाबी में वोट देने गये थे।

चूंकि सम्बन्धित सदस्य ही उपरोक्त सूचना में दिये गये तथ्यों को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं, अतः गृह मंत्री जी द्वारा किसी प्रकार के विशेषाधिकार के हनन् किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ऐसी स्थिति में मैं विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): आज जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैंने सभी स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य देने का निर्णय दे दिया है।

श्री विजयसिंह रावत

अजमेर में मैजा नामक स्त्री का कुछ गुन्डों द्वारा अपहरण के सम्बन्ध में।

सर्व श्री रामकिशन, नत्थीसिंह हीराभाई, मुकुट बिहारी लाल गोयल, रामानन्द अग्रवाल, केदारनाथ, आदित्येन्द्र

Page No.43

भरतपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लगान की वसूली से सम्बन्धित ।

श्री देवीदत्त गाड़िया, वर्मा से आये हुए विस्थापितों को राजस्थान में बसाये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री मुन्नालाल, दूदू तहसील में तहसीलदार व पटवारियों की मनमानी सम्बन्धी मामल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान में मिट्टी के तेल की कमी से सम्बन्धित ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सीकर, चूरू, झुंझुनूं व नागौर जिलों में फसल की क्षति होने पर भी इन जिलों के किसानों से बकाया की वसूली के सम्बन्ध में ।

इसी प्रकार की जयपुर जिले में ओला वृष्टि व शीत के कारण कई गांवों में फसल को नुकसान होने सम्बन्धी विषय पर श्री सहदेव शर्मा ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा, जिला बूंदी में वन व वन पशुओं की समाप्ति के सम्बन्ध में ।

श्री सहदेव. श्री दुर्गालाल बाड़दार राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन हेतु कुओं में बिजली देने में अनियमित एवं भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने के सम्बन्ध में ।

श्री सहदेव : जयपुर नगरपालिका द्वारा बकरों पर टैक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

मैं इन सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं परन्तु मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री इन मामलों पर स्पष्टीकरण हेतु 29 जनवरी को वक्तव्य दें

श्री भैरोंसिंह : भूख हड़ताल पर लोग बैठे है . .

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल सवाई-माधोपुर व भरतपुर में डकैतियां ।

श्री मेघराज चूरू जिले में अकाल की स्थिति, श्री दिग्विजयसिंह बूंदी जिले में जंगली जानवरों का आतंक ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : मैंने अजमेर नगरपालिका के सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा 24 घ. में हस्त-क्षेप करने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव 22 जनवरी को दिया था उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी है ।

श्री अध्यक्ष : जितने भी स्थगन प्रस्ताव हैं उन सभी पर वक्तव्य देने के लिये मैंने कहा है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): राजस्थान कैनाल से सम्बन्धित . . . .

श्री अध्यक्ष : यह सूचना मैं बाद में दे दूंगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : जयपुर की कच्ची एवं गन्दी बस्तियों के स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य जयपुर नगर विकास न्यास कच्ची व गन्दी बस्ती में निवास करने वाले व्यक्तियों को योजना-बद्ध बसाने हेतु सदैव से प्रयत्नशील रहा है । सन् 1964 में न्यास के अध्यक्षों की एक बैठक में इस सम्बन्ध में निर्णय लिये गये और उन निर्णयों के आधार पर राजस्थान सरकार ने आदेश संख्या एफ 3159 आयोजना 64 दिनांक 18-11-64

(श्री रामप्रशाद लड्ढ़ा)
के अन्तर्गत इन बस्तियों के बसाने हेतु त्रिसत्रीय वर्ग स्वीकार किया जिसमें निम्न श्रेणियों के निवासियों को ही योजनाबद्ध बसाने का प्रावधान रखा गया :

(1) वो निवासी जो सन् 1952 से पूर्व अर्थात् प्रथम आम चुनाव से पूर्व सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बस गये थे उनके साथ उदारता रखते हुए उसी भूमि का यथा सम्भव आवंटन किया जाय अन्यथा अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत बसाने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत दर पर भूखण्ड आवंटित किये जायं ।

(2) जो निवासी, जो सरकारी भूमि पर सन् 1952 से 1957 के मध्य अनधिकृत रूप से बस गये थे, उनको यथा सम्भव उसी स्थान पर बसाया जाय अन्यथा सरकार द्वारा अन्य स्वीकृत योजना के अन्तर्गत नियमानुसार बसाया जाय ।

(3) सन् 1957 के बाद में उन कच्ची बस्तियों में जिन्होंने अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर आवास किया है उनको बसाने के लिए विचार नहीं किया जाय तथा उन्हें हटाने के लिए कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय ।

इन बस्तियों के निवासियों के रहने की तिथि का प्रमाण सम्बन्धित चुनाव सूचियों के आधार पर माना गया ।

अतः योजनाबद्ध कच्ची बस्तियों को बसाने हेतु जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा कार्यवाही उपरोक्त सरकारी आदेश के अन्तर्गत की जारही है । जो निवासी उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत बसाये जाने की श्रेणी में नहीं आते उनको हटाने हेतु न्यास अभी कार्यवाही नहीं कर रही है, मगर जिन्होंने करीब सन् 1967 से सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से आवास किया है उनको हटाने हेतु जयपुर नगर न्यास द्वारा नोटिस जारी कर दिये गये हैं । इन श्रेणी के हटाये गये निवासियों को बदले में प्लाट देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

निवासियों को जिन्होंने अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर हाल ही में आवास किया है उन्हें नोटिस दिये गये और निवासियों को अनधिकृत भूमि से हटाया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के अन्तर्गत जो त्रिसूत्रीय वर्ग कच्ची बस्तियों को बसाने हेतु स्वीकार किया गया उसी के अन्तर्गत जयपुर नगर न्यास कार्यवाही कर रहा है ।

जयपुर नगर विकास न्यास ने जिन कच्ची बस्तियों को उनसे पुनर्वास की दृष्टि से बसाने का प्रयास किया है उसकी सूची संलग्न है ।

इन योजनाबद्ध बस्तियों में यथा संभव पानी, बिजली व सड़क की सुविधा दी जा रही है ।

जहां तक इन बस्ती वालों के रोष का प्रश्न है दिनांक 18-1-68 को इन बस्तियों के प्रतिनिधियों ने संलग्न ज्ञापन न्यास के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया, इसके सन्दर्भ में न्यास ने हाल ही में उनकी

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

सुविधाओं का ध्यान रखते हुए न्यास की विशेष बैठक बुलाई और 23-1-68 को जो निर्णय लिये गये उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने हेतु प्रस्तुत है। इस न्यास के ज्ञापन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि न्यास भविष्य में भी इन बस्तियों को सुविधाजनक बसाने हेतु पूर्ण रूप से कटिबद्ध है।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, इसमें यह जानना चाहता हूँ कि सरकारी भूमि के बारे में तो सरकार ने बता दिया, पर जो सरकारी भूमि नहीं है उनके लिये सरकार ने क्या किया ?

कई लोगों की एग्रीकल्चरल लैंड है, अन्य तरह की भूमि है और उस पर वर्षों से लोग सन् 47 से भी पहले से और आपकी मीयाद जो 57 निर्धारित की थी उससे भी पहले से बसे हैं उनको जो बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। तो उसके लिए क्या यह सरकार उचित नहीं समझती कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट के मातहत सरकार उस भूमि को अवाप्त करके वहां बसे हुए लोगों को ही बांट दी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगभग 21 मुकद्मे ऐसे लैंड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत चल रहे हैं अलग अलग बस्तियों के और अभी हाल ही में यह फैसला किया है सरकार ने कि इन सारे मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष अफसर की नियुक्ति की जावे और वे केस जल्दी ही निपटा दिये जावें ताकि यह भूमि उपलब्ध हो सके और फिर सारे मामलों को देख-भाल सके।

जहां तक प्राइवेट जमीनों का प्रश्न है, जो दूसरों की मिल्कियत की है उसके लिए आपका सुझाव है कि उनको भी सरकार एक्वायर कर ले और फिर उन पर लोगों को बसाने के सम्बन्ध में विचार करे। इस मामले पर अभी हमने कोई विचार नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने प्रस्तुत की थी और जिसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने अभी सदन में दिया है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार इन कच्ची बस्तियों को सुधारने की दृष्टि से कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाने वाली है निकट भविष्य में।

इस सदन में कच्ची बस्तियों का प्रश्न एक बार नहीं अनेक बार उठाया गया है। कच्ची बस्तियों के लोगों ने प्रदर्शन भी किये हैं इस सदन के सामने।

जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी तरफ से जयपुर नगर जनसंघ ने 41 ज्ञापन जिलाधीश महोदय को अलग अलग प्रार्थनापत्रों के रूप में प्रस्तुत किये हैं। जिलाधीश ने आश्वासन भी दिये हैं कि इन सबकी समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से वार्तालाप करके नगर विकास न्यास से हल निकलवायेंगे।

पर खेद है कि इतने वर्षों के बाद भी आज तक जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वालों की समस्याएं यह सरकार हल नहीं कर पाई है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि जितने लोग हैं जिन्होंने कच्ची बस्तियों में अपनी झोंपडियां खड़ी कर रखी है अथवा जिन्होंने अनआथोराइज्ड ओक्यूपेशन कर रखा है उनका सर्वे करावेंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई सर्वे कराया गया? कराया गया तो कब कराया गया और उसके अनुसार कितनी झोंपड़ियां पाई गई और कितने लोग ऐसी झोंपड़ियों में निवास करते हैं?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने सदन में यह कहा कि 57 के बाद जो बसे हैं उनको रेगुलेराइज नहीं किया जावेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 15 बीघा जमीन पर कब्जा कर ले उसको तो आप रेगुलेराइज कर दो और जिसे रहने के लिए आवश्यक जमीन चाहिए 15 गज भी उसको भी आप रेगुलेराइज नहीं करना चाहते? आखिर नगर की जनसंख्या बढ़ेगी, उनको रहने के लिए मकान और भूखंड चाहिए। यू. आई. टी. भूखंड दे नहीं पाता। रहने का उनको स्थान नहीं। परिवार का विभाजन होता है। कहीं न कहीं तो लोग रहेंगे। सी. स्कीम बसाई तो वहां से लोगों को हटाकर नारी के नाके पर पटक दिया नारी के नाके की स्कीम बनाई तो वहां से उनको हटाकर आगे बसा दिया। हथरोई में वे घुस गये। वहां रहने लगे तो वहां से भी हटाकर चार मील आगे ले जाकर पटक दिया। इस तरह विकास के नाम पर उनको फुटबाल बनाना शोभा नहीं देता।

आपको सर्वे कराना चाहिए था। झोंपड़ों में रहने वालों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। भूखण्डों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज हालत यह है कि नगर विकास न्यासों में सम्पूर्ण राजस्थान में किस प्रकार अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उसके बारे में अधिक न कहकर मैं इस समय केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जिन परिस्थितियों में नगर सुधार न्यास भूखंडों को नीलामी में देता है वे गरीब खरीद नहीं सकता। हालत यह है कि पचास पचास सालों से बसे हुए लोग, जो किराया देते रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी उन जमीनों को सरकार एक्वायर नहीं करती। यू. आई. टी. एक्वायर नहीं करती। सरकार को ऐसी जमीनों को एक्वायर करना चाहिए और वहां पर उन गरीबों को बसाया जावे।

गंगा टाकीज के पीछे की बस्ती लीजिए। उसका विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उस जगह बड़े बड़े लोग घुसना चाहते हैं, वह शहर के नजदीक है और इसलिए उसको एक्वायर करने की बात सरकार सोच नहीं रही है और उसके विकास की योजना खटाई में पड़ी हुई है।

आज करीब इस तरह की गन्दी बस्तियों में एक लाख व्यक्ति निवास करते हैं। न उनके लिए वहां पानी की व्यवस्था है, न बिजली और सड़कों की सुविधा उनको है। एक एक नल पर पांच पांच सौ आदमी खड़े रहते हैं। झगड़े होते हैं, मारपीट होती है ऐसी नागरिक सुविधाओं से वंचित एक लाख लोग जयपुर जैसे नगर में राजस्थान की राजधानी में रह रहे हैं।

Page No.47

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर अफसोस है राजस्थान के इन नागरिकों की सुविधाओं के लिए यह सरकार आज तक इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाई। उनको प्लाट देने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पर आज वे जहां बसे हैं वहां से आपके कहने से हटने वाले भी नहीं हैं।

57 के बाद बसों को हटा दिया जावेगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में बरकत साहब ने कहा था कि किसी झोंपड़ी वाले को आल्टरनेट भूखं: नहीं दे दिया जावेगा तब तक उसकी झोंपडी नहीं तोड़ी जावेगी। आज सरकार उस आश्वासन से कैसे मुकर रही है। आप प्लाट उनको देते नहीं। सर्वे कराते नहीं। अध्यक्ष महोदय आज तक सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया। नोटिस देती है सरकार एक्वायर करने के लिए पर दबाव आता है तो वे नोटिस विथड्रा होते हैं। हजारों एकड़ प्लेन जमीन पड़ी है। उनके प्लाट नहीं बने। उसके लिए कोई डवलपमेंट की स्कीम नहीं सरकार एक्वायर करने योग्य जमीनों को एक्वायर करने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि बड़े प्रभावशाली लोगों की है वह। आज बड़े-बड़े लोगों से साजिस करके गरीबों को उजाड़ने पर यह सरकार उतारू है। इसलिए जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उनका स्पष्ट तौर पर उत्तर देते हुए सरकार अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा करे और मैं कहना चाहता हूं जहां आप 15 बीघा जमीन भूमिहीनों को रेगूलेराइज करने की बात कहते हैं वहां जिन लोगों के पास रहने को जमीन है उनके लिए कम से कम 15 गज जमीन तो रेगुलेराइज करिये। हर व्यक्ति को रहने को भूखंड चाहिए। स्लम्प क्लीयरेन्स के लिये आपको सेन्टर से पैसा मिलता है वह पैसा आपने लैप्स कर दिया। उसका उपयोग आप नहीं कर सके। केन्द्र ने आपको 2 करोड़ रुपया जयपुर नगर के विकास के लिए दिया उसका क्या हुआ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में चाहूंगा कि सरकार अपनी नीति का स्पष्टीकरण करे। 11 करोड़ रुपया तो यू. आई. टी. को देने की बात थी और 75 लाख रुपया नगरपालिका का था। इस प्रकार से 2 करोड़ के बारे में जिलाधीश ने लिखित में दिया था और इसके सम्बन्ध में जनसंघ की ओर से एक ज्ञापन भी दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस 2 करोड़ का क्या हुआ? कहां गया, क्या योजना बनाई, कहां पर विकास किया? उसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उनके लिए सरकार की तरफ से मैं आश्वासन चाहूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, इन कच्ची बस्तियों का प्रश्न पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार यह आश्वासन देती रही है कि कच्ची बस्तियों का निराकरण राज्य सरकार शीघ्र ही कर देगी लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय इनसे यह पूछ लीजिए कि इन 5 वर्षों में कच्ची बस्तियां बढ़ी हैं या उनमें कमी आई है। उसका मूल कारण यह रहा है कि जो भी नयी बस्तियों का निर्माण होता है और उनके लिए कोई

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
योजना राज्य सरकार बनाती है तो उसका कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं होता है। ऐसे ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां कि मजदूर पेशा लोग होते हैं वह अपने रहने के लिए मकान बना लेते हैं और पांच-पांच और सात-सात साल से उनके वहां मकान बने हुए हैं उनको भी तोड़ने का सवाल आ रहा है। आज चोरी, भुखमरी यह सब कुछ हो रहा है यह सब राज्य सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। रहने के लिए राज्य सरकार मकान नहीं देगी, खाने के लिए अन्न नहीं देगी और बाद में लोगों से अपेक्षा यह करे कि वह ठीक तरह से रहें, वह कैसे सम्भव है? किसी ने दस साल पहले भी मकान बना लिया है तो उसको सरकार तुड़वाने का प्रयत्न करती है। हम तो इतना आश्वासन चाहते हैं कि अब भी राज्य सरकार अपनी स्पष्ट नीति जनता के सामने व्यक्त कर दे कि 6 महीने में या 4 महीने में या एक साल में कोई तो लिमिट रख दे कि उस समय तक राज्य सरकार कच्ची बस्तियों की समस्याओं का निराकरण कर देगी ....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मुख्य रूप से हरिजनों का सवाल है। पिछड़े वर्ग के लोगों का सवाल है और अगर किसी मालदार व्यक्तियों का सवाल होता, पैसे वालों का सवाल होता, तो उनके सामने सरकार झुक जाती और झुक झुक कर घरों पर पहुंच जाती और इस समस्या का हल हो जाता क्योंकि आज झोंपड़ी वालों का सवाल है और ऐसे लोगों का सवाल है जो कि खून पसीना बहाते हैं, जो कि मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं आज वह इधर उधर फिरते हैं और उनको फुटबाल बनाया हुआ है और यह समस्या न केवल जयपुर में ही है बल्कि राजस्थान भर में है। शहरों का विकास हो रहा है, आबादी बढ़ रही है और गरीब लोग भटक रहे हैं आदिवासी भटक रहे हैं, हरिजन भटक रहे हैं। इन तमाम समस्याओं के लिए राज्य सरकार से चाहूँगा कि एक मास्टर प्लान बनाया जाकर एक योजनाबद्ध तरीके पर काम किया जाये। वैसे सरकार की जो गरीब मार नीति है उसको देखते हुए कोई भी आशा नहीं होती कि इसमें कुछ होगा। आज भरतपुर के अन्दर देखें तो नजूल के मकानों में सैकड़ों वर्षों से रहने वाले लोग हैं उनको भी दरबदर करके उन मकानों को नीलामी पर चढ़ाया जा रहा है..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज राजस्थान नहर योजना के अन्तर्गत किसानों का जिस जमीन पर कब्जा था....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनको नीलाम करके यह सरकार अपने पास में रखना चाहती है जो गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, जिनके पास तन ढकने को

Page No.49

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, मिनिस्टर लोग बड़े बड़े मकानों में और कोठियों में रहते हैं, उनके पास रेफ्रीजरेटर्स हैं, पंखे हैं, सोफा हैं और दूसरे लोगों की बिजली बन्द कर दी गयी, पानी बन्द कर दिया गया और नलों की सुविधायें नहीं, अध्यक्ष महोदय इतनी भयावह स्थिति है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, पर्याप्त हो चुका है। आप तो भरतपुर और धौलपुर चले जा रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्यों को भी प्रश्न करना है। यहां तो जयपुर का ही सवाल है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :····कल एक साधारण सा जुलूस आया। कुछ लोग जुलूस के द्वारा अपनी फरियाद लेकर इस सदन के समक्ष आये, मंत्री महोदय को इसके लिए संकेत किया, सब ने कहा कि जाकर मिलिये, गरीब लोगों की बातों को सुन लीजिए। सदन मौन था, मन्त्री मण्डल मौन था। मुंह के लेही लग गयी थी। बड़ी भयावह स्थिति है। आज सदन के लोगों को मिलकर फैसला करना होगा कि आया राजस्थान के अन्दर गरीब लोगों को रहने का हक है या नहीं····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य श्री सारण।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह तमाम मसले हैं जिनके लिए हमें हल निकालना है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं चाहूँगा कि सरकार इसके बारे में शीघ्र ही निर्णय ले।

श्री अध्यक्ष : काफी है। श्री सारण

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को आवास की और छोटे लोगों की, गरीब लोगों की समस्या की तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए और कोई निश्चित नीति की घोषणा करनी चाहिए। इसमें दो–तीन तरह के लोग हैं। एक तो वह हैं कि जहां नई बस्तियां विकास के नाम से बनाई गयी हैं उनसे उठाये गये हैं और एक बस्ती निर्माण होने के बाद उनको दूसरी जगह बसा देते हैं और दूसरी जगह के बाद तीसरी जगह एक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद में उससे आगे निकाल दिये जाते हैं। इस तरह से उठाये गये लोग हैं। दूसरे उस तरह के लोग हैं जो कि आवास की जमीन खरीद नहीं सकते, लेकिन जहां भी उनको जगह मिलती है वहां अपने आवास की झोंपड़ी डाल लेते हैं और रहने लग जाते हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं छोटे कर्मचारी या मजदूर पेशा लोग, जो कि दिन में काम धंधा करते हैं और परिवार के सहित जहां जगह मिलती है रह जाते हैं। ऐसे असमर्थ लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह जमीन खरीद कर अपने निवास का स्थान बना सकें। इसलिए क्या राज्य सरकार की नीति यह नहीं है कि इस तरह के असमर्थ और अल्प आय वाले, अर्द्ध बेरोजगार लोगों को आवास की सुविधायें देने के लिए उनको रियायती दरों पर या निःशुल्क भूमि

Page No.50

(श्री :दौलतराम सारण)

पट्टे के रूप में दी जाये ? क्या ऐसी राज्य सरकार की योजना नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूं । इसके लिए नगर विकास मण्डल बिल्कुल असमर्थ है क्योंकि उसकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह उनकी आवास की समस्या का समाधान कर सके । न नगरपालिका की स्थिति है कि उनके आवास की समस्या को वह हल कर सकें । यह समस्या जयपुर में ही नहीं है सब जगह है । इसलिए राज्य सरकार को व्यापक रूप से ध्यान देना चाहिए और समाजवादी समाज की रचना का प्रथम प्रयास यह है कि पहले आदिवासी, हरिजन और अल्प आय वाले लोगों के लिए वाकय दिलचस्पी रखते हैं और अल्प आय वाले वर्ग की आर्थिक स्थिति में मदद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए आप अपनी नीति का निर्धारण करके घोषणा कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ·

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : मुझे भी एक प्रश्न करना है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री सहदेव शर्मा : एक ही प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : अभी मेरे पास 4 मोशन और हैं ।

अच्छा प्रश्न कर लीजिए ।

श्री सहदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना था कि जयपुर के आसपास 121 मील का एरिया जो कि उन्होंने नगर न्यास के लिए रखा है उसमें भी यही समस्या खड़ी होती जा रही है और ऐसे ही हेपहैजर्ड कन्सट्रक्शन्स होते जा रहे हैं और गरीब आदमियों के लिहाज से न तो वहां जमीन रखी जा रही है और वहां पर शहर के आदमी बसते जा रहे हैं और इन आदमियों को आगे सरकायेंगे तो वही समस्या आ जायेगी। इसलिए जो प्लाट बनाये जाते हैं अनुदान और सहायता मिलता है उसके माध्यम से गरीब आदमियों को प्लान्ड वे में बस्तियां बसाने का है वह आप बसायें नहीं तो यह सारी समस्या सब जगह होती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय .

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, जयपुर की कच्ची बस्तियों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी वेदना प्रकट की । राज्य सरकार भी उसके प्रति उतनी ही हमदर्दी रखती है जितनी कि माननीय सदस्य । आगे क्या योजना है, अब तक क्या किया, इसके बारे में भी माननीय सदस्यों ने जानना चाहा । आज जयपुर में रफली हिसाब लगायें तो करीब 62 कच्ची बस्तियां हैं उनमें से 14 बस्तियां बसाई गई हैं और उनमें सड़कें बिजली और पानी का इंतजाम कर दिया गया है और 11 बस्तियां ऐसी हैं कि जिनके नाम मैं अर्ज कर सकता हूं कि जिनका सर्वेक्षण का कार्य समाप्त हो गया है । उन 11 बस्तियों का सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो गया है इसलिए अब उन बस्तियों में जो लोग रहते हैं कच्ची बस्तियों वाले उनको बसाने का कार्य शीघ्र ही हाथ में ले लिया जायेगा । इसके अलावा बाकी करीब 37 बस्तियां ऐसी बची हैं जिनका सर्वेक्षण कार्य अभी करना बाकी है और इस कार्य को हम प्राथमिकता दे रहे हैं और चाहते हैं

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

और आशा करते हैं कि आने वाले 6 महीने में यह सर्वे का कार्य पूरा हो जाये जिससे कि आगे चलकर बस्तियों को बसाने के संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके।

जमीन का वास्तव में बहुत टेढ़ा सवाल है। एक्वीजिशन में काफी देर लगती है इस वजह से जितने केसेज एक्वीजिशन में हैं उनके लिए हम एल. ए. ओ. स्पेशल मुकर्रर करवा कर जल्दी से जल्नी उन सब केसेज का निपटारा हो जाय और आगे हमारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। अभी माननीय सहदेवजी ने एक प्रश्न उठाया है कि साढ़े बारह मील के एरिया में एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने से फायदा नहीं है और दूसरे लोग बस जाते हैं। इस समस्या को मुस्तकिल तौर से हल करने का एक तरीका और है कि जो राजकीय बीड़ या फारेस्ट लैण्ड जयपुर के अन्दर इसी सीमा में हैं उसको प्राप्त कर लिया जाय और उसका आयोजन बना कर जो वहां बसना चाहते हैं और जिनको बसाने की आवश्यकता है उनको बसाया जाय। आज अगर उन सबको इस जमीन पर बसाया जाय तो 2000 एकड़ जमीन कच्ची बस्तियों को बसाने के लिए चाहिए। तो न्यास की ओर से राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव भी आया है कि जयपुर के आसपास जो फोरेस्ट की जमीन है वह अगर दे दी जाय तो योजना बनाकर इनको बसायें। उस पर सरकार विचार कर रही है, और यदि इस प्रकार की स्वीकृति हो गई तो अभी एक्वीजिशन में जो देर लगती है या जिसकी वजह से योजनाएं क्रियान्वित करने में देरी लगती है वह नहीं लगेगी, और बहुत सारी योजनाएं इस जमीन पर भी बना सकते हैं और जिन लोगों को बसाना है वहां अपने निर्णय के अनुसार बसा सकेंगे। इस बात पर राज्य सरकार विचार कर रही है और इस मामले पर जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा। राज्य सरकार इस प्रश्न पर जागरुक है और कुछ महीनों और वर्षों में यह समस्या जल्दी से जल्दी हल हो जाय, इस बात का प्रयत्न करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर के मास्टर प्लान का क्या हुआ ? यह और बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : जयपुर के मास्टर प्लान का कच्ची बस्तियों से सम्बन्ध नहीं है।

श्री सहदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि साढ़े बारह मील के अन्दर जिन गांवों में इन बस्तियों को बसाना है चाहे वे जमीन एक्वायर करें गांव वालों से, लेकिन उसी गांव के रहने वाले हरिजनों को ही वह देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। दूसरा और उत्तर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौन सा ?

श्री अध्यक्ष : बर्मा वाला।

(12·53 म. प.)

बर्मा से विस्थापित राजस्थानियों के पुनर्स्थापन के संबंध में स्थगन-प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा (सिचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, सन् 1963-64 में बर्मा सरकार द्वारा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

किये जाने की वजह से बहुत से भारतीय परिवार बर्मा छोड़कर भारतवर्ष में स्थाई रूप से बसने हेतु विस्थापित बनकर आये। माननीय सदस्य महोदय का यह कहना कि बर्मा से आने वाले भारतीय परिवारों में से 7 या 8 हजार राजस्थानी हैं लेकिन इस विभाग को जो अब तक विभिन्न जिलाधीशों से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 183 परिवार ही राजस्थान में आये हैं। इनमें से 66 परिवारों का 5,000) रु. प्रति परिवार के हिसाब से व्यवसाय हेतु ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा 28 परिवारों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। इन परिवारों को अब तक ऋण स्वीकृत न किये जाने का कारण यह रहा है कि भारत सरकार से फण्ड्स प्राप्त नहीं हुए थे। अब उन्होंने राज्य सरकार को बर्मा से आने वाले विस्थापित परिवारों को व्यवसायिक ऋण वितरण करने हेतु 2,00,000) रु. की स्वीकृति करीब 15 दिन पूर्व भेजी है। अतः प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है और जो जो प्रार्थना-पत्र पूर्ण पाये जावेंगे उनकी स्वीकृति शीघ्र ही सम्बन्धित जिलाधीशों के पास भिजवादी जावेगी। 20 प्रार्थना-पत्र अधूरे होने की वजह से सम्बन्धित जिलाधीशों को पूर्ति हेतु लौटाए हैं। 69 परिवारों के प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में ऋण स्वीकृति हेतु प्राप्त नहीं हुए हैं।

जहां तक बर्मा से आने वाले परिवारों को प्लाट आवंटन करने का सवाल है इस बारे में नगर आयोजन विभाग : नगर विकास न्यास जयपुर को कई बार यह लिखा जा चुका है कि आदर्श नगर कालोनी की खाली जमीन सहायता एवं पुनर्वास विभाग को मंत्री मण्डल के निर्णयनुसार हस्तान्तरित कर दी जावे ताकि इन लोगों को भी प्लाट दे दिये जावें लेकिन अभी तक जमीन का हस्तान्तरण इस विभाग को नहीं हुआ है अतः इन परिवारों को अब तक प्लाट नहीं दिये जा सके हैं। जैसे ही आदर्श नगर कालोनी के खाली भू-खण्डों का हस्तान्तरण इस विभाग को होगा इन लोगों के प्रार्थना-पत्रों पर ध्यान दिया जावेगा तथा प्लाट आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

श्री देवीदत्त गाडिया (बा ा) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने बर्मा से आये हुए राजस्थान के निवासियों के बारे में जो इस प्रकार के आंकड़े दिये कि राजस्थान सरकार के पास में सिर्फ 183 परिवारों की सूची है। मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि बर्मा से आने वाले लाखों व्यक्ति थे उनमें राजस्थान के नागरिक जिनकी संख्या कम से कम 6 हजार से अधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं अखिल भारतीय जनसंघ, कालीकट, की समाप्ति के बाद में आया तो राजस्थानी नागरिकों से मैंने सम्पर्क स्थापित किया और वहां पर जब मैंने उन राजस्थान के नागरिकों को जो बम्बई में फुटपाथों पर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनसे जब यह जानकारी की तो उन्होंने बताया कि आज से 2-3 साल पहले वे बर्मा से आये हैं और बर्मा से आने के बाद राजस्थान के नागरिकों की संख्या, राजस्थान के निवासियों की संख्या जो कुछ वर्ष पहले बर्मा में रहते थे वह बताई। मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार के

Page No.53

(श्री देवीदत्त गाडिया)

पास बर्मा से आने वाले भारतीय नागरिकों की सूची है और केन्द्रीय सरकार के रेकार्ड के अन्दर राजस्थान के जितने निवासी हैं उनकी संख्या 6000 से अधिक है मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार यह कहती है कि हम बहुत सक्षम हैं, योग्य हैं जो यह कहती है कि इतने ही परिवार आये हैं। दूसरी ओर, माननीय अध्यक्ष, मद्रास के जो नागरिक जिनकी संख्या 2 लाख थी जो बर्मा से आये तो मद्रास की वर्तमान सरकार, द्राविड़ मुन्नेत्र कड़घम सरकार ने उनमें से अधिकांश को, 90 प्रतिशत को बर्मा से आये हुए नागरिकों को बसा दिया, उनको रहने के लिए प्लाट्स दिये, रोजगार के लिए धन्धा दिया, पैसा दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार के पास उन परिवारों के लिए जिनकी संख्या 183 बतलाई, धन्धे के लिए पैसा नहीं है और रहने के लिए प्लाट्स देने को नहीं हैं। उनको पर्याप्त रूप में ऋण नहीं दे सकी। मैं जिस समय जयपुर के अन्दर आया तो लक्षमणगढ़ के एक निवासी ने जो बर्मा में रहता था बतलाया कि मुझे एक प्लाट कोटा के अन्दर दिया। प्लाट का खसरा नम्बर लेने के लिए जिस समय मैं कलेक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास जाओ। जिस समय मैं तहसीलदार के पास गया तो तहसीलदार ने मुझको खसरा नम्बर नहीं दिया, पटवारी और कानूनगो से सम्पर्क स्थापित किया तो अध्यक्ष महोदय, बर्मा से आए हुए उस राजस्थानी से रिश्वत के रूप में पैसा मांगा गया। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होने के कारण आज तक खसरा नम्बर उसको प्लाट लेने के लिए नहीं दिया ...

श्री अध्यक्ष : देखिये आप भाषण चला रहे हैं। प्रश्न करिये ताकि स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : स्पष्टीकरण के लिए ही कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर में जो बर्मा से आए हुए नागरिक हैं नको प्लाट्स बताये जाते हैं लेकिन प्लाट्स के नम्बर नहीं दिये जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो बर्मा के अन्दर राजस्थान के निवासी रहते थे, वे वापस आये तो यहां रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।

(1 म. प.)

हमारे राजस्थान में इतने बड़े-बड़े कारखाने हैं उनमें उनको नौकरियां दिलानी चाहिये थीं। राजस्थान सरकार को उन लोगों को सरकारी नौकरियों में लगाना चाहिये था, कारखानों में लगाना चाहिये था, सरकार के भी कारखाने हैं उनमें भी रोजगार या नौकरी देनी चाहिये थी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को योग्यता को देखते हुए, उनमें भी बी. ए. और इन्टरमीडियेट हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते थे? उनको कारखानों में नहीं लगाया गया, उनको प्लॉट देने में क्या दिक्कत है? उनको प्लॉट देकर बसाना चाहिये था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मद्रास और दूसरी जगह का उदाहरण देते हुए यह बताने की कोशिश की कि जैसा हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों ने अच्छा निर्णय किया है, राजस्थान ने बर्मा से आने वाले लोगों के लिये कुछ नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया। मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि ग्राल इंडिया लेवल पर जैसा दूसरे राज्यों को लिखा वैसा ही राजस्थान को भी लिखा, उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधा के बारे में, उनको जमीन देने के बारे में, उनको राजकीय सेवा में रखने के बारे में, मजदूरों को ग्रौर दूसरे लोगों को नौकरी दिलाने के बारे में, लैंड रिक्लेम करके उस पर बसाने के बारे में सुझाव दिये थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने सोचा कि ये सुझाव कम हैं, उनको ज्यादा मदद देनी चाहिये इसलिये एक कमेटी का निर्माण किया। बाई चान्स मैं उसका चैयरमैन था। हमने यह निश्चय किया कि 2000) रु. के बजाय 5,000) रु. का व्यवसायिक ऋण दिया जाय, क्योंकि छोटे से छोटे धंधे के लिये भी इससे कम रकम से कुछ नहीं हो सकता इसलिये ज्यादा रकम रखी। ग्राने वाले जो परिवार बर्मा में कृषि कार्य करते थे उनको वृहद् ग्रौर माध्यमिक सिंचाई योजना के ग्रंतर्गत 25 बीघा भूमि ग्रौर ग्रसिंचित 50 बीघा भूमि दी जाय। इसके साथ साथ कृषि का कार्य करने वालों को बैल, बीज, फर्टि-लाइजर ग्रादि खरीदने के लिये तकावी लोन दिया जाय ग्रौर ग्रध्यक्ष महोदय, एम्पलॉय-मेन्ट एक्सचैन्ज के डाइरेक्टर को यह भी लिखा गया कि वे ग्रपने ग्रधीनस्थ ग्रधि-कारियों को ग्रादेश दें कि बर्मा से ग्राये हुए लोगों को नौकरियों में प्रायोरिटी दिलावें। इसके साथ साथ ग्रौद्योगिक ऋण देने की भी व्यवस्था की गई। 10,000 रु. तक की व्यवस्था की गई। क्योंकि ग्राल इंडिया लेवल पर जो चीज करने की थी वह काफी नहीं समझी गई, इसलिये राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया वह दूसरों से खराब नहीं था बल्कि ग्रच्छा था।

श्री देवदत्त गाड़िया : मुझे तो यह बता दीजिये कि किस किस को भूमि दे दी राजस्थान में ....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री (ग्रजमेर पश्चिम) : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि किन किन को भूमि दी गई उसकी लिस्ट दे दी जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : बतला दी जायगी। श्री खाद्य मंत्री जी।

रिडमलसर एवं बीकानेर जिले में भूख से मरे व्यक्तियों की मृत्यु पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राम रिडमलसर, तहसील बीकानेर, बीकानेर नगर से लगभग 6 मील दूर स्थित है। गत वर्ष यह ग्राम ग्रभावग्रस्त नहीं था ग्रौर इस वर्ष ग्रभावग्रस्त है।

इस ग्राम में मोडाराम पुत्र सेहराराम नाम का कोई व्यक्ति होना नहीं पाया गया। एक व्यक्ति मोडूराम पुत्र श्री हरचन्द, जाति मेघवाल, निवासी नेणों का बास, ग्राम रिड़-मलसर की मृत्यु गत माह में ग्रवश्य हुई थी। एस. डी. ग्रो., बीकानेर द्वारा इस सम्बन्ध में जांच करवाई जाने पर पाया गया कि इसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण लगभग डेढ़ माह पूर्व हुई थी। इसका भूख से मरना नहीं पाया गया।

बीकानेर शहर में नवम्बर माह में (विशेषकर दिनांक 3-11-67 को) किसी

(श्री परसराम मदेरणा)
व्यक्ति की बीकानेर स्टेशन के बाहर मृत्यु नहीं हुई। दिनांक 28-10-68 को श्री बोदू पुत्र श्री मोहू खां की मृत्यु हुई थी, किन्तु उसके शव परीक्षण तथा उसके पास के कागजात से उसका भी एक्सट्रीम केस ग्रोफ बाइलेटरल पलमोनरी ट्युबरक्लोसेस के कारण मरना पाया गया। उसकी भी भूख से मृत्यु नहीं हुई है।

इस प्रकार बीकानेर जिले में भूख से मरने की अभी तक कोई घटना नहीं हुई है न भूख से मरने सम्बन्धी कोई असन्तोष इस जिले में है। आवश्यकतानुसार सहायता कार्य खोले जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को रोजगार के अभाव में भूख से नहीं मरने दिया जावेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उन तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो मंत्रीजी ने आपके सामने रखे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि वह जो रिपोर्ट दी गई है वह धोखा है, सदन के साथ धोखा किया है, मंत्रीजी के साथ धोखा किया गया है, रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों द्वारा। मंत्रीजी एक गरीब घर में जन्मे हैं, गरीबी की हालत में पले हैं। उनको जान बूझ कर नीचा दिखाने के लिये झूठी रिपोर्ट दी गई है रिडमलसर में भूख से मरने वाले व्यक्ति के लिये जो कुछ कहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि क्या आप उसका पोस्टमार्टम कराने को तैयार हैं····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब पोस्टमार्टम कैसे करायेंगे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उसकी लाश दफनाई गई है जलाई नहीं गई है। उसका पोस्टमार्टम अब भी कराया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था बीकानेर में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी मृत्यु भूख से हुई थी और पुलिस अधिकारियों के कहने के बावजूद भी उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। न मालूम उसकी लाश को किस जगह जलाया गया उसका किसी को पता नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संबंधित मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है कि कोई आदमी भूख से नहीं मरा लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अनाज मंहगा होने के कारण गरीब लोगों की अनाज खरीदने की क्षमता नहीं होने के कारण मृत्यु हुई है। वैसे आप अवश्य ध्यान देंगे कि राजस्थान में ज्यादा गांवों में हमेशा अकाल रहता है और इस साल भी 2 हजार से ज्यादा गांवों में अकाल है लेकिन आज तक राहत कार्य नहीं खोले गये हैं····

श्री अध्यक्ष : भूख से कोई मरा हो तो उसके बारे में कहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस ओर ही आ रहा हूं। रिडमलसर गांव पंचायत की ओर से पहले रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि भुखमरी फैलने वाली है इसलिये राहत कार्य खोलने चाहिये। जो आपने फेमिन कोड बना रखा है उसके अन्तर्गत नाम मात्र की मजदूरी मिलती है लेकिन आपने आज तक उसके अन्तर्गत भी काम चालू किया इसलिये अनाज नहीं खरीद सकने के कारण भूख से उस आदमी की

(श्री रामचन्द्र आर्य)
मृत्यु हुई। गरीब आदमी और मजदूर आदमी बिना रोजगार के अनाज नहीं खरीद सकते। मैं उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी पुनः जांच करावें। राज्य सरकार को जो यह इत्तला दी गई है कि भूख से मृत्यु नहीं हुई है यह सही नहीं है··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, जो व्यक्ति बीकानेर में रेल्वे स्टेशन के पास मरा पाया गया उसके बारे में कहते हैं कि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यह गलत है। मैंने अपने बयान में कहा था कि पोस्ट-मार्टम बीकानेर के मेडिकल जूरिस्ट मि. गौरी से कराया गया था। 28 तारीख को लाश मिली, उसको होस्पिटल ले गये। 29 तारीख को सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम से मालूम होता है कि उसके लंग्ज में केविटी थी और वह टुबरक्लोसेस का बीमार था। उसकी लाश पर जो कपड़ा था उसकी जेब से एक कागज मिला उससे पता चला है कि वह जोधपुर के अस्पताल में टी. बी. का इलाज करा रहा था। वह कागज भी अधिकारियों के पास है। यह कहना कि जांच नहीं करवाई गई, सही नहीं है।

दूसरी बात मोड़राम के बारे में कही गई। बीकानेर जिले में 4 हजार गांव हैं उनमें से कई गांव हर साल अभावग्रस्त रहते हैं। वहां पर पहले भी अकाल था। संवत् 2020 में पूरे जिले में अकाल था, संवत् 22 में भीषण अकाल था उस समय राहत कार्य खोले गये और एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया गया। राजस्थान में केवल मेरा ही अनुमान नहीं है बल्कि सब लोग जानते हैं इस साल अच्छी क्रोप है। इस समय बढ़िया फसल होते हुए कोई आदमी भूख के कारण मरे और वह भी जो बीकानेर का रहने वाला हो, उस गांव का रहने वाला हो जो कि एक अलग रेवेन्यू विलेज, स्केअरसिटी अफेक्टेड है उससे पांच मील दूर हो। वह व्यक्ति बीकानेर मजदूरी करने आता था। उस व्यक्ति के खानदान की स्टडी भी की है। इसका पिता तपेदिक की बीमारी से मरा था। इसकी औरत भी तपेदिक के कारण मरी थी। तपेदिक एक बहुत इन्फेक्सिअस और छूत की बीमारी होती है। हो सकता है कि यह भी तपेदिक से मरा हो। मेरे पास वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का प्रमाण भी है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : प्रश्न यह आता है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज् ! उत्तर पूरा होने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए यह कहना कि वह व्यक्ति भूख से मरा है बिल्कुल निराधार और गलत है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह बताने की कोशिश की है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये, सुनिये। नोहर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां राहत कार्य नहीं खोले

(श्री परसराम मदेरणा)

गये। यह बात सही नहीं है, गलत है। इसलिए गलत है कि बीकानेर के कलेक्टर की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आई नवम्बर के महीने में, तो गवर्नमेंट ने 50 हजार रुपये की धनराशि टेस्ट वर्क्स चालू कराने के लिए सैंक्शन कर दी। वहां पर 3 टैस्ट वर्क्स चल रहे थे उनमें से आज भी दो चल रहे हैं। यह जो रिडमलसर गांव है इससे आठ मील दूर नौरंगदेसर गांव में टैस्ट वर्क चल रहा है। आज किसी आदमी को यदि मजदूरी नहीं मिल रही है तो वह वहां जा सकता है। अगर यह चाहे कि एक एक गांव में टैस्ट वर्क खोलें तो वह हो नहीं सकता। ऐसे लोग नौरंगदेसर में जाकर काम कर सकते हैं। वहां जाकर क्यों नहीं मजदूरी की? इससे साफ जाहिर है कि ऐसी स्थिति नहीं थी। इस सदन में एडजोर्नमेंट मोशन रखने के पूर्व भी सरपंच ने कलेक्टर को रिपोर्ट की इस मामले के बारे में। उसके बाद में 16-1-68 को कलेक्टर ने गिरदावर, पटवारी के बयान लिए थे। जिसके लिए माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन लोगों के बयान लिए उनकी कापी मेरे पास मौजूद है। उनसे पता चलता है कि उसके खानदान के लोग तपेदिक की बीमारी से मरे हैं। इसलिए यह हो सकता है कि यह भी तपेदिक से मरा हो। मैं कहना चाहूंगा कि यह बात और हो सकती है कि वहां राहत कार्य खोलने चाहिए, यह हो सकता है कि ज्यादा दूर दूर पर नहीं, नजदीक नजदीक राहत कार्य हों। आपके कथनानुसार आप और राहत कार्य खुलवाने का इरादा रखते हों। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के जो गांव हैं जो अकालग्रस्त हैं वह गजट में नोटिफाई हो चुके हैं और वहां राहत कार्य के लिए और पानी के लिए तीन लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करदी गई है। इसलिए यह कहना कि दो तिहाई बीकानेर के अकालग्रस्त इलाके में कुछ नहीं किया है—यह गलत है। इसके अलावा मैं भी गांव का रहने वाला हूं और कई माननीय सदस्य गांवों के रहने वाले हैं। वह जानते हैं कि अगर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी काम करने की शक्ति नहीं है तो गांव में ही किसी आदमी की खेती की रखवाली के लिए बैठा रहे तो काम का टोटा नहीं है और कुछ न कुछ खाने का, रोटी का साधन हो सकता है। आप जानते हैं, राजस्थान के अन्दर और बीकानेर के अन्दर इस साल अच्छी फसल होने की वजह से मजदूरी दो-तीन रुपये लोगों की है, बीकानेर में मजदूर दो-तीन रुपये मांगते हैं। जो गांव में काम करना चाहते हैं वह वहां करते हैं और वे दूसरी जगह जाकर काम नहीं करते हैं। जो बीकानेर में आकर मजदूरी करते हैं वह रात को रिडमलसर चले जाते हैं। इस मामले में, अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में भूख से मृत्यु नहीं हुई है। मैंने जैसा कहा उसके पिता और उसकी औरत की मृत्यु भी तपेदिक से हुई है तो हो सकता है कि वह भी तपेदिक से मरा हो। अब उसकी मृत्यु के बहाने से काम खुलवाना चाहते हों—तो दूसरी बात है। आज सवेरे ही सरपंच मुझे मिले थे। उनका कहना था कि गांव में ही काम खुलवाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि एक-एक गांव में काम नहीं खोला जा सकता। उनका कहना था कि इनके गांव में और चीज नहीं तो तालाब बहुत बढ़िया है और वहां के लोग रोजी के लिए दूसरे

(श्री परसराम मदेरणा)

किसी गांव में नहीं जाना चाहते इसलिए इस तालाब पर ही काम शुरू कर दिया जाय। हम दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि दस मील के भीतर-भीतर काम होना चाहिए। अब वहां से नौरंगदेसर सात-आठ मील दूर पर है, एक दूसरा काम दो-मील दूर पर है। वहां भी राहत कार्य चल रहे हैं। वहां जाकर लोगों को काम करना चाहिए। जो अकाल-ग्रस्त गांव के लोग हैं उनको वहां जाकर मजदूरी करनी चाहिए। जो मजदूरी करना चाहते हैं वह वहां जा सकते हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति की भूख के कारण बीकानेर के किसी गांव में मृत्यु नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव!

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन सु.) : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण!

श्री श्रवणलाल : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की भूख से मृत्यु हुई हो और आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : बोलने दीजिये।

श्री श्रवणलाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री श्रवणलाल : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का····

श्री अध्यक्ष : आपसे बात हो चुकी है। और अभी माननीय मंत्री जी ने आपसे सारी बात कही।

श्री श्रवणलाल : बात हमारी घरू हुई?

श्री अध्यक्ष : घरू हुई और घरेलू रिश्ता है।

विधायी कार्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968···

श्री अध्यक्ष (व्यवधान होने पर) : ऑर्डर प्लीज। आप इन्ट्रोड्यूज कर दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : वह व्यक्ति लावारिस था···

श्री अध्यक्ष : आप कैसे पूछ रहे हैं? मैं खड़ा हुआ हूं और आप पूछ रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप खड़े हुए हैं और मिनिस्टर महोदय भी खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बिल इन्ट्रोडयूज कर दिया है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय···

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट····

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट नहीं। स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : गलत उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय मंत्री ने गलत उत्तर दिया है और असंतोषजनक है।

श्री अध्यक्ष : असंतोषजनक है वह मान लिया। आपने कह दिया इसमें भाषण का सवाल नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें भाषण का सवाल नहीं है, इसमें कहतसाली का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! धैर्य की एक सीमा होती हैं। नियमों का थोड़ा पालन कीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज ! अभिभाषण पर वाद-विवाद होना है। सदन के कई माननीय सदस्य उतारू हैं उसमें भाग लेने के लिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर इस पर आधा समय भी ले लिया जाय, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मैं सदन के उन सदस्यों की चिन्ता को समझ रहा हूं जो इस महत्वपूर्ण प्रश्नपर वाद-विवाद में भाग लेने को उतारू हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है, पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बतला दी गई है और मेरा निवेदन है कि कोई बात हो तो दूसरे तरीके से उठा सकेंगे।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं जरा सी बात कह दूं···

कई माननीय सदस्य : बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, पूछ लीजिये, मुझे क्यों भागीदार बनाते हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : बीकानेर जिले में ऐसे व्यक्ति हैं जो लावारिस व्यक्ति हैं और हमारे जिले में अकाल होते हुए हमारे जिले के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : समझ गया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अकाल होने के बाद भी अकाल राहत कार्य चालू नहीं किये गये हैं :

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिये। बहुत हो चुका।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानकारी चाहता हूं, मंत्री महोदय ने कहा, राहत कार्य चालू कर दिये गये हैं, लेकिन हमारे यहां कई क्षेत्र हैं वहां गवर्नमेंट के काम चालू नहीं हुए हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है। काम चालू कराये हैं यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, स्थान ग्रहण करिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय ने बीकानेर की बात कही। गंगानगर की बात यह कह रहे हैं !

श्री अध्यक्ष : अलग बात है उलट पुलट हो जाता है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान टिनेन्सी संशोधन अध्यादेश संख्या 1 सन् 1967 को जारी करने के कारण के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बात है? बैठिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप ध्यानाकर्षण कर रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : ध्यानाकर्षण कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं करूंगा तो होगा कैसे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बोलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू न करने के कारण पत्रकारों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्रम मंत्री का मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में यह हम सभी को मालूम है कि पत्र जगत लोकतंत्र में एक चौथे खम्भे के रूप में माना जाता है। लोकतंत्रीय शासन पद्धति में इन पत्रों का कितना महत्व है यह इस सदन के माननीय सदस्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में पत्र नहीं हैं, जिस देश में पत्रकार नहीं हैं जिस देश में पत्र और पत्रकारों को स्वतन्त्रता नहीं है, जिस देश के पत्रकारों को जीवन में मिलने वाली सुविधायें और सुख उपलब्ध नहीं हैं वहां का पत्र जगत प्रगति नहीं कर सकता—और यह निश्चित मान कर चलिये कि जिस देश में पत्रकार जगत पर संकट हो, सरकार की उपेक्षा की प्रवृत्ति हो, पत्रकारों की हालत दयनीय हो और जिस देश में पत्रकारों को भी हड़ताल करने की नौबत आये। जिस देश की सरकार पत्रकारों को भी एक तरह से मजदूरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दे। हड़ताल और तालाबन्दी की स्थिति में खड़ा कर दे। अध्यक्ष महोदय, उस देश के लोकतन्त्र के लिए यह खतरे की घण्टी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी राज्य सरकार ने पत्रकारों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार को मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में स्वस्थ पत्रकारिता पनपे, इसकी राजस्थान सरकार ने कभी चिन्ता नहीं की। राजस्थान में पत्रों की प्रगति हो इसकी चिन्ता नहीं की। राजस्थान से अच्छे पत्र निकलें इस बात की चिन्ता नहीं की। अच्छे पत्रों को संरक्षण में ले इसकी कभी चिन्ता नहीं की। और, राजस्थान के पत्रकारों की हालत ठीक हो इसके बारे में चिन्ता करने का सवाल कभी पैदा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद इस बात का है कि वेजबोर्ड की रिकमेन्डेशन को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जिस राजस्थान सर-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कार पर थी, राजस्थान के श्रम विभाग पर थी आज उन सारी बातों को हुए इतने दिन हो गये लेकिन राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार का श्रम विभाग वेज बोर्ड की रिकमेन्डेशन्स को आज तक राजस्थान में लागू नहीं कर पाया है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इस मौके पर उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकार बन्धुओं को और गैर पत्रकार बन्धुओं को जिन्होंने अपनी एकता का परिचय हड़ताल के द्वारा दिया है, इस सदन में आप सब की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और अपने अधिकारों के लिए सारे देश भर में एकता का परिचय दिया है। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में कुछ भी ऐसे अखबार बता सकते हैं जिनमें वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट किया हो और श्रम मन्त्री जी राजस्थान में एक भी ऐसा समाचार-पत्र उद्योग बता सकते हैं, जिस समाचार-पत्र उद्योग को राजस्थान सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। कोई भी ऐसा समाचार-पत्र उद्योग या कांग्रेस का अखबार हो जिसको कि कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त हो, जिसको डी. पी. आर. का संरक्षण प्राप्त हो। ऐसे सरकारी संरक्षण से चलने वाला कोई भी समाचार-पत्र हो जिसके मालिकों ने वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट किया हो? उपाध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में ऐसे अखबार हैं, जिन्होंने वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन उनका क्रेडिट राजस्थान सरकार को नहीं है। मुझे उनकी जानकारी है। मन्त्री महोदय को भी उनकी जानकारी है लेकिन वह उनका नाम नहीं लेंगे। क्योंकि वह उनकी चाटुकारिता नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 'राष्ट्रदूत' ने वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट किया है। यह बात सही है। और राजस्थान पत्रिका ने इम्प्लीमेंट करने का निर्णय किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कि बाकी जो समाचार-पत्रों के मालिक हैं, वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनसे आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते? क्या कारण है? क्या आप को डर है? क्या उनको यह इस बात का इनाम है कि उन्होंने इस राज्य सरकार को बनने के समय गलत या सही और चुनावों के समय आपकी प्रशंसा की थी आपकी तारीफ की थी? आप की मदद की थी? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर जयपुर से 'नवज्योति' और 'लोकवाणी' निकलते हैं, इनमें वेज बोर्ड की रिक्मेंडेशन्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई हैं? ऐसे बहुत से राजस्थान में निकलने वाले अखबार हैं चाहे वह 500 कापी छापते हों, उनको एडवरटाइजमेंट दिये जाते हैं भले ही उनका स्टैण्डर्ड कुछ भी हो। आज राजस्थान में 5 लाख रु. एडवरटाइजमेंट देने के लिए है। छोटे अखबारों को देने के लिए है। लेकिन आप मनमाने ढंग से बांटते हैं। राजस्थान सरकार और पत्रों के मालिकों ने सांठ-गांठ की है। ये अखबार राजस्थान के मन्त्रियों के फोटो छापते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि अखबारों के मालिक, प्रोप्राइटर, मजदूरी के आधार पर काम करने वाले पत्रकारों का गला घोंटते हैं। राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री इतना भी कार्य नहीं करते हैं, अभी तक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुछ भी कार्यवाही नहीं करा सके हैं। आप सुखाड़िया जी से पूछ लीजिए कि क्या आप नवज्योति और लोकवाणी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं ? लोकवाणी के अन्दर तोड़फोड़ हो रही है। लोकवाणी सोसायटी को खत्म कर दिया गया है और वह अब दूसरा पत्र चला रहे हैं। उसको आप भले ही एडवरटाइज़मेन्ट दें। मैं आपकी पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पत्रों के मालिकों को पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों, वर्किंग जर्नलिस्ट और नान-वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया है ? इसका क्या कारण है ? आपने क्या कदम उठाया है ? इस बारे में आप मौन रहे हैं, निष्क्रिय रहे हैं। यह मैं समझता हूं कि लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में राजस्थान सरकार का रवैया निकम्मा रहा है, अशोभनीय रहा है। लांछनपूर्ण रवैया रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के मंत्री महोदय जो आश्वासन देते हैं कि कार्यवाही करेंगे, आपका लेबर डिपार्टमेंट केपिटेलिस्टों के हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में है, मालिकों के हाथ में है। उनसे सांठ-गांठ करके राजस्थान के मजदूरों का गला काट रहे हैं। राजस्थान के लोकतन्त्र के अन्दर पत्रों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वह निन्दनीय है। मैंने सदन का और सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि सदन के माननीय सदस्य सरकार पर इस बात का दबाव डालेंगे। कोई एक तारीख निश्चित की जाये जिस तारीख तक निश्चित रूप से सभी अखबारों पर इस प्रकार के कदम उठायेंगे और उनमें वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करायेंगे। और यदि वह लागू नहीं करते हैं तो केटेगराइजेशन को समाप्त कर दिया जाय नहीं तो एडवरटाइज़मेंट जो सरकार की ओर से उनको मिलता है, वह सारा एडवरटाइज़मेंट कैंसिल कर दिया जाए। कई ऐसे अखबार हैं, जिन्होंने वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। उसे सरकार का कोई भी विज्ञापन तब तक नहीं दिया जाये जब तक कि वेज बोर्ड का सिफारिशों को लागू नहीं कर दें। लेकिन यहां उल्टा हाल है, जिन्होंने वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन्स को लागू कर दिया है उनको एडवरटाइज़मेंट नहीं मिलते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, एक-दो अखबारों को छोड़कर और किसी ने लागू नहीं किया है। राष्ट्रदूत ने लागू किया है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। राजस्थान पत्रिका लागू कर रही है और जिन्होंने लागू नहीं किया है, उनके खिलाफ क्या कदम उठाया है ? और क्या कदम उठाने वाले हैं और कब तक लागू करवा देंगे ? और जो लागू नहीं करेंगे उनके लिए क्या पैनल्टी होगी ? इस सबके संबंध में माननीय मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पत्रकार होने के नाते उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज। अटेंशन इनवाइट हो गई है। श्रम मंत्री जी !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख रखा है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में पहले से जागरूक है। मैं उन स्थितियों में नहीं जाना चाहता जब कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट नहीं था। उस वक्त भी राजस्थान सरकार ने एक श्रमिक पत्रकार वर्किंग जर्नलिस्ट के एक मामले को लेकर सबसे पहले इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की थी। और, उससे उस पत्रकार को राहत मिली थी। मैं यह मानता हूं कि पत्रकारों की सांकेतिक हड़ताल जो कल ता. 24 को हुई, बहुत कामयाब रही और यह राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी बल्कि यह देशव्यापी हड़ताल थी जो उन्होंने अपने संगठन के आदेश पर की। राजस्थान में श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों ने जो सांकेतिक हड़ताल की उससे उन्होंने अपने संगठन की एकता और दृढ़ता का परिचय दिया है। मैं श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों के साथ अपनी पूरी सहानुभूति रखता हूं और इस सदन के मार्फत राजस्थान के सब पत्रों से अपील करना चाहता हूं कि वे शीघ्रातिशीघ्र वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू करें। और, अब तक चढ़ी हुई रकमों का भुगतान करें वर्ना उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड की मुख्य सिफारिशें कृपया तारीखें नोट करें, ता. 27-10-67 को स्वीकृत की तथा गैर श्रमजीवी पत्रकार मण्डल की सिफारिशों को 2 दिसम्बर 67 को स्वीकार किया। इसकी सूचना राज्य सरकार को ता. 4-1-67 तथा 11-12-67 को क्रमशः प्राप्त हुई। इन सिफारिशों की प्रतियां अवेलेबिल नहीं थीं, प्राप्त नहीं थीं। इसलिए और अधिक प्रतियों के लिए मैनेजर पब्लिकेशन डिवीजन को आर्डर दिया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है राज्य सरकार ने श्रम आयुक्त के यहां विभागीय स्तर पर एक स्थायी रूप से निरीक्षक की नियुक्ति केवल इसी आशय से की है कि वह इन सिफारिशों को लागू कराने तथा इनके उल्लंघन के बारे में कानूनी कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में सरकारी विज्ञप्ति ता० 11-1-68 को भेज दी गई है। और उसके प्रकाशित होते ही निरीक्षक अपना कार्य भार संभालेगा।

मुझे यह भी कहते हुए बहुत खुशी है और जैसा भाई सतीशजी ने कहा, मैं उन अखबारों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है और लागू कर दिया है।

मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने के लिये वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड मिस्लेनियस एक्ट, 1958 की धारा 6, 3, 7 तथा 9 की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सिफारिशें निकलती हैं, जो लागू नहीं होती हैं, उसके बारे में धारा 6 के अन्दर गवर्नमेन्ट को एक ऑर्डर निकालना होता है, वह है :

Every order made by the Central Govt. shall be published

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

in the official Gazette together with the recommendations of the Committee relating to order and the order shall come into operation on the date of publication or on such date whether prospectively or retrospectively as may be specified in the order.

धारा 7 है :

Working journalists entitled to wages at rates not less than those specified in the order. Subject to the provisions contained in sec. 11 of the coming into operation of an order of the Central Govt. every Working Journalist shall be entitled to be paid by his employer wages at a rate which shall in no case be less than the rate wages specified in the order.

भारत सरकार ने यह आॅर्डर जारी किया और इसके बाद धारा 9 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा :

Where any amount is due under this Act to a Working Journalist from an employer the Working Journalist himself or any other person authorised by him in writing in this behalf or in the case of the death of the Working Journalist any member of his family may without prejudice to any mode to recovery make application to the State Govt. for the recovery of the money due to him and if the State Govt. or such authority as the State Govt. may specify in this behalf is satisfied that any money is due it shall issue a certificate for that amount to the Collector and the Collector shall proceed to recover that amount in the same manner as an arrear of land revenue.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस धारा 9 के अन्दर यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक राज्य सरकार के पास किसी भी वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निरीक्षक की नियुक्ति कर दी है, उसकी नियुक्ति होते ही वह हर पत्रकार के यहां जायगा और जांच करेगा, और जांच के बाद जो भी उचित कार्यवाही होगी, उसको करने में हम किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करेंगे ।

माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस पत्र है और उसको एडवरटाइजमेंट हम देते हैं, मुझे तो पता नहीं कि कांग्रेस का कौनसा पत्र है, जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस की तरफ से कोई दैनिक-पत्र प्रकाशित नहीं होता है, साप्ताहिक का पता नहीं । लेकिन यह कहना कि बेजा तरीके से हम कुछ करते हैं तो वह सही नहीं है । जो भी इन सिफारिशों का उल्लंघन करता है वह श्रमिक पत्रकारों के हितों का उल्लंघन करता है, वह दण्डनीय है, हम श्रमिकों का हित करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे । विभाग द्वारा आज्ञा जारी होने पर यदि कोई उसका पालन नहीं करेगा तो हम जो उस पत्र को एडवरटाइजमेंट देते हैं, जो जो सुविधाएं उसको देते हैं उनको फौरन बन्द करेंगे, मैं इस बारे में कोई किसी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखूंगा और मेरा विभाग भी इस बारे में तत्पर रहेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे एक पत्रकार होने के नाते····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज··

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ···

श्री अध्यक्ष : नहीं कर पायेंगे, कुछ नियम ऐसे हैं जिन पर मुझे पाबन्द रहना पड़ता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न पर नहीं बोलने दिया तो मैं श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिये, प्रेस मालिकों और राजस्थान सरकार की श्रमजीवी पत्रकार विरोधी नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये व्यक्तिगत रूप से सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : हर्ष का विषय है कि सारा सदन पत्रकारों के सम्बन्ध में एक मत होकर दिली सहानुभूति रखता है, मुझे भी प्रसन्नता होती है दोनो पक्षों के माननीय सदस्यों के एक मत को देख कर। इस पत्रकारों के संगठन ने दृढ़ संकल्प से एक साहसी कदम राष्ट्र के लिये लिया है और सदन ने उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है। यह विलक्षण प्रश्नों में से एक है जिसके बारे में सारा सदन एक मत हो कर उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है।

इसके बाद में वाद-विवाद।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अजमेर के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनना चाहता हूँ, कल भी इस वाद विवाद में मैंने साफ कहा, वहां के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं····

श्री अध्यक्ष : मैं समझना चाहता हूँ कि कौनसा प्रश्न है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर नगर परिषद् का रूल 121 के माफिक दिया है, शायद अभी आपकी टेबिल पर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर···

श्री भगवानदास शास्त्री : यह अजमेर का बहुत बड़ा प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अजमेर के हैं, सारे राजस्थान के हैं जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या आप यह चाहते हैं कि उसे आज ही ले लिया जाय ?

श्री भगवानदास शास्त्री : जी हां, दिये हुए 4 दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं ले सकता, कुछ अध्यक्ष के विवेक पर भी है कौनसा प्रश्न कब लिया जाय, यह व्यवस्था क्या आप ही दे देंगे ?

श्री भगवानदास शास्त्री : वहां हेर फेर हो रहा है····

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी सुविधा से लूंगा, आप स्थान ग्रहण करें, इसे आज नहीं ले सकूंगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने चने की खेती को बचाने के सम्बन्ध में रखा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! दूसरे प्रश्न 29 तारीख के लिये रखे हैं।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, व्यवस्था प्रश्न है।

श्री विट्ठलभाई : अध्यक्ष महोदय मैंने और हीरा भाई ने प्रस्ताव रखा था...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री विट्ठलभाई : बांसवाड़ा में अकाल की स्थिति होते हुए भी एक मुश्त वसूली हो रही है, हमने इसके लिए प्रस्ताव रखा था....

श्री अध्यक्ष : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को रूल आउट करता हूँ, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आपकी सुविधा का प्रश्न है।

श्री विट्ठलभाई : उसका आज तक जवाब नहीं दिया गया है, लोगों के साथ मार पीट हो रही है और उनसे वसूली हो रही है और उन लोगों के द्वारा विधान सभा के सामने भूख हड़ताल भी हो रही है..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य,...

श्री विट्ठलभाई : बहुत से आदमी भूख हड़ताल कर रहे हैं और उस प्रश्न को आज तक नहीं लिया, गरीबों पर मार पड़ रही है, तीन साल का लगान उनसे एक मुश्त वसूल किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण करें, मैं माननीय सदस्य का नाम उच्चारण करता हूँ।

श्री विट्ठलभाई : यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...

श्री विट्ठल भाई : आपका हुक्म मानने के लिये तैयार हूँ लेकिन हमारे प्रस्ताव का भी जवाब दिलाया जाय....

श्री अध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करें, धैर्य रखें। आपके दिये हुए स्थगन प्रस्ताव इतने अत्यधिक हैं कि मैं उनमें से दो या तीन के सिवाय आज नहीं रख सकता था। माननीय सदस्यों को मालूम है कि कल वर्किंग जर्नलिस्ट की हड़ताल होने के कारण वाद-विवाद पर भी कुछ दशा में असर पड़ा है और मैं चाहता हूं कि आज अधिक से अधिक माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग लें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, क्या.....

श्री अध्यक्ष : क्या बाद में शुरू होता है। अध्यक्ष पैरों पर खड़े हुए हैं।

इसलिये मैं चाहता हूँ कि 29 तारीख को अवशेष स्थगन प्रस्ताव लेना चाहूँगा। माननीय सदस्य समझते हैं कि एक स्थगन प्रस्ताव में कितना समय लगता है और अध्यक्ष का लिबरल एटीट्यूड हो तो और

(श्री अध्यक्ष)

भी ज्यादा समय लगता है। इस संदर्भ में माननीय सदस्यों से सहयोग की आशा करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह ऐसे लोगों के सम्बन्ध में है जो विधान सभा के सामने भूख हड़ताल करके पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी पड़े हैं ?

यह भूख हड़ताल बाहर हो रही है, इसका मुझको ज्ञान नहीं था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि उन्होंने बांसवाड़ा कलेक्टर से संपर्क फोन के द्वारा साधा है और बांसवाड़ा कलेक्टर नहीं मिल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनसे बात हो गई है।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूँ कि यह डिबेट खत्म हो उससे पहले वक्तव्य दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : ठीक है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूँ कि सचेतक महोदय अपनी पार्टीज का सहयोग मुझे प्रदान करें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : वाद-विवाद में मुझे कृपया पहले मौका दें तो मुझे बाहर जाने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष : आप कृपा भी चाहते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, नियमों का ध्यान भी नहीं रखते, ऐसी कृपा के लिए कई माननीय सदस्यों के पत्र मेरे पास पड़े हुए है। अब मैं एक साथ तीन–चार माननीय सदस्यों पर कृपा करना चाहूँ तो कृपा का सवाल नहीं, सुविधा का सवाल है। श्री सतीशचंद्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने मेरा नाम पुकारा, उसके लिए धन्यवाद, माननीय सदस्य की व्यक्तिगत कठिनाई है, वह बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं हैं, वह बोल लें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं थोड़ा समय बोल लूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आसन अपने पैरों पर खड़ा है। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप धमकियों से···(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरे पास माननीय श्री सारण का संकेत है, आपका (श्री मुकुटबिहारी) भी है, तीनों ही अच्छे वक्ता हैं। इसलिए मुझ पर ही छोड़ दें लेकिन यह नहीं समझें कि मैंने कुछ प्राथमिकता देने में इधर उधर किया हैं··

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने अनुमति दे दी है।

श्री अध्यक्ष : (मेजर फतेहसिंह के खड़े होने पर) : मेजर फतेहसिंह की इच्छा है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रेरित होकर जो प्रस्ताव माननीय मूलचन्द डागा ने रखा है, उस पर वाद-विवाद चल रहा है।

(1.45 म. प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल, सभापति पदासीन)

राज्यपाल महोदय ने अपने व्यक्तव्य द्वारा राज्य सरकार की खोखली नीति का प्रतिपादन किया है, वह गलत और भ्रांतिपूर्ण नीति पर आधारित है अच्छा होता इस नीति के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई होती कि जो समाजवाद की घोषित नीति है उसके अन्तर्गत यह सरकार कहां तक कदम उठाना चाहती है। आज जरूरत इस बात की थी कि कुछ गरीबों के लिए करते। देश के अन्दर चारों तरफ क्या देख रहे हैं? राजस्थान की दो करोड़ जनता आज भूख से कराह रही है। गरीब गरीब, अमीर अमीर होता जा रहा है, मंहगाई बढ़ रही है, दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। राजस्थान की जनता जिस योजना की कल्पना करती थी, वह स्वप्न मात्र ही रह गया।

मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया उसी दिन यहां पर जो कर्मठ कार्यकर्त्ता थे, जो गांधीजी के पदचिन्हों पर चलने वाले थे, जिन्होंने गांधीजी के साथ अपना बहुमूल्य समय बिता दिया, वे प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उन्होंने राज्य सरकार की खोखली नीति की तरफ इशारा किया था और मांग की थी कि गरीब जनता के उत्थान के लिए पूरी नशाबंदी का कानून शीघ्रताशीघ्र लागू करें। परंतु बड़े दुःख की बात है कि आज आर्थिक कठिनाइयों का सहारा लिया जाएगा, दूसरे तरीकों का सहारा लिया जायगा, बहानेबाजी की जायगी, परन्तु गांधीजी की वह वाणी इन लोगों के कानों में नहीं है कि चाहे मुझे स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़ें, चाहे लोग बिना शिक्षा के रह जायं, परन्तु एक मिनट के लिए भी मैं शराब नहीं चलने दूंगा और पूर्ण नशाबंदी कानून एकदम लागू कर दूंगा। क्या गांधीजी के पद चिन्हों पर यह सरकार चलने का दावा करती है? आज सर्वोदय नेता 6 अप्रैल से राजस्थान की जनता का आहवान करने के लिए इधर पधारे हुए हैं। इससे गांवों के लिए विप्लव का सवाल पैदा होगा।

राज्यपाल महोदय ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया है। एक तो यह है कि धौलपुर के इलाके में चंबल घाटी की कंदराओं में 100 एकड़ तक किसानों को या कोई भी व्यक्ति हैं लीज पर देंगे। मैं समझता हूं कि योजना अच्छी है परन्तु इसके अन्दर मन की बात है, सरकार को पक्के इरादे से ईमानदारी के साथ योजना को लागू करना पड़ेगा। अभी तक कोई नियम नहीं बने हैं, कहते हैं कि प्रेस में पड़े हैं, आम जनता को जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान दिया है। बहुत बड़ा इलाका है, लाखों परिवारों का गुजारा होगा। देश के अन्दर अन्न संकट दूर होगा, पानी की समस्या वहां पर नहीं है, परन्तु उनको खातेदारी के अंदर लेने का सवाल है। सरकार के केवल आदेश निकालने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि समय

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

रहते युद्ध स्तर पर इस समस्या का हल करने के लिए कारगर कदम उठाएं ताकि गरीब किसान जो अपने परिश्रम से रोटी रोजी पैदा करना चाहते हैं जो चंबल को उद्यान में बदलना चाहते हैं। इसलिए अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा केवल थोथी घोषणा से काम नहीं चलेगा।

चूंकि धौलपुर का झगड़ा छिड़ गया, मैं बताना चाहता हूं कि धौलपुर की जनता कल गणतन्त्र दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 18 वर्षों से उनकी मांग रही है कि धौलपुर को जिला बना दिया जाय। अब आप कहेंगे कि वह छोटी इकाई है। धौलपुर आज जिस मौजूदा स्थिति में है उसको अगर आप देखेंगे तो मालगुजारी के लिहाज से धौलपुर सब-डिवीजन की राजस्थान के अन्य 8 जिलों से अधिक मालगुजारी हैं। अगर आप आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से देखे तो राजस्थान के चार जिलों–बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही—से बड़ा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण इसलिए है कि मध्य प्रदेश मिला हुआ है, इधर यू. पी. मिला हुआ है, उधर राजस्थान है। यह तीनों का त्रिवेणी स्थान है। आज वहां डकैती की समस्या जो तीनों राज्यों को आतंकित किए हुए हैं। डकैत लोग 5–5, 7–7 मील, 18–18 मील गैलोरा यू. पी. की तरफ चले जाते हैं। वह उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है इसी तरह कभी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार एक विशेष समस्या है। उसको वास्तव में, उस इलाके का उत्थान करना चाहिए, औद्योगीकरण करना चाहिए। चम्बल का इलाका राजस्थान के लिए वरदान है। इसको जिला स्तर का प्रशासन बनायें नहीं तो यह हमेशा डकैतों का अड्डा बना रहेगा, सरसब्ज हो ही नहीं सकता। डकैतों के अलावा दूसरे अपहरण करने वाले हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर को जिला स्तर के प्रशासन बनाने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। झूठे आश्वासन देकर जनता को भ्रम में रखते हैं। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक राजस्थान में यह कांग्रेस भ्रष्ट शासन कायम है तब तक राजस्थान की जनता को सस्ता सुलभ न्याय नहीं मिल सकता। आज आप ज्यूडिशियरी के सेपरेशन की बात करते हैं। राजस्थान की कार्यपालिका में ज्यूडिशियरी के सेपरेशन की बात कह कर आज इस प्रशासन में ज्यूडिशियरी के सेपरेशन का नाटक रचा गया है। मजाक उड़ाया गया है, केवल खोखलापन है। इसके अलावा आज जरूरत इस बात की है कि कम से कम जो जोधपुर में उच्च न्यायालय बना हुआ है, हाई कोर्ट जो जोधपुर में कायम किया है। जोधपुर के लोग निष्ठुर नहीं हो सकते हैं और वे यह नहीं चाहते होंगे कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिले। वे खुश नहीं हो सकते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि सस्ता और सुलभ न्याय जनता को मिले। यह हम नहीं कहते कि हाई कोर्ट की ब्रांच जयपुर में आये। हम तो चाहते हैं जयपुर के अलावा न्याय को पांचों डिविजनों में फैलाया जाय जिससे और भी सस्ता न्याय मिल सके। ऐसी ही व्यवस्था रेवेन्यू बोर्ड की होनी चाहिए ताकि किसानों

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

को सस्ता न्याय मिल सके। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की जो समाजवादी नीति है, कहां है आज ? गंगानगर का इलाका, राजस्थान नहर परियोजना का जो इलाका है उसके अन्तर्गत हमारे राज्यपाल महोदय ने बड़े गर्व के साथ अपने भाषण में इसका जिक्र किया है कि राजस्थान नहर योजना की आवंटित भूमि का निर्धारण कर दिया गया है। क्या हो रहा है वहां पर सभापति महोदय, उस भूमि के अन्तर्गत जो किसान है, उसके लिये आज जमीन नहीं मिलने वाली है। 5 फरवरी से खुले आम वहां नीलाम हो रहा है नीलाम का मतलब है सैंकड़ों वर्षों से जो किसान इस धरती का पेट चीरकर हल चलाते थे, अपनी कड़ी मेहनत से खून और पसीना एक कर जो देश के प्रोडक्शन में सहायक होते हैं। आज वह जमीन उस किसान को मिलने वाली नहीं है। किसान इस मामले में पिछड़ जायेंगे। इस बात की घोषणा की गई थी कि भाखरा योजना के अन्तर्गत किसानों को जमीन देंगे, आज वह बात भी पूरी नहीं की है। 16 हजार एकड़ भूमि को नीलाम करने जा रहे हैं। आज उस इलाके के 50 हजार भूमिहीन किसान और 50 हजार ऐसे लोग जो गलाभकर जोतों के हैं, हम चाहते हैं कम से कम इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से हल किया जाय। अगर आपके हक में वेलफेयर, समाजवादी दृष्टिकोण है तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जल्दबाजी को खतम कीजिये। भूमिहीन जो किसान हैं, अलाभकर जोतों वाले जो किसान हैं उनके लिये सस्ती दरों पर जमीन दीजिये। नीलामी की प्रथा को खतम कीजिये। कम से कम जमीन का मालिक उस व्यक्ति को बनाइये जो उस जमीन को जोते, उस पर हल चलावें। आप इस सिद्धान्त को मानेंगे कि अगर नीलाम होगी तो वित्त मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी क्या होगा–यह होगा मैं आपको नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा जो पैसे वाले लोग हैं चाहे वे पंजाब के हों, दिल्ली के हों, उत्तर प्रदेश के हों और चाहे वे महाराष्ट्र के हों जमीन को ऊंची कीमत पर खरीद लेंगे। जो काला पैसा उन लोगों के पास पड़ा हुआ है उस काले पैसे के बल पर वह उस भूमि के मालिक हो जायेंगे। भूमि के ऊपर इन्कम टैक्स नहीं लगता। इन्कम टैक्स से बचाया हुआ वह काला धन सफेद धन में परिणित हो जायगा। इसलिए उस काले पैसे को सफेद धन में परिणित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया स्वरूप आज इस नीलामी की कार्यवाही को बेईमानी के तरीके से हजम करना चाहते हैं। बेईमानी का तरीका मत अपनाये और जो सोइल जोतता है उसको हकूक दीजिये। इसके साथ-साथ मैं भरतपुर की बात भी कहना चाहता हूं। भरतपुर में कम से कम एक हजार ऐसे मकान हैं जिनको हम नजूल मकान कहते हैं, सरकारी मकान कहते हैं हम लोग यह चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि वे मकान सैंकड़ों वर्षों से, 7 पीढ़ी से उन मकानात में रहते है, अब क्या है, जो भाई जिस मकान में रहते हैं उसका तखमीना बनाकर उसके अधार पर कीमत ले लें और उसके जो मकानात के हक हैं वह दे दे। अगर सरकार की वास्तव में वेलफेयर का नीति है। मैं आपके माध्यम से नम्र

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यापारिक प्रक्रिया है वह छोड़ दें। तखमीना बनाकर जितनी उसकी कीमत है, वह ले लें। होना तो यह चाहिये कि मुफ्त में उन बेरोजगार भाइयों को छोड़ दें। मेरा ख्याल है ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बेरोजगार हैं असहाय हैं ऐसे वर्ग को दे दीजिये। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मालदार रहने वाले नहीं हैं। उनके तो बड़े बड़े विशाल भवन हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं। आप इसमें संशोधन कर दीजिये जो लोग बड़े इन्कम टैक्स देने वाले हैं, उनको नीलाम कर दीजिये। जो लोग बड़े हैं, उनको आप कोई भी सुविधा न दीजिये यह बात तो समझ में आ सकती है। सात पीढ़ियों से जिन लोगों ने अपने पैसे से मरम्मत करके उन मकानों को अच्छी हालत में रख रखा है उनको उठाकर फेंक रहे हैं और उनके मकान नीलाम हो रहे हैं।

अब मैं सहकारी आन्दोलन के बारे में कहना चाहूंगा। अगर आप राजस्थान के लोगों को सही फायदा देना चाहते हैं तो आप हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी बनवाइये। राजस्थान में हाउसिंग की समस्या इसी तरह से ही खत्म हो सकती है। आप अहमदाबाद की तरफ जाइये, दिल्ली की तरफ जाइये, आज पूरा का पूरा अहमदाबाद शहर हाउसिंग सोसाइटीज के जरिये बना हुआ है। आपको एल. आइ. सी. से और केन्द्रीय सरकार से लोन मिल सकता है मकानों को हाइपोथिकेट करके लोन दिया जा सकता है और वह आसान किश्तों में वसूल हो सकता है। मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वे इस योजना को लागू करें, तो राजस्थान की जनता जो घास और फूस के कच्चे मकानों में आज रहती है, जिनकी जीवन की लीला वहीं पैदा होकर वहीं समाप्त हो जाती है, जो बचपन जवानी और बुढ़ापा वहीं व्यतीत करते हैं, उन लोगों के लिये आपको यह क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। क्रान्तिकारी कदम उठाइये, राजस्थान में पक्के मकान बनवा डालिये, यहां पर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाकर राजस्थान के लोगों को झोंपड़ों से निकाल कर पक्के मकान में ले आइये, यह समय है आपकी यह मिनिस्ट्री रोज रोज रहने वाली नहीं, कुर्सियां बराबर रहने वाली नहीं यह समय के साथ चली जाती हैं। समय तो आता जाता रहता है लेकिन आपके किये हुए सत्कार्य हमेशा के लिये याद रहते हैं आप यदि इस तरह का कार्य कर देंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिये जनता में आदर के साथ पुकारे जायेंगे। आप में भविष्य का ज्ञान रखने वाले लोग भी हैं आप इस बारे में सचेत और सजग होकर कार्य करिये।

दूसरा मैं शीप एण्ड वूल डिपार्टमेन्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं आप इसको वाइन्ड अप करने जा रहे हैं। शीप एन्ड वूल से हमें उम्मीद थी इसके जरिये राजस्थान सरकार वो क्रान्तिकारी कदम उठा रही है जो भेड़ पालकों और पशु पालकों को उनकी मेहनत का पूरा पूरा फायदा दिलायेगी। बीच में जो मुनाफाखोरी करने वाले हैं उनको आप खत्म करके यह क्रान्तिकारी कदम उठाने वाले हैं। इसके

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)
लिये मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री गण आस्ट्रेलिया भी गये थे जिसके लिये बाहर से मशीनरी मंगाई गई, भवन बनाये गये, आज आप उसको वाइन्ड अप कर रहे हैं। इसके लिये बड़े बड़े भवन जो एशिया में अपनी किस्म के हैं यहाँ बनाये गये इससे यह प्रतीत होने लगा था कि राजस्थान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है यहां की प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग होने वाला है लेकिन आखिर में जाकर "टांय टांय फिस" आप विभाग को ही समाप्त कर रहे हैं।

जयपुर दुग्ध योजना आपकी 45 लाख रुपये घाटे में चल रही है। कोई भी योजना प्रारम्भिक रूप में घाटा हो सो तो बरदाश्त भी किया जा सकता है आप पक्के इरादे के साथ आगे बढ़िये अपनी नीतियों पर अड़ना और मर मिटना सीखिये तभी जाकर राजस्थान का उत्थान हो सकता है ढीले मन से विकास नहीं हो सकता।

राजस्थान में बाढ पीड़ितों के बारे में भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया लेकिन मैं इसमें भी होने वाले गड़बड़ घोटाले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने कृपा पूर्वक भरतपुर में आयी बाढ़ के समय में मदद दी उसके लिये मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। लेकिन आपके अधीनस्थ कर्मचारियों ने क्या घोटाले किये हैं उनकी ओर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। हमारे इलाके के उप मंत्री महोदय बैठे हैं वे राजगढ़ के रहने वाले हैं क्या हुआ जिन लोगों को सहायता के नाम पर स रुपये दिये गये उसमें से पचास रुपये तो हाथों हाथ रख लिये गये। बड़ी मिन्नत करने पर भी वे कहते थे कि यह तो हमारी महरबानी है जो आपको इतना तो दे रहे हैं। इसके लिए हमने अफेडेविट पेश किये शिकायतें की हैं॰॰

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मंत्री) : जो माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं वे बिल्कुल तथ्यहीन हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपको शर्म आनी चाहिये आपकी सरकारी कुर्सी पर नियुक्ति होते ही आपने सत्य बोलने की कसम खाली है। मैं समझता था आप राजाखेड़ा के सेठ प्रतापसिंह के सुपुत्र हैं आप अपनी ईमानदारी का प्रभाव रखेंगे आपने जाने पहचाने थानेदार वहां रख रखे हैं वह भी जनता को उत्पीड़न करने के लिये। लेकिन आपको भी इस मंत्री की कुर्सी मिलने पर अपनी मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा यह मैं आज आपके कहने के बाद जान गया।

मैं सभापति महोदय, इस बारे में तथ्य अगले सदन में अफेडेविट पेश करूंगा, हजारों लोगों के दस्तखतों से सबूत पेश कर दूंगा जिलाधिकारियों से मैं आपके मार्फत प्रार्थना करना चाहता हूँ जो शिकायती पत्र उनको दिये गये हैं हल्फिया बयान जो दिये गये हैं उसके बारे में उचित कार्यवाही कर शीघ्र निर्णय करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मंत्री) सभापति, महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बहुत गम्भीर है। बाढ़ के समय सरकार की तरफ से जो मदद दी जो

(श्री मथुरादास माथुर)

अफसरों की मार्फत बांटे गये उसके लिये माननीय सदस्य का कहना है किन्हीं सरकारी अधिकारियों ने उसमें से रुपया रख लिया रिश्वत के रूप में रख लिये। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप भी बाढ़ के सिलसिले में मुझसे मिले थे जनरल बात आपने की थी। इस तरह की शिकायतें आपके पास हैं वे आप आज या कल जब कभी आप को अवसर हो हमें दें दें उसकी हम जांच करवायेंगे और जो अधिकारी दोषी पाया जायगा उसको पूरी सजा दी जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं मंत्री प्रवर का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रकार दृढ़ता का रुख अपनाया आपने वह कह कर व्यक्तिगत रूप से मेरे पर तो आपने छाप छोड़ी है साथ ही उन गरीबों की पुकार भी सुनी है उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। जो गरीब लोग अपने घरबार से बाढ़ के कारण उजड़ गये, बरबाद हो गये। उनकी लाचारी का फायदा उठाकर जिन अधिकारियों ने पैसा बटोरा उस सम्बन्ध में जांच करने का आश्वासन दिया उसके लिये मैं आपके सामने सबूत पेश कर दूंगा।

कामां के अन्दर क्या हुआ मुफ्त तौर पर खाद्यान्न बांटा गया, मक्का बांटा गया मक्का बांटने में क्या हुआ 1 मन की जगह 30 किलो दी गई। और जिसने दस रुपया गिरदावर या पटवारी को दिये उनका नाम लिख लिया गया और जिनने नहीं दिये उनका नाम नहीं लिखते थे कोई गिड़गिड़ाते तो पैसा वापिस कर देते। इसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार, सभी इसमें शामिल थे कोई सुनने वाला नहीं। जो आदमी इतने निष्ठुर हों उनसे क्या आशा की जा सकती है।

इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों के लिये जो सरकार की तरफ से सहायता दी गई वह भी नाकाफी है। जिस पैमाने पर बाढ़ आयी उससे एक करोड़ रुपये की क्षति हुई आपको वहां के नुकसान की पूर्ति के लिए लोंग टर्म और शोर्ट टर्म प्लान बनाने चाहिये। एक मास्टर प्लान बनाना चाहिये ताकि यह बाढ़ की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाय। इसके बारे में शोर्ट टर्म योजना बनाकर चलिये जैसे कि वहां एक एक तहसील में सत्तर अस्सी के करीब छोटे मोटे तालाब हैं जो पुराने बने हुए हैं, उनमें कुल तब्दीली करवाकर इस तरह से जहां पर 1 करोड़ का नुकसान हुआ है उसके लिए 20 लाख रुपये मंजूर करना ना काफी है इसके अलावा आपके विभाग को इस बारे में सचेत करने की आवश्यकता है वे कभी यह कहते हैं कि सेंक्शन नहीं आयी है।

अन्त में बाढ़ पीड़ित लोगों के बारे में इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके लिए दो तीन बातें करिये। एक बात तो जो मंत्री महोदय ने जनता के समक्ष घोषणा की थी जिन किसानों की जमीन इस बाढ़ से बरबाद हुई उनके लिए आपने घोषणा की थी जिन किसानों की जमीन बाढ़ से बरबाद हुई है बाढ़ग्रस्त लोगों से आबियाना वसूल नहीं करेंगे तीन तीन बार सार्वजनिक रूप से आपने घोषणा की थी कि सेक्रेटरी साहब आप नोट कर लीजिए आम नहीं

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)
माफ शब्द कहा है। मुख्य मंत्री और केबीनेट के मंत्री सार्वजनिक रूप से घोषणा करें उसका कोई नतीजा न निकले यह आपके विचारने की बात है। थोड़ा आप विचार करें।

साथ ही कुछ और बातें हैं। कुछ इलाकों में पशुओं की बीमारी फैल गई है। आज कामां और ·ीग में 40 प्रतिशत पशु रोग-ग्रस्त हो गए हैं और हजारों की तादाद में इस कारण मर रहे हैं। बहुत मर चुके हैं। इस पशु धन को बचाने के लिए मेरी आप से प्रार्थना है कि वह मूक प्राणी मुंह से तो बोल नहीं सकेंगे पर अगर उनकी इन बीमारियों की थोड़ी रोकथाम आप कर सकेंगे तो उन प्राणियों को बचाया जा सकेगा। यह बहुत बड़ा पशुधन है हमारे देश का। आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए यह करना लाजिमी हो जाता है।

इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाका जो है जिस जमीन पर आज पानी पड़ा है जिससे खरीफ की फसल बरबाद हो गई उनसे आप सिंचाई टैक्स वसूल कर रहे हैं। यह माननीय और नैतिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से भी कहां तक उचित है, यह आप देखें। जिन जमीनों में बाढ़ का पानी, जिन लहलहाती खेती को बरबाद करके बाढ़ का पानी आज भी भरा है उनसे सिंचाई टैक्स वसूल करना, यह अपने आपमें मौजू नहीं लगता।

मैं नम्रता से निवेदन करता हूं कि आप इन पर विचार करें।

अन्त में मैं बैठने से पहले जो भाई अभ सिंहजी सतीश चन्द्र जी और श्री अध्यक्ष महोदय ने खास तौर से जल्दी मुझे बलोने का मौका दे दिया और वाद निभाया इस लिए उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ और माननीय मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उन पर गहराई से विचार करें।

श्री सभापति : श्री दौलत राम सारण !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, राज्यपाल के भाषण ····

मेजर श्री फतेहसिंह : हमें तो अवसर ही नहीं मिला।

श्री सभापति : जनता पार्टी की ओर से भी नाम हैं। आप की बारी आवेगी। कल के वाद विवाद के अन्दर जनता पार्टी के लोगों ने कम भाग लिया इसलिए इनको अभी मौका दे दिया। आगे आप के भी नाम आवेंगे।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं आपके इस निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं तो अपने लिए कह रहा हूं।

श्री सभापति : क्रम से सबके नाम आ जावेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आल्टरनेटली नाम लिए जावें साहब, एक इधर का दूसरा उधर का।

श्री सभापति : इसी प्रकार से होगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आपने एडमिट किया था कि पार्टियों के सचेतक जिस प्रकार समय का निर्धारण करते हैं उस क्रम से अवसर दिया जाता चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह से टाइम वेस्ट करने से लाभ नहीं ।

श्री विजयसिंह रावत : उन नामों को आप उसी तरह से प्रायोरिटी बेसिस पर रखें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये । प्रत्येक दल के सचेतक द्वारा जिस प्रकार कहा जाता है आसन के द्वारा उसी प्रकार की व्यवस्था की जारही है ।

श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण : माननीय सभापतिजी, राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने सुना तो नहीं, लेकिन पढ़ने पर बड़ा निराशाजनक प्रतीत हुआ । वस्तुस्थिति के विपरीत लगा और नाकाबिले एतबार भी महसूस हुआ ।

आज राजस्थान की जो स्थिति है उसका सही चित्रण राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है और न भावी कार्यक्रम के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश है इसमें । ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर सहमत होना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

श्री हंसराज आर्य : माननीय सदस्य दूसरी बार बोल रहे हैं ।

श्री सभापति : प्रथम बार ही बोल रहे हैं, दूसरी बार नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य कहां सोच रहे हैं ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो किसानों की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और जो भावी कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया है वह अत्यन्त निराशा नक है और बहुत ही नाकाबिले ऐतबार है । क्योंकि हमने गत वर्ष राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणायें सुनी थीं वे थोथी निकलीं । इसलिए आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहा गया है वह भी सही ही होगा इसका इतमिनान करना हमारे लिए कम सम्भव प्रतीत होता है ।

यह बताया गया कि जो लोकतन्त्र में सरकार समाजवाद की स्थापना करने के प्रयास में लगी है वह सरकार गरीबों की गरीबी दूर क रोजगार देने की चेष्टा कर रही है । भूमिहीनों को भूमि देने के लिए भी कुछ इसमें कहा गया है । पर हकीकत क्या है । यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

हकीकत यह है कि लोकतन्त्र की ओर समाजवाद की बुनियाद का आधार जनता पर और जनता के हित और हकों पर विश्वास रख कर चलना होता है । जनमत की बिना परवाह किए जो सरकार चलती है वह सरकार लोकतान्त्रिक सरकार नहीं कही जा सकती ।

समाजवाद को मानने वाली सरकार वह होती है जो नागरिकों को रोजगा दे, उनको हर विकास का अवसर दे, नागरिकों की बुनियाद आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करे । पर इस सरकार ने इनमें से कोई भी काम करने का प्रयास नहीं किया और किसी भी काम पर यह सरकार टिकती नहीं । इसलिये न तो इस सरकार की लोकतंत्र पर आस्था मालूम पड़ती है,

(श्री दौलतराम सारण)
न समाजवाद में निष्ठा ही। इसकी कोई निश्चित नीति नहीं है, न निश्चित कार्यक्रम है। इस सरकार ने जो कार्यक्रम देश के और समाज के सामने रखा वह वह योजना बद्ध विकास का कार्यक्रम है। पर वह योजना असफल हो चुकी। इस साल तो योजना बनाने में भी सफल नहीं हो सकी।

धनाभाव का कारण बताया। 15 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब से भी अधिक धन जनता ने कोष में दिया है लेकिन उस धन का इस शासन ने सदुपयोग नहीं किया। परिणाम यह आया कि सरकार आज अधिक धन लेने को तत्पर है पर लेने में असमर्थ अपने आपको महसूस कर रही है और धन लेने के लिये ऐसे ऐसे तरीके अख्तियार कर रही है जो तरीके लोकतान्त्रिक सरकार नहीं अख्तियार कर सकती, न उसको करना चाहिये। ये तरीके लोकतन्त्र की मर्यादा से बाहर हैं। लोकतान्त्रिक सरकार लोक मानस को अपने अनुकूल बनाकर ही धन संग्रह करती है। वह मानस को बनाकर लोक मानस को बनाकर कार्य करवा सकती है। पर यहां तो प्रतिकूलता पैदा की जाती है। अल्प बचत के नाम से सात करोड़ धन संग्रह यह सरकार करना चाहती है और अल्प बचत के नाम से जो हो रहा है वह स्वेच्छित धन संग्रह नहीं है। उसमें बाध्यता है। अनपढ़ और अज्ञानी कम जानकार लोगों से जबर्दस्ती टैक्स के साथ, करों के साथ यह धन संग्रह किया जा रहा है। मोटर के परमिट के साथ, मोटर के टैक्स के साथ धन संग्रह किया जाता है, सेल्स टैक्स के साथ धन संग्रह किया जाता है, रजिस्ट्रेशन जो है उसके साथ यह धन संग्रह किया जाता है। इस तरह से मजबूर किया जा रहा है नागरिकों को कि वह जबर्दस्ती अल्प बचत के नाम से धन दें। यह लोकतान्त्रिक तरीका नहीं है।

लोकतन्त्र में शहद की मधुमक्खी के समान धन संग्रह की इजाजत होती है। नाना कुसुमों से मधुमक्खी उनको बिना सताये, उनको बिना आभास तक दिये पराग उनसे लेकर मधु संग्रह करती है और लाखों मन मधु देती है। कुसुमों को कोई क्षति नहीं पहुंचाती, बल्कि उनको पता भी नहीं लगने देती। इसी प्रकार लोकतन्त्री शासन को जनता के अन्दर से धन संग्रह करना चाहिये। जनता की कोमल भावनाओं को आघात नहीं लगे। उनके अधिकारों पर आघात नहीं हो, मानस सरकार के समर्थन में हो, इस प्रकार से धन संग्रह करे। पर यहां तो जनता गालियों के सिवाय सरकार को और कोई बात देने को तैयार नहीं है। सहयोग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।

सामुदायिक योजनाएं, पंचायती राज फेल हो गये, सहकारिता आन्दोलन फेल हो गया। योजनाबद्ध विकास फेल हो गया और शासनतन्त्र भी, मैं कहूं, फेल हो गया तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। जिसकी जो मरजी आती है वह करता है। यहां प्रश्नोत्तर काल जो प्रश्न और उनके उत्तर आते हैं उनसे साफ जाहिर है कि कोई कानून और व्यवस्था का प्रश्न यहां नहीं है यहां तो केवल शासक की इच्छा का सवाल है। जहां शासक दल की जो इच्छा है वही कानून है। शासक दल

Page No.77

(श्री दौलतराम सारण)

की जो आवश्यकता हो वही कानून है। इसके सिवाय कोई कानून, कोई नियम और नीति इस राज में नहीं है। थोथी दलीलें नजर आ रही हैं। झूठे मुकद्दमे बनाये जाते हैं राजनैतिक द्वेष से प्रेरित होकर प्रतिशोध लेने के लिये लोगों को झूठे मुकद्दमों में फंसाया जाता है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जन आन्दोलन के समय लोक अभिव्यक्ति को प्रकट करने के कारण संवैधानिक सीमाओं के अन्दर रहने के बाद भी शान्त प्रदर्शन में भी लाठियों से मारा जाता है, पीटा जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है और कानून की मर्यादाओं का उल्लंघन करके उनको जबरदस्ती रोककर रखा जाता है। अदालतों में नियमानुसार उनको पेश नहीं किया जाता। यह स्थिति आज इस शासन की हो रही है। इस संबंध में मेरे पास कई उदाहरण हैं। वह उदाहरण तो मैं बाद में रखूंगा लेकिन पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आज स्थिति भयावह है। लोकतन्त्र खतरनाक स्थिति पर खड़ा है, लोकतन्त्र खतरे के कगार पर है और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि स्वाधीनता और लोकतन्त्र दोनों आज खतरे में हैं। देश में नागरिकों का अस्तित्व खतरे में है, नागरिकों के अधिकार खतरे में हैं, किसी को अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा प्रतीत नहीं होती। आज किसी नागरिक को उसके विकास का अवसर उत्पन्न नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज व्यक्ति भयभीत हैं, संकटग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं। इसी का परिणाम है कि आज देश में भ्रष्टाचार, अनियमिततायें और अनैतिक आचरण नजर आते हैं और यह यों ही पैदा नहीं हो गये इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से देश में 20 वर्षों तक स्थिति पैदा की गयी है। आज ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। हर आदमी चाहता है कि वह ईमानदारी के साथ जीवनयापन करे लेकिन शासन के नियम और शासन का हस्तक्षेप इस हद तक पहुंच गया है कि व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि वह बेईमान बने। नौकर, राज्य का अधिकारी और कर्मचारी सेवक सेवा नहीं कर पाते हैं ईमानदारी और न्याय के साथ, नियमों और कानून के साथ। उसके काम में हस्तक्षेप किया जाता है, राजनैतिक हस्तक्षेप किया जाता है, उसको फुटबाल की तरह से इधर से उधर ट्रांसफर करके परेशान किया जाता है, मजबूर किया जाता है। सेशन के बीच में उसके बच्चों को टी. सी. 3–4 बार इधर उधर बनवाने पड़ते हैं और लाचार होकर उसको आखिर समर्पण करना पड़ता है, राजनैतिक दखल के कारण।

इसी तरह से व्यापारी परेशान हैं। उसको स्वतन्त्रा के साथ और नियमितताओं के साथ व्यापार करने की छूट नहीं है। उसके हर काम में दखल है। 10–12 इन्सपेक्टर्स उनके पीछे लगा रखे हैं, हर एक का महीना बंधा हुआ है। उसके बाद भी वह ईमानदारी से महीना देने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाता है। उसके बाद भी इशारों पर चालान कर दिया जाता है, झूठे चालानों से ही पिन्ड नहीं छूटता बल्कि चालान के बाद में झूठे मुकदमे बना दिये जाते हैं कि सेम्पल की शीशी छीन ली। इस प्रकार से राजनैतिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। सुजानगढ़ के अन्दर इसी प्रकार से एक व्यापारी के साथ किया

(श्री दौलतराम सारण)

गया। उदाहरण मेरे पास और भी कई जगह के हैं। मोअज्जिज लोगों को, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस प्रकार से तंग किया जाता है। बीकानेर में एक राजनैतिक कार्यकर्ता श्री भंवरलाल वर्मा के ऊपर जहाजपुर में चोरी का केस बनाया गया और इतना ही नहीं उसके ऊपर औरत को उड़ाने का मुकदमा बनाया गया जब कि सत्यता यह है कि भंवरलाल कभी जहाजपुर गया ही नहीं, उसने जहाजपुर की शकल तक नहीं देखी कि कैसा जहाजपुर है। इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से चला जायेगा तो लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा, स्वाधीनता को खतरा हो जायेगा और आप कहते हैं कि शांतिमय और वैधानिक रास्ते पर चलकर हमारे राजस्थान में जो शांति रही है उसके लिए राज्यपाल महोदय को मुबारकबाद भी देते हैं लेकिन वह शांति एक पक्षीय नहीं रह सकती। उसके लिए शासन को भी वैधानिक रास्ते अपनाने पड़ेंगे अगर शासन ने वैधानिक रास्ते को छोड़कर राजनैतिक हस्तक्षेप किया तो उसके परिणाम भयंकर होंगे और उनको बर्दास्त नहीं किया जा सकता। अगर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया तो एक बार हो सकता है जनता बर्दाश्त करले लेकिन हमेशा के लिए वह बर्दास्त नहीं किया जायेगा। मैंने भंवरलाल वर्मा का मामला बताया। सुजानगढ़ के शिवभगवान मोदी का मामला है। वह फूड इन्सपेक्टर जो कि 8-10 वर्षों से नूरू मे है उसका 8-10 बार ट्रांस्फर हो गया लेकिन मंत्रीस्तर पर उसको रोका जाता है। लेकिन वहीं पर उसका स्थानान्तरण करके उसका राजनैतिक उपयोग किया जाता है और वह झूंठे मुकदमे बनाने का एक्सपर्ट है। इसी प्रकार से मैं आपको और कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं का हाल बता सकता हूं।

सरदार शहर पंचायत समिति के उप-प्रधान के ऊपर 409 का बिलकुल गलत मुकदमा बनाया गया जब कि उसके पास पूरे प्रमाण हैं और वह 409 की तारीफ में नहीं आ सकता, लेकिन उसका चालान किया गया। इसी तरह से और भी अनेक राजनैतिक उत्पीड़न के उदाहरण मेरे पास हैं लेकिन मैं सदन का समय उसमें नहीं लेना चाहता हूं। मैं इन उदाहरणों को प्रस्तुत करके केवल एक बात कहना चाहता हूं शासन से कि शासन को अगर आप राजनीति में इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे खराब निकलेंगे, लोकतन्त्र के लिए वह खतरनाक होगा। आज शासन में आप हैं कल आपके मुखालिफ आ सकते हैं और अगर यह रीति डाल दी तो इसका परिणाम जो होगा उसकी पहले से ही पूरी तरह से कल्पना कर लीजिए खतरनाक परिणाम होंगे और यही तरीके होते हैं जो कि लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजनैतिक विरोध को, सैद्धांतिक मतभेद को, दलगत मतभेद को अगर इस सीमा तक लेकर निपटते हैं और राज्य की शक्ति से हस्तक्षेप करते हैं तो आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, यह मुझे मानने के लिये मजबूर होना पड़ता है। राजनैतिक मतभेदों में आप विचार से लोगों को कनविन्स कीजिए, आप अपने कर्मों से लोगों

(श्री दौलतराम सारण)

को प्रभावित कीजिए । आप जनता में अपना असर व्यवहार से पैदा कीजिए, आप अपने नेतृत्व के चरित्र से जनता में नाम पैदा कीजिए । लेकिन वह तो आपमें है नहीं । आपके दल के नेतृत्व में, आपके कार्यक्रमों में और आपकी नीति और आपके सिद्धान्तों के प्रति जब जनता में आस्था नहीं है तो फिर आप शासन के डंडे के द्वारा जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, आतंक से भय पैदा करके लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं लेकिन भय से प्रभावित होकर कांग्रेस के समर्थक लोग नहीं हो सकते क्योंकि हर आदमी समझता है कि उसे भी अधिकार हैं और हर आदमी अपनी शक्ति को जानता है । आपकी उमर को जानते हैं कि हर 5 वें वर्ष यह हमारे पास भीख मांगने के लिए आयेंगे । आपकी उमर अधिक से अधिक 5 साल है लेकिन आप तो 5 नहीं पता नहीं कब चले जायें इसलिए आप इस गरूर में नहीं रहें कि हम ही सदा रहेंगे । कोई मतभेद की बात कहते हैं तो कहते हैं विधान सभा बुलाकर, हम इनको पैसा देकर गाली क्यों खायें । जैसे पैसा कोई अपनी पाकेट से दे रहे हैं । यह पैसा सरकार के खजाने से लगता है और उसमें आपका ही हिस्सा नहीं है उसमें हमारा भी, विपक्षियों का भी हिस्सा है । उसमें 2 करोड़ 10 लाख लोगों का हिस्सा है । इसलिये मैं ऐसा समझता हूँ कि यह आपकी नासमझी के अतिरिक्त और कुछ नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए लेकिन मैं देखता हूं कि यहां कोई आदर नहीं है । समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोगों को निम्न वर्ग का ध्यान रखना चाहिए लेकिन यहां कोई ध्यान नहीं है यहां बस्तियां बसती हैं तो पहले पैसे वालों को प्लाट दिये जाते हैं, उन आवासहीन लोगों को नहीं दिये जाते हैं बल्कि उनको बेदखल करके बाहर निकाल दिया जाता है, झोंपड़ियां उनकी दूर फैंक दी जाती हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है । तीनों योजनाओं में उनको बेदखल किया गया लेकिन आज भी उसके आवास का कोई इन्तजाम नहीं है । इस तरह से भूमिहीन कृषकों का, खेतिहर मजदूरों का कोई ध्यान नहीं । करोड़ों एकड़ भूमि राजस्थान की आज व्यवस्था मांगती है । यह अन्न देना चाहती है । देश का बच्चा-बच्चा अनाज चाहता है, लेकिन यह निकम्मी सरकार भूमि पर काश्त करवाने में असफल रही । इसका ही परिणाम है कि आज राजस्थान में भी अन्न की कमी है । इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान भी आत्म-निर्भर नहीं हैं नहीं तो राजस्थान में आत्म-निर्भर नहीं होने का कोई कारण नहीं है । लाखों एकड़ जमीन बिना काश्त के रह जाती है । लाखों किसान बिना भूमि के रह रहे हैं और करोड़ों रुपयों का इस शासन को घाटा हो रहा है, लेकिन इस शासन को कोई फिक्र नहीं है । नीतिगत निश्चित चीज की कमजोरी के कारण, निर्णय की कमजोरी के कारण, निर्णय नहीं कर पाने के कारण भूमि बंजर रहती है और उससे भूमिहीन लोग बेरोजगार रहते है और देश बिना अन्न के रहता है, जिससे शासन के कोष में धन नहीं आ पाता । लेकिन इसकी इनको फिक्र नहीं । फिक्र एक बात की है कि भूमिहीनों को जमीन देंगे तो 500) ए. बीघा, 800) रु. बीघा की कीमत तय

(श्री दौलतराम सारण)

करके 5 पर्सेन्ट हरिजन और आदिवासियों को पहले जमा कराना पड़ेगा यानी 1500 से 2200) रु. तक पहले वे जमा करायें और फिर 1900) रु. सालाना किश्त के और दें, और दूसरे लोग जो हैं जो गैर हरिजन हैं वे साढ़े बारह पर्सेन्ट पहले जमा करायें मतलब दो-ढाई हजार रुपया पहले जमा करायें। जिसके पास रहने को घर नहीं, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, मैं इस समाजवादी सरकार से पूछता हूं, इस लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह भूमिहीनों से 1500, 2500 या 2000 रु. एडवान्स कैसे जमा कराती है, मुझे जरा वह नुस्खा तो बता दें।

दूसरी तरफ यह बंगले बनाने के लिए 2000, 3000 की तनख्वाह पाने वाले लोगों को 20–30,000 रु. का ऋण देती है, और तीस वर्षों की किश्त पर देती हैं। मामूली व्याज पर देती हैं, लेकिन भूमिहीनों को दो साल के लिए बिना किश्त व लगान पर भूमि एलॉट करने के लिए यह तैयार नहीं है। यह है हमारा समाजवाद यह है हमारा रोजगार देने का तरीका! यह है हमारी लोकतन्त्र पर आस्था!

और फिर और सुनिये भूमि इन गांवों के पास उपलब्ध नहीं है वहां तो बेचेंगे, नीलाम करेंगे अच्छी भूमि को, लेकिन इनको भूमि कहां देंगे? उनके लिए रिजर्व कर दी है। इस राज्यपाल के भाषण में कहा गया है कि उनके लिए भूमि रिजर्व करदी है। वह जमीन मैदान में रिजर्व नहीं की है, वहां पर डिमार्केट नहीं की। कहां दी जायगी? वह जमीन दी जायगी नहर की टेल के बाहर जहां पर बीस वर्षों में पानी की एक बूंद नहीं पहुंच सके। जिनके पास हल नहीं जिनके पास बीज नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, जिनके पास बैल नहीं, वे वहां आकर जमीन को काश्त कर लेंगे? देंगे कितनी? 15 बीघा। 15 बीघे जमीन पर कोई काश्त करके मुझे बता दे कि वह इकोनोमिक होल्डिंग है उस रेगिस्तान के अन्दर? लेकिन इनको अगर कहते हैं तो नहीं पैसा चाहिए। राजस्थान नहर बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आये? एक तरफ यह मांगते हो, वह मांगते हो तो पैसा कहां से दें अगर जमीन नहीं बेचें तो। आपको पैसे की जरूरत है। हम भी यह मानते हैं हम दिलाना चाहते हैं लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आपका पैसा लेने का इरादा नहीं है, आपका जमीन देने का इरादा नहीं वस्तुस्थिति वाले किसान को। आप कीमत तय कर दें और कीमत तय करके किसान को जमीन एलाट कर दें और दो साल के लिए भूमिहीन किसान से लगान और कीमत की किश्त माफ कर दें। उसको तकावी दें, हल, बीज, जोत, खाद वगैरह के लिए तो आपका सारा पैसा आयेगा। लेकिन आप वह काम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी समाजवाद में निष्ठा नहीं है, आपकी देश के गरीब आदमी को साधन देने में निष्ठा नहीं है। आपके पास पैसे वाला 5 लाख का हिसाब दिखाकर, पांच लाख की जायदाद दिखाकर पांच करोड़ रुपया ले लेगा इन्डस्ट्रीज के नाम पर, औद्योगीकरण के नाम पर उसको आप रुपया दे देंगे। उनको आप कन्सेशन रेट पर बिजली, पानी और जमीन

(श्री दौलतराम सारण)
सब दे देंगे । लेकिन भूमिहीनों के लिए आपके पास पैसा नहीं है । उस गरीब को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है ।

आजकल एक नारा आप जोरदार लगा रहे हैं । टेक्निकल एज्युकेशन का, टेक्निकल एज्यूकेशन जो आप चिल्लाते हैं कि तकनीकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तो यह तकनीकी शिक्षा प्राप्त किये आज तक कितने ओवरसियर और इन्जीनियर्स सड़क पर जूतियां रगड़ रहे हैं और रोज हमारी जान खाते हैं कि हमारे साथ यह हो गया, वह हो गया । लेकिन कोई योजना नहीं है उनके लिए । केवल टेक्निकल एज्युकेशन की इन्स्टीट्यूशन्स खोलने से, संस्थाएं खोलने से, और संस्थाओं की व्यवस्था करने से देश का आदमी तो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता । टेक्निकल एज्युकेशन प्राप्त व्यक्ति के लिए रोजगार का कार्यक्रम आपकी सरकार के पास नहीं है । अगर एक आदमी इन्जीनियर बन गया....

श्री सभापति : श्री सारण, आप संक्षेप में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सभापति, मेरे दल की तरफ से तो मैं ही बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : कल आपके सदस्यों ने भाग ले लिया है । काफी लोग बोल चुके हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं चेष्टा करूंगा कि बहुत संक्षेप में कहूं ।

यह ठीक है कि तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए लेकिन केवल तकनीकी शिक्षा के नाम पर बेकारों को रोजगार नहीं मिल सकता है । कई इन्जीनियर बन कर निकल रहे हैं, ओवरसियर बनकर निकल रहे हैं और वे चाहते हैं कि कोई रोजगार करें तो रोजगार देने के लिए कोई योजना आपके पास में नहीं है । अगर वे चाहते हैं कि सरकार से ऋण प्राप्त करके कोई उद्योग चालू करें तो सरकार जब तक उनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं हो ऋण नहीं दे सकती । यह सरकार व्यक्ति में विश्वास नहीं करती है, नागरिकों पर विश्वास नहीं करती है, केवल सम्पत्ति पर विश्वास करती है । केवल पूंजीपति दृष्टिकोण है इस शासन का । समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है । मेरा कहना इतना ही है और इतना ही कहना चाहता था कि जनता की भावना को इसको समझना चाहिए क्योंकि आपका लक्ष्य जन-सुविधा, जनता को साधन, जनता को सुरक्षा, जनता को विकास के अवसर देना है । यह आपका फर्ज है । अगर आप अपने फर्ज से डिगेंगे और इधर-उधर होकर काम करेंगे तो चाहे कितनी ही योजनाओं की दुहाई दे, विकास का प्रलाप करें कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, केवल अरण्य-रोदन होगा जो कि आज आपकी स्थिति हो रही है । अगर आप योजना के बुनियादी कार्यक्रम को समझते हैं तो आज यह स्थिति नहीं आती । योजना का आप जैसा अर्थ लगाते हैं और पूंजी लगाने का जो कार्यक्रम बनाते हैं तो नई पूंजी उससे पैदा होनी चाहिए, रोजगार के साधन पैदा होने चाहिए, योजना द्वारा देश की और प्रत्येक व्यक्ति और राज्य की आय बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आज वह स्थिति नहीं बन पाई है । इसका परिणाम यह है कि आपकी योजनाओं में कहीं न कहीं कमी रही है । आप योजना के नाम को हवा में उड़ा रहे हैं । आपने अपने

(श्री दौलतराम सारण)

प्राकृतिक साधनों और क्षमता को नहीं देखा। आपके पास जो जन–बल है, जो जन–शक्ति है उसका आपने उपयोग नहीं किया, जो प्राकृतिक साधन हैं उनका उपयोग नहीं किया। आज राजस्थान का दो-तिहाई हिस्सा रेगिस्तान है। उसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। वह रेगिस्तान बढ़ रहा है। यू. पी. और पंजाब को खतरा पैदा हो गया है। केन्द्रीय सरकार चिन्ता करने लगी है, लेकिन राजस्थान सरकार को कोई चिन्ता नहीं। वहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां जल-श्रोत भूमि के अन्दर हैं। वहां पर ट्यूबवैल बना कर वहां की भूमि को सिंचित करते तो निश्चित रूप से रेगिस्तान रुक सकता था, अकाल की समस्या को भी रोकने में बल मिल सकता था, लेकिन आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अभी प्रश्नकाल में बताया गया है कि जो ट्यूबवैल बने हैं उनका भी उपयोग नहीं ले सके। आज रेगिस्तान में ऐसे प्रयास हो रहे हैं सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर कुए बनाए गये और कुए बनाने के लिए लोग तैयार हैं वहां कुए अधूरे पड़े हैं लेकिन कुए पूरे करने के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं है। आप जोर जोर से कहते हैं कि भूमि-बन्धक बैंक ऋण देता है लेकिन भूमि-बंधक बैंक से ऋण लेना वकीलों के लिए भी मुश्किल है तो गरीब और साधारण किसान के लेने की तो बात ही क्या है? आप लोगों से लेना तो जानते हैं लेकिन दे नहीं सकते। जब तक आपकी लाखो लाखो की बात रहेगी तब तक निम्न श्रेणी के लोग, साधारण, भूमिहीन और पिछड़े हुए आदमियों को आप ऊंचा नहीं उठा सकते, पिछड़े हुए लोग ऊंचे नहीं उठ पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपना दृष्टिकोण बदलिए।

राजस्थान के इलाकों में आये दिन अकाल पड़ते हैं। आप केवल दो ही बातें करना जानते हैं––एक तो यह कि आबादी बढ़ गई और दूसरी बात यह कि भाव बढ़ गये। आपको तो पैसा चाहिए। हाय पैसा, हाय पैसा इसके सिवाय आप कुछ नहीं जानते। माना कि शासन को पैसा लेने की आवश्यकता है लेकिन पैसा जिनसे ले सकते हैं उनको आप टेप नहीं कर सकते। ये सब बातें मैं बजट के टाइम पर बताऊंगा क्योंकि यहां पर जन-जीवन की बात रखी इसलिए इस बारे में मैंने कहा।

आज देखा जाय तो चारों तरफ अशांति ही अशांति है। श्रमिक क्षेत्र में देखा जाय तो मजदूर परेशान हैं। उनके लिए कानून बनाये लेकिन उनका पालन नहीं होता। इसके लिए श्रमिक पत्रकारों को हड़ताल करनी पड़ती है पर आप मैनेजमेंट वालों को कुछ नहीं कह सकते। आपकी तरफ से जो विज्ञापन दिए जाते हैं वे चोर बाजारी करने वालों को दिए जाते हैं। चोर बाजारी करने वाले पत्रकारों के लिए पूरी व्यवस्था है। आप लाखों रुपयों के विज्ञापन उन पत्रकारों को दे देते हैं जो आपके फोटो छापते हैं। लेकिन वास्तव में जो समाज सेवा करते हैं उन पत्रकारों को कोई विज्ञापन नहीं देते इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आज अशांति है, उनकी सुरक्षा नहीं है।

इसी प्रकार श्रमिक क्षेत्र है उसमें श्रमिकों की सुरक्षा नहीं है जो आपने कानून बनाये हैं उनको मालिक लोग रोज तोड़ते हैं लेकिन मालिकों के खिलाफ आप कोई कार्य-

(श्री दौलतराम सारण)

चाही नहीं करते। मजदूर इन कानूनों का लाभ नहीं ले सकते। आपका श्रमिक विभाग मध्यस्थता का काम करता है। वे लोग मालिकों से मिले रहते हैं। मजदूरों के पास जाने में वे संकोच करते हैं, उनके कपड़ों से उनको बदबू आती है, ऐसा उनका मानस बन गया है। आपका दृष्टिकोण श्रमिकों के अनुकूल नहीं है बल्कि उनके प्रतिकूल है।

आप कहते हैं कि विद्यार्थी उत्पात करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी उत्पात नहीं करते। विद्यार्थी चाहते हैं कि सही तरीके से उनकी पढ़ाई चले, लेकिन हर वर्ष उनका कोर्स बदलता है। कभी हायर सेकैन्डरी का कोर्स बनाया, कभी हाई स्कूल बनाया, कभी सैकन्डरी को बनाया, इसको बनाया उसको तोड़ा। कभी थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स बनाया। कभी उसको तोड़ कर अमेरिकन पेटर्न कर दिया। अब पता नहीं कौनसा रशियन पेटर्न करने जा रहे हैं? शिक्षा के मामले में आपकी अस्थिर नीति है इस वजह से विद्यार्थी परेशान हैं। विद्यार्थियों को पता नहीं चलता कि उनके लिये कोर्स कौनसा है। आधा वर्ष पूरा हो जाने पर भी उनको पुस्तकें नहीं मिलती। इसके खिलाफ जब विद्यार्थी मौन प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि उन पर लाठी चार्ज करो, अश्रुगैस का प्रयोग करो। आप यह नहीं सोचते की कोमल दिमाग पर अत्याचार करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा? वे आपकी अस्थिर नीति को देख कर उत्पात करते हैं। आप उनके साथ जबर्दस्ती करना छोड़ दो। भ्रष्टाचार करना छोड दो। उन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया। रतनगढ़ में थोड़ा सा उपद्रव हुआ तो कहते हैं कि उनको जेल भेज दो। एक सार्वजनिक कार्य-कर्त्ता के थप्पड लगा दिया। एक वकील को हवालात में भेज दिया। कोई आदमी प्रदर्शन करता है तो प्रजातन्त्र में क्या होता है, आप उसके दिल की बात समझने की कोशिश नहीं करते इसलिये गडबडी होती है। सुजानगढ़ में 'अंग्रेजी हटाओ' आन्दोलन हुआ तो वहां के कार्यकर्त्ताओं को बुरी तरह से मारा पीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, शिकायत की जांच नहीं की। इसके विपरीत कोई आदमी गलत काम करता है तो आप उल्टा उसको संरक्षण देते हो यह उसी का परिणाम है कि रोज शिकायतें आती हैं तो उसको दूर करना अपना अपमान समझते हैं। आपको तो 'निंदक नियरे राखिये' वाली कहावत को अपनाना चाहिये...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): इसी-लिये तो निंदक को नजदीक रखा है।

श्री दौलतराम सारण : मैं कहना चाहता हूं कि आपको संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिये। यदि आपके मानस में विशा-लता होगी, सेवा में श्रद्धा होगी तो जनतन्त्र फलेगा फूलेगा नहीं तो खतरे में पडेगा।

आपके लिये नीति का कोई सवाल नहीं है। आपकी नीति रोज बदलती रहती है। पहले आपने सोचा था कि बडी पचायतें बना-येंगे, 500 से कम की नहीं बनायेंगे, बडी कोआपरेटिव सोसायटीज बनायेंगे। फिर जब जवाहरलालजी नेहरू ने दिल्ली में कह दिया कि हर गांव का स्कूल हो, हर गांव में पंचायत हो, हर गांव में सहकारी समिति हो, तो हमारे नेताओं ने भी कह दिया कि क्योंकि

(श्री दौलतराम सारण)

जवाहरलालजी ने कह दिया है इस लिये हमारे यहां भी छोटी पंचायत हो, छोटी कोआपरेटिव सोसाइटी हों। बिना सोचे समझे हमारे नेताओं ने निर्णय ले लिया लोगों ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से यह ठीक नहीं हैं, छोटी पंचायत नहीं होनी चाहिये, सफल नहीं होगा लेकिन आपने नहीं माना। और अब आप पुनर्गठन करेंगे, सुदृढीकरण कर रहे हैं। अगली बार क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन आपका कोई आधार नहीं है, आपकी नीतियां अस्थिर हैं इसलिये जनता में आपकी नीतियों और कार्यों के बारे में नहीं क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि अगले वर्ष आपकी यह नीति टिकेगी या नहीं। आपके अफसरों को भी विश्वास नहीं है कि आपकी नीति यही रहेगी या नहीं। राज्यपाल से भी आप घोषणा करवाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। आप तो इसमें विश्वास करते हैं कि 'मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया तो फिरता ही रहे, आपकी नीति ऐसी है जो गाड़ी के पहिये की तरह रोज फिरती रहती है। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि मैं कांग्रेस का प्रधान मन्त्री बनूंगा, दिल्ली जाऊंगा ए. आई. सी. सी. का महामन्त्री बनूंगा लेकिन जब बनने के लिये कहते हैं तो मुकर जाते हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा पर समय पर मुकर जाते हैं। कभी कहते हैं नाथद्वारा से चुनाव लडूंगा, कभी कहते हैं उदयपुर से लडूंगा, लेकिन समय पर बदल जाते हैं और नाथद्वारे के बजाय उदयपुर से चुनाव लड़ते है। जो हाल मुख्य मन्त्री जी का है वही हाल केबिनेट के हर मन्त्री का है। किसी मन्त्री के आदेश से किसी आफिसर के ट्रान्सफर का आर्डर आज हुआ और कल यदि 3 एम. एल. एज. ने जाकर कह दिया तो वह आर्डर बदल गया। और परसों यदि चार एम. एल. एज. चले गये तो फिर दुबारा आर्डर कर दिया। इस तरह से रोज हुक्म निकलते हैं और बदलते हैं। आपकी कोई नीति नहीं है। किसी का तबादला दो साल भी नहीं करते और किसी का 7वें दिन ही कर देते हैं।

श्री श्रवणलाल : आज गवर्नमेंट की नीति भगाई हुई औरत की तरह रह गई है।

श्री दौलतराम सारण : आज मजदूर परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं। आप राग अलापते हैं कि हमने भूमि सुधार आरम्भ कर दिया है लेकिन आज भूमि सुधार की क्या हालत है? भूमि सुधार के अन्तर्गत ही सीलिंग का कानून पास किया था उसका आपने क्या हाल बनाया है। उसकी जो गत आपने बनाई है उसका दिग्दर्शन आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ सदस्य श्री शंकरलाल ने आपके सामने रखा था। 8 वर्ष पास किये हुए हो गये लेकिन इस कानून को लागू नहीं करना चाहते। इसमें भूमि बिक्री का निषेध है लेकिन आप रजिस्ट्रियां धडाधड करते जा रहे हैं। करोड़ों रुपयों की भूमि बिक्री की रजिस्ट्रियां करदी हैं। आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्री का सेन्ट्रल एक्ट है उसको नहीं रोक सकते। आप उसको रोक नहीं सकते तो सीलिंग का कानून तो लागू करना चाहिये था इस बीच में जी ट्रान्सफर भूमि के हो गये उनको इल्लीगल करार दे देंगे। अगर इल्लीगल कर देंगे तो

(श्री दौलतराम सारण)
लाखों लोगों ने भूमि खरीदी-बेची है उनकी क्या आर्थिक स्थिति होगी ? कितना लिटिगेशन बढ़ेगा ।

आपने लैंड युटिलाइजेशन एक्ट पास किया । सुखाडियाजी ने एक जगह अपने भाषण में कहा कि राजाओं और जागीरदारों ने हजारों बीघा जमीन दबा रखी है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लैंड युटिलाइजेशन एक्ट को लागू क्यों नहीं किया ? जो एक्ट सदन ने पास किये हैं उनको लागू नहीं करके आपने जनता के साथ और सदन के साथ विश्वासघात किया है (शेम, शेम) जनता के हजारों रुपये कानून के नाम पर लुटा दिये और आपने कानून को लागू नहीं किया और जनता को राहत नहीं दी । मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह का भूमि सुधार है ? किस तरह से जनता की बहबूदी का सवाल है ? आप जनता को धोखा देना चाहते हैं, सदन के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं और सरकार चलाना चाहते हैं ।

इसलिये मैंने कहा है कि आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं हैं, आपके जो कानून हैं उनको आप लागू नहीं करना चाहते, आपने नियम बनाये हैं उनको लागू नहीं करना चाहते और आप गैरवाजिब तरीके से, गलत तरीके से, मनमाने तरीके से चलना चाहते हैं । न आपकी लोकतंत्र में आस्था है, न आपकी समाजवाद में आस्था है और न कुछ और में । और कुछ नहीं तो आप शासन करने में तो आस्था रखें । कम से कम शासन करने का भी तय करलें ! लेकिन वह भी आपको नहीं आता है और सब बातों को आप छोड़ दीजिये, निर्माण की बात, विकास की बात वगैरह छोड़ दीजिये, केवल राज्य को हाथ में रखने की बात तय करके चलिये तो वह भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपमें शासन करने के भी लक्षण नहीं हैं । मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने आपको देखें, अपना आत्म-निरीक्षण करें । आपकी आस्था है धर्म निरपेक्ष में । लेकिन आपका धर्म निरपेक्ष क्या है ? मुसलमान भाइयों के ताजिये निकलें तो पर्मीशन लेना जरूरी होता है । लेकिन होली-दीवाली के लिए कोई पर्मीशन नहीं । ताजियों के लिए तो पर्मीशन लेना जरूरी है, ताजियों के लिए लाइसेन्स लेना पड़ेगा क्योंकि खतरा हो जाता है लेकिन और किसी जलूस के लिये पर्मीशन लेने का सवाल नहीं है । सबको अधिकार है अपने जलूस निकालने का । आखिर धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है ? केवल यह नहीं कि यह धर्म या वह धर्म । इसलिये धर्म निरपेक्षता की जैसी आप बात करते हैं वह नहीं है ।

इसी तरह से आपने भाषा के बारे में घोषणा कर दी । कि 26 जनवरी से पूर्ण हिन्दीकरण होगा । परन्तु हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में, आप प्रकाशित करते हैं अपना साहित्य, अपने नियम और अपने कानून, अपने आदेश आप व्यर्थ ही इसमें द्रव्य का दुरुपयोग कर रहे हैं, साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं । जब केवल हिन्दी की ही आवश्यकता है तो फिर केवल हिन्दी में ही क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं ? हिन्दी को आपके प्रशासनिक कर्मचारी समझते हैं, हिन्दी को जनता समझती है, हिन्दी को सदन के माननीय सदस्य समझते हैं उसके बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित करके क्यों साधनों का और द्रव्यों का दुरुपयोग

Page No.86

(श्री दौलतराम सारण)

कर रहे हैं ? इसी तरह से आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं।

मैंने आपको आवास समस्या की बात तो कह दी। अब मैं राजस्थान नहर के बारे में कहना चाहता हूं। आपने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणा की कि इससे देश की काया पलट देंगे, इससे राजस्थान की काया पलट हो जायेगी, 36 लाख एकड़ में पानी फिर जायगा। आपने पानी तो फेर दिया, करोड़ों रुपयों पर पानी फेर दिया (हंसी) अब आप धड़ाधड़ स्टाफ को निकाल रहे हैं। कहीं पाइप पड़ा हुआ है, कहीं और सामान पड़ा हुआ है खाली जमीन पर। अब जिसके जी में आये उस सामान को उठा कर ले जाये और बेच कर खा जाय-इसकी आपको चिन्ता नहीं है। तीन करोड़ का सामान पड़ा है लेकिन स्टाफ के लिए आपके पास तनख्वाह नहीं है, उसके लिए आपके पास द्रव्य नहीं है और द्रव्य ऐसे लोगों के लिये है, जिनके पास मोटर है, जिनके लिए पट्रोल चाहिये, हीटर और कूलर चाहिए और टी. ए. व डी. ए. में लाखों रुपया बरबाद करने के लिये चाहिए-उनको पैसा देने के लिये है आपके पास। निहायत ही अयोग्य मंत्रियों को मंत्रिमण्डल में लिया है, जो काम करना जानते नहीं हैं और जिनको प्रशासनिक और राजकीय अनुभव है नहीं उनको मंत्रिमण्डल में लाकर आप जनता के धन को खराब कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास पैसा है। यही नहीं, ऐसे लोगों को आपने मंत्रिमण्डल में रखा है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की, गबन की डाक्यूमेन्ट्री एवीडेंसेज हैं, जिनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट हैं। ऐसे लोगों पर धन खर्च करने के लिये आपके पास है लेकिन गरीब जनता के लिये, उत्पादन के साधन बढ़ाने के लिये आपके पास पैसा नहीं है। बीकानेर और लूणकरणसर की प्यासी धरती और प्यासी जनता को पानी देने के लिये लिफ्ट इर्रीगेशन बनाने के लिए आपके पास धन नहीं है। पचास मील से 121 मील तक राजस्थान कैनाल आ जाय लेकिन उसमें कोई शाखा नहीं। इधर एक शाखा बनाने के लिये आपके पास में धन नहीं है 6 करोड़ की योजना जो थी वह अब 25 करोड़ की योजना बन गई है लेकिन उधर आप एक भी शाखा नहीं बना पाये हैं, और इधर उधर कर दी है। आपके पास में रावतसर तक ले जाने के लिए धन नहीं है क्योंकि उधर उससे 13 पर्सेंट का रिटर्न मिलता है और भाखरा और राजस्थान कैनाल के बीच जो सोनड़ी, देईदास भगवान, गांव पड़ते हैं वहां तक पाइप लाइन लाने के लिये धन नहीं है जिससे कि वहां की जमीन को पानी मिलता। घग्घर की बाढ़ से जिन लोगों के घर और खेती बहती है उसको बचाने के लिये कुछ चन्द लाख रुपये आपके पास नहीं हैं। राजगढ़-भादरा की प्यासी धरती है, जो सोना उगलती है, और बहुत बढ़िया जमीन है वहां तक पानी लाने के लिये और सिजमुख तक पानी लाने के लिये आपके पास धन नहीं है। इन सब कामों के लिये आपके पास धन नहीं है। आपके पास धन कहां के लिये है। आपके पास तारानगर में नहर लाने के लिए सर्वे कराने के लिये धन है। उसके लिए आपकी केबिनेट ने फौरन फैसला कर लिया कि इसका सर्वे करा दिया जाय। वहां आपने सर्वे करा दी लेकिन जहां के लोग दुखी हैं और जहां के लोग और धरती प्यासी मर

(श्री दौलतराम सारण)

रही है वहां के लिये आपके पास धन नहीं है। धन कहां के लिए है, जहां चुनाव होते हैं वहां पर पाइप लाइन डालनी हो, बिजली की लाइन डलवानी हो–वहां पर पाइप डलवा दिये और बिजली की लाइन डलवा दी लेकिन वह आज भी बेकार पड़ी है क्योंकि पाइप लाइन में पानी नहीं है और बिजली की लाइन में करेन्ट नहीं है। करेन्ट क्यों नहीं है क्यों कि आपके पास ट्रान्सफार्मर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके पास एल टी लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए तार नहीं हैं, खम्भे नहीं हैं और साधन नहीं हैं। साधन पाइप लाइन और बिजली लाइन डालने के लिये कहां से आ गये चुनाव के अन्दर?...

श्री देवीदत्त : आप राजस्थान कैनाल की नहर के पानी के लिए कह रहे हैं, मंत्रियों की आंखों में ही पानी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : कुए बने हुए पड़े हैं, दो-दो, चार-चार साल से और बिजली के कनेक्शन के लिये लोगों के फार्म भरे हुए पड़े हैं लेकिन बिजली के कनेक्शन के लिये आपके पास धन नहीं है। कनेक्शन देने के लिए धन नहीं है लेकिन धन कहां के लिए है, धन एम. एल. एज. को उड़ा कर ले जाने के लिये है। धन दारू पिलाने के लिये है। धन कहां है? वह एशो इशरत के लिए है...

श्री मनोहरसिंह मेहता : दारू का नाम आगया।

श्री दौलतराम सारण : धन जनता की भलाई के लिये नहीं है। धन मौज और मजे उड़ाने के लिए है। और आप आवास की समस्या की बात करते हैं। जयपुर की कच्ची बस्ती के लोगों के आवास की बात करते हैं। लेकिन उसका क्या हाल है? आप आबादी की बात छोड़िये आप कहते हैं कि कृषि की जमीन में बंगले नहीं बनाने दिये जायेंगे, लेकिन उन पर गैर कानूनी तरीके से बंगले बन रहे हैं, मंत्री और ऑफिसर बंगले बना रहे हैं। और लोग बनायें तो और बात है लेकिन आप देखिये कि सिविल लाइन में मिल खड़ी हो रही हैं, सांगानेर में मिल की मिल खड़ी हो जाती हैं, एग्रीकल्चर लैंड पर जब कि उसके लिए विधान नहीं है, वह आबादी भूमि नहीं है उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। कोई जहां चाहे मार्केट बना ले, कोई जहां चाहे मकान बना ले, उसके लिए आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। आपकी तरफ से रुकावट केवल भूमिहीन किसानों के लिये है। आपकी तरफ से रुकावट कहां है, रतनगढ़ तहसील में ढाई हजार लोग हैं जो पुस्तैनी रूप में घर आबाद करके गांवों में बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिये कानूनी रुकावट है। चूरू जिले में जो लोग कुए बना रहे हैं उन कई हजार लोगों को नोटिस देकर आप कानून का पालन करवा रहे हैं उनको आप बेदखल करवाने की कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन यह जो मोटे मछन्दर हैं उनके द्वारा जमीन लेने और बेचने के लिये आपकी तरफ से कोई कानूनी रुकावट नहीं है, जहां दस हजार रु. बीघा जमीन की कीमत है, जहां पांच हजार बीघा जमीन की कीमत है, जहां तीन हजार रुपया बीघा जमीन की कीमत है उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपके पास कोई कानूनी रुकावट नहीं है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोटे मच्छर !

श्री दौलतराम सारण : आपका कानून है, वह कानून गरीबों के लिए है। उनके लिए है जो आपके कानून को मानते हैं। किसलिए ? इसलिये कि उनको नोटिस देकर आप उनसे जुर्माना वसूल कर लें। किसी से पांच रुपये ले लिये, किसी से दस रुपये ले लिये, किसी से बीस रुपये ले लिये, किसी से पचास रुपये ले लिये। फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर बारह महीने के बाद में नोटिस दे दिया। मैं पिछले दस सालों से यह देख रहा हूँ, आपने यह देख लिया है कि इस पर मनमाने तौर पर कानूनी रुकावट डाल सकते हैं। खेत में से मिट्टी, चूना-भाटा, खार आदि निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। किसान अपने खेत और घर के काम के लिए यह सब चीजें निकालें तो उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन चूरू जिले में एक नहीं हजारों की तादाद में नोटिस लोगों को दिये हैं और उनसे सैंकडों रुपया जुर्माना वसूल किया है अपने घरु काम के लिए मिट्टी और चूना-भाटा लेने वालों के लिए वहां कानून चलता है। वह लोग शिकायत करते हैं तो उनकी बात को कोई सुनता नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। वह केबिनेट तक अपने प्रस्ताव भेजते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं जिला परिषद् से और पंचायत समिति से लेकिन उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। आप जिन संस्थाओं को लोकतंत्र का आधार मानते हैं उन संस्थाओं के प्रस्तावों की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। आपका लोकतन्त्र तो आपके कमरे में बनता है। आपके लोकतंत्र में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राय है, वह सम्मिलित नहीं है।

(3 म. प.)

अकाल पड़ जाता है, खेतों में फसल नहीं होती है, लेकिन कागजों में और गिरदावरी में बारह आने फसल बताई जाती है। इसके बारे में पंचायत समिति प्रस्ताव करती है, जिला परिषद् प्रस्ताव करती है। पंचायत का सरपंच लिखता है, जिला परिषद् का प्रमुख लिखता है, एम. एल. ए. लिखता है लेकिन उनके कागजों का उत्तर नहीं मिलता कि आपका कागज मिल गया है। यह आपका लोकतंत्र है। यह आपकी व्यवस्था है। और फिर इसके बाद में दूसरे वर्ष फिर अकाल हो जाता है और फिर वही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि फसल बहुत शानदार हुई है। लेकिन आप किसानों के दिलों से जाकर पूछिये। ठीक है रबी की फसल वालों को लाभ हुआ है। लेकिन वहां जाकर पूछिये जिनके रबी की फसल का एक तिनका नहीं होता है। वहां इस वर्षा ने फसल में कितना गजब ढाया है। कहीं थोड़ा बहुत चारा हुआ था, कहीं थोड़ा बहुत अनाज था। उस सबको मटिया मेट कर दिया है। लेकिन आपकी गिरदावरी पहले हो गई है। अब वह लोग किसको रोयें ? उनकी बात को कलेक्टर नहीं सुनता है, उनकी बात को एस. डी. ओ. नहीं सुनता है, उनकी बात को मंत्री महोदय नहीं सुनते हैं। बताइये, कौनसा वैधानिक रास्ता है आप तक पहुंचने का और लॉ एण्ड ऑर्डर को बनाये रखने का ? या तो यह रास्ता है कि वह आपके खिलाफ आन्दोलन करें, आप पर भाटे फेंकें, जूते फेंकें या लोगों को लाठी से मारें या आपको शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहें। लेकिन अब आप उनकी बात को सुनें नहीं तो वह क्या करें ? उनके पास कौनसा तरीका है ? यह आप उनको समझा दीजिये। आप राजस्थान में शांति रखना चाहते हैं और राजस्थान में जो पिछले

(श्री दौलतराम सारण)

दिनों शांति रही है उसके लिए आप राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप धन्यवाद देने की बात करके ही सब्र कर लेते हैं। आप उनको समझने की चेष्टा करिये। आप यदि हकीकत को नहीं समझेंगे और लोगों के जजबातों के साथ में विश्वास-घात करेंगे तो जनता के वह जजबात किसी न किसी तरीके से निकलेंगे, जब कानूनी रास्ता नहीं मिलता है तो इन्सान लाठी उठाता है। तुम अशान्ति पैदा करने की हालत पैदा कर रहे हो। इसलिये मेरा कहना है कि आप वाकई लोकतन्त्र को मानते हैं तो उनकी स्थिति को देखिये। हम जनता की समस्याओं को रखते हैं, वैधानिक समस्याओं को रखते हैं, उनके साथ कितनी उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है? जब आप उनकी कठिनाइयों में नहीं जाना चाहते हैं तो हमारी भी हिम्मत टूट जाती है। यही असर होता है कि अन्धे के आगे रोये, अपने दीदा खोये। कहां किससे अपनी बात कहें। हमारे सामने यही एक रास्ता रहता है कि हम जनता को समझायें और क्रांति के लिये उनका आह्वान करें और संघर्ष के लिये उनका आह्वान करें। इस तरह से हमारे दिल में जजबात पैदा होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते आप चेत जाइये, समय रहते आप अपनी हरकतों को बन्द कर दीजियेगा, समय रहते आप अपने प्रशासनिक तरीकों और राजनैतिक उत्पीड़न को बन्द कर दीजियेगा, नहीं तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जायगा। प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा जो गलत तरीके के काम कराये जाते हैं और लोगों के जजबातों को उभारने का प्रयत्न किया जाता है-उस स्थिति को अब बर्दाश्त नहीं किया जायगा। एक जगह अकाल राहत कार्य चालू हो जायं और दूसरी जगह अकाल राहत कार्यों के लिये मदद नहीं पहुंचे, वहां अकाल राहत कार्य नहीं हों। और कलेक्टर उसकी रिपोर्ट कर दे कि यहां अकाल राहत कार्य की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि यदि जनता चाहती है कि वहां पर अकाल राहत कार्य की आवश्यकता है और कलेक्टर उसकी सिफारिश नहीं करता है, कलेक्टर गुरेज करता है, काम करने से और एश ओ आराम करता है तो आपको वहां चाहिए कि वहां आप स्थिति को देखें। लेकिन आप स्थिति को देखना नहीं चाहते हैं। गत वर्ष भी यह सवाल आया था, कोटा और चूरू का। इस वर्ष भी सवाल आया, मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष इस को देखा जायगा।

श्री सभापति : श्री सारण!

श्री दौलतराम सारण : मैं दो मिनिट में समाप्त करूंगा।

इसके अलावा अभी तक जो भूमि की सुविधा मिलती थी वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को मिलती थी। अब दूसरी जाति के लोगों को भी मिल सकती है। इसका एक नया तरीका ईजाद किया गया है, उस तरीके से जयपुर में यह किया जा रहा है। जो भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को एलाट कर दी उसको सवर्ण द्वारा लिये जाने का एक नया तरीका जुडिशियरी में काम करने वाले, कानूनी महकमें में काम करने वाले व्यक्ति ने निकाला है। वह आप भी सुन लें कि क्या जुडिशियरी में काम करने

(श्री दौलतराम सारण)
वाले व्यक्ति ने निकाला है, क्या जुडिशियरी मस्तिष्क है। जमीन मीणे ने ले ली है तो उसे गैर मीणा भी ले सकता है। चमार ने जमीन ले ली है तो उसको गैर चमार भी ले सकता है। इस नक्शे को आप सुन लें और गलतफहमी में न रहें कि गैर हरिजन या गैर आदिवासी को बेचान नहीं हो सकता। सांगानेर हवाई अड्डे के पास में इसका आविष्कार हुआ है। वह आविष्कार सुखाड़िया जी के रिश्तेदार ने किया है। इस तरह के आविष्कार वहीं से होते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया कि एक हिन्दू मीणे को क्रिश्चियन बनाया गया। वह क्रिश्चियन बना नहीं, केवल उसको अदालत में डिक्लेअर कराया गया था कि अब से यह हिन्दू मीणा नहीं रहा है, अब यह क्रिश्चियन हो गया है और क्रिश्चियन होने के बाद में वह आदिवासी नहीं रहा है और पवित्र हो गया है, सवर्ण हो गया है आपके कानून के मुताबिक···

एक माननीय सदस्य : ईश्वर हो गया है।

श्री दौलतराम सारण : इनके समाजवादी कानून के मुताबिक क्रिश्चियन होने के बाद वह मीणा मीणा नहीं रहेगा, वह देवता बन गया ···

श्री जयनारायण सालोदिया : वह तो सुखाड़िया जी की जाति में शामिल हो गया।

श्री दौलतराम सारण : वह मीणे की जमीन फिर विधि सचिव, भूतपूर्व विधि सचिव ने खरीद ली, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाने के बाद में उससे उस भूमि की बिक्री करा ली गई और इसका उसको हक मिलता है। वह जमीन जो पांच सात रुपये बीघे की थी, वह कोड़ी में उनको मिली थी, इसलिये फौरन काम मुकम्मिल हो गया और उसकी जमीन बिक गई। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) सभापति महोदय, आप तकाजा कर रहे हैं, वह मुझे शिरोधार्य है लेकिन मैं जो पोथा लाया हूं···

श्री सभापति : बजट पर वाद-विवाद पर कह दें।

श्री दौलतराम सारण : इसका क्या करूं? ठीक है, यह मैं फिर आपको दे दूंगा।

एक छोटी सी बात सुखाड़िया जी के संबंध में सुनाकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। उसको और सुन लीजिये। एक हुरवाला गांव हनुमानगढ़ तहसील में है, उसमें एक हजार बीघा के करीब जमीन थी, राज्य की जमीन थी, भटनागर जी थे कमिश्नर, उनके दस्तखतों से गजट में शाया हुआ और उस जमीन को कुछ राज्य के अहलकारों ने इवेक्यू प्रोपर्टी डिक्लेअर करवाया और डिक्लेअर करवा कर फिर कानून के जरिये से अपने अनुकूल बनाया और रिकार्ड को बदल दिया, सारे के सारे रिकार्ड को बदल दिया, आप कहते हैं कि रिकार्ड नहीं बदला जा सकता। यहां सब कुछ होता है, मंत्री महोदय और सदस्य भी अगर बदल सकते हैं तो दूसरों की बात आप छोड़ दीजिये···

श्री देवीदत्त गाड़िया : चोर चोर मौसेरे भाई।

श्री दौलतराम सारण : यह मैं नहीं कहता।

(श्री दौलतराम सारण)

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं ? ग्रो मोर फूड की जमीन को देकर खातेदारी आप बना सकते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है। नाबालिग की जमीन को खरीद कर उस पर कब्जा कर लें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। वह इधर उधर रोता फिरे उसकी कोई सुनाई नहीं। गवर्नमेन्ट लैंड को इवेक्यू प्रोपर्टी डिक्लेअर करा दें, उसकी दरख्वास्त हो मन्त्री महोदय को, उपमन्त्री को कलक्टर को, कमिश्नर कोलोनाइज़ेशन को, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। आखिर आदमी कहां जाय···

एक माननीय सदस्य : उनको रोये।

श्री दौलतराम सारण : आप उसको तरीका बताइये। यह कानूनी राज्य है, इसलिये वह कानून को समझता है। यदि कानूनी और वैधानिक रास्ते से आप नहीं समझते हैं तो फिर एक और रास्ता है जिसको मद्रास के लोगों ने, यू. पी. के लोगों ने समझा है लेकिन राजस्थान के लोग शान्त हैं वह मर्यादा में रहना चाहते हैं। लेकिन आपके जो आचरण हैं, आपके जो अमर्यादित तरीके हैं, अनैतिक तरीके हैं, वह बाध्य करते हैं राजस्थान की जनता को कि वह सहिष्णुता और सब्र की सीमा को तोड़ कर आपके सामने खड़ी हो संघर्ष के लिए। मेरा निवेदन है कि आप इन बातों को छोड़िये। आज राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आदिवासी भूख के कारण तड़प रहे हैं, तीन साल से अकाल के कारण बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोग भूख हड़ताल किये हुए हैं लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। आप जाकर तो देखिये कि आखिर क्या हालत है। आज वाकई वहां की हालत खराब है, इस स्थिति में इतनी सख्त वसूली को वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनसे वह वसूली करके कहेंगे कि हम उनका कल्याण कर रहे हैं। जैसा कि आपने छोटी जोत वाले, भूमिहीन किसानों से लगान वसूल करके कल्याण करने का कार्य आरम्भ किया है। उसी तरह से इनकी भलाई और कल्याण करने में आप लगे हुए हैं। लेकिन इससे उनका भला नहीं होगा और उनको आप बहुत दिनों तक भुलावे में नहीं रख सकते। इसलिये आप समय रहते सम्भल जाइये···

श्री सभापति : सारणजी, समाप्त करिये।

श्री दौलतराम सारण : मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने काफी समय ले लिया है।

श्री सभापति : काफी समय ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण : मेरा भाषण और मेरे विचार इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं। मुझे कहना तो बहुत था लेकिन समयाभाव में मैं समाप्त करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर भी समयाभाव रहा।

श्री सभापति : मेजर फतेहसिंह।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, अभी तक यही क्रम रहा है कि एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, अभी तक यही क्रम रहा है कि एक सदस्य

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
इधर से हो और एक सदस्य उधर से हो। वैसे मैंने आपको एक सूची भी दे दी थी, जिसके अनुसार अब इधर के माननीय सदस्य को समय मिलना चाहिये।

श्री सभापति : कांग्रेस की ओर से सूची आई है, उसके साथ ही स्वतंत्र पार्टी के वक्ताओं की सूची भी आ चुकी है। अभी स्वतंत्र पार्टी के सदस्य एक घंटे से नहीं बोले हैं, उनके बाद आप बोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : साढ़े ग्यारह बजे मैंने सूची दे दी थी। यदि सूची नहीं भी आती तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कांग्रेस की ओर से माननीय सदस्य को समय नहीं मिले।

श्री सभापति : स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य के बोलने के पश्चात् कांग्रेस की ओर के सदस्य का नम्बर आयेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सूची नहीं भी दी है तो भी कांग्रेस पक्ष सदन में मौजूद है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सूची मैंने दे दी है।

श्री सभापति : मेजर फतेह सिंह!

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : सभापति महोदय, आपके द्वारा मुझे बोलने का अवसर दिया जा रहा है उसके लिये सर्व प्रथम मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आपके प्रति आभार प्रकट करूं। मैं तो एक सिपाही आदमी हूं इसलिये संक्षेप में अपनी भावना और अपने विचारों को प्रकट करूंगा।

सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का भाषण सुना तो नहीं पर उसे पढ़ा अवश्य है। एक बार नहीं दो बार। उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो यह केवल एक शब्द जाल है जिसमें राजस्थान की जनता को फंसाने के लिये राजस्थान की सरकार ने असफल प्रयत्न किया है। सभापति महोदय, पिछले अधिवेशन में राजस्थान सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि छोटी जोतों पर से लगान हटा दिया जायगा और यह भी घोषणा की गई थी कि यह लगान खरीफ, 67 की फसल से हटा दिया जायगा। इस घोषणा के अनुसार राज्य सरकार की ओर से जिलाधीशों को आदेश गये कि खरीफ के फसल से इन छोटी जोतों पर कोई लगान वसूल नहीं किया जाय और जिलाधीश महोदय ने हर एक तहसील में इस प्रकार के काश्तकारों की सूची तैयार की जो इस लगान से मुक्त होने वाले थे। जब किसानों को यह मालूम हुआ तो उनमें सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ और उनमें चेतना और हर्ष की एक लहर सी दौड़ गई लेकिन कुछ ही समय बाद उस आदेश को सरकार ने वापिस ले लिया तो लोगों के दिलों में सरकार के प्रति रोश और विषाद पैदा हुआ। क्योंकि सभापति महोदय, इस संबंध में विधान सभा में काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये मैं इतना ही कहूंगा कि जब सरकार के मनसूबे बनाने और बिगाड़ने की बात पर सोचता हूं तो मेरा मध्य युग के शासक मोहम्मद तुगलक के शासन काल की ओर मेरा ध्यान जाता है और उसकी घटनाओं का स्मरण हो आता है। मोहम्मद तुगलक को उसकी गलत नीतियों के कारण इतिहासकारों ने खास तौर से विनसेंट स्मिथ और एलफिन्सटन इतिहासकारों ने उसको पागल और असंतुलित मस्तिष्क वाला

(मेजर श्री फतेहसिंह)

बताया था। अगर मैं इस लगान स्थगित करने वाली घोषणा के बारे में कहूं कि हमारी सरकार भी नासमझ है और यह भी असंतुलित मस्तिष्क से काम लेती है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि आप निर्णय लीजिये पर उसका दृढ़ता से पालन कीजिये। यह कोई मखौल की बात नहीं है, आप इतने बड़े विशाल राजस्थान के भाग्य विधाता हैं, आप जो निर्णय लेते हैं, उस पर चलिये, इसी में आपकी, मेरी, सरकार की और इस सदन की प्रतिष्ठा निहित है। सभापति महोदय,

जो कार्य करते श्रेष्ठ जन
करते वही हैं और भी।
उनके प्रमाणित पंथ पर ही
पैर धरते हैं सभी।

ऐसा भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। भगवान् कृष्ण को 'मोहन' नाम से भी पुकारते हैं। मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं, खास तौर से उस तरफ बैठने वालों से कि क्या हमारे सदन के 'मोहन' की नीति ऐसी रही है कि जिसका अनुकरण करना हम सबके लिये अहोभाग्य की, या बड़प्पन की बात होगी? हमारे मोहनलाल सुखाड़िया ने पिछले आम चुनावों के बाद जिस तरह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिये विपक्ष के सदस्यों को तोड़ा, मन्त्री मण्डल का गठन किया, वह न इस सदन के लिये अच्छी बात है, न राजस्थान के लिये और न किसी के लिये। इस प्रकार सदस्यों की खरीद से, सौदेबाजी से भले ही उनकी कुर्सी को मजबूती मिली हो पर प्रजातन्त्र की जढें इससे खोखली हुई हैं, इससे राजस्थान की विधान सभा की, विधान सभा के सदस्यों की प्रतिष्ठा घटी है, राजस्थान की प्रतिष्ठा घटी है और खास तौर से हम सदस्यों की प्रतिष्ठा घटी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वाले सदस्यों की प्रतिष्ठा घटी है, सब यही कहते हैं कि इन लोगों का कोई विश्वास नहीं हो सकता, ये लोग बिकने वाले व्यक्ति हैं। केवल यही नहीं हुआ, माननीय सुखाड़िया जी ने अपने मंत्री मण्डल में ऐसे लोगों को स्थान दिया जो पहले न्यायालय से दण्डित हो चुके हैं, आज वे राजस्थान के मंत्री मण्डल में सभा सचिव, मंत्री बने हुए हैं। क्या यह हमारे लिए शोभा की बात है? एक व्यक्ति ने, जिसने हमारी स्वतन्त्र पार्टी से, भिनाय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, एवं दलबदलाव किया, लोभ में पड़ कर दलबदलाव किया और सुखाड़िया जी ने उन्हें इनाम देने के लिये सभा सचिव, संसद सचिव नियुक्त किया, वे हैं श्री जसराज। इन जसराज को अजमेर में स्पेशल जज ने मुकदमा सं. 1 सन् 63 में दिनांक 19 अगस्त, 64 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की दफा 5 और ताजीरात हिन्द की दफा 161 में डेढ़ साल की सजा दी थी। उनके ऊपर यह आरोप था कि वे राजस्थान सरकार के सेलस टैक्स इन्स्पेक्टर थे और उन्होंने 200) रु0 की रिश्वत ली, इस अपराध में इनको डेढ़ साल की सजा हुई, वे ही श्री जसराज आज राजस्थान सरकार के संसद सचिव, सभा सचिव बने हुए हैं।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : XXXहैं, बेईमान है...........

श्री सभापति : X X X शब्द को कार्यवाही में से निकाल दिया जाय।

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाले गये।

श्री **फतेहसिंह** : इसकी उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की, न्याय मूर्ति श्री छंगाणी ने ता0 6-12-65 को अपना निर्णय दिया और अपने निर्णय में श्री जसराज को दोषी ठहराया और कहा कि जो नीचे की अदालत ने फैसला दिया है, वह सही है पर इनकी उम्र पर रहम करके उन्होंने यह कहा कि कन्विक्शन तो बहाल रखता हूं पर उसी सजा से छोड़ देता हूं जो यह जेलखाने में भुगत चुका है।

यह है आपके मन्त्री मण्डल का गठन। जब ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीयध्वज वाली गाड़ी में बैठकर बाजारों में से निकलता है, ब्यावर और अजमेर के बाजारों में से निकलता है तो लोग कहते हैं कि यह चोर जा रहा है, यह डाकू जा रहा है। उनकी बातों को सुनते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है, बडा दुख होता है क्योंकि मैं भी इस विधान सभा का सदस्य हूं, वे भी इस विधान सभा के सदस्य हैं, हम सब एक परिवार के सदस्य ,हैं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : ऐसा है तो स्वतन्त्र पार्टी ने कैसे टिकट दिया ? उस वक्त क्या हुआ था ?

मेजर श्री **फतेहसिंह** : स्वतन्त्र पार्टी ने ग़लती की तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी ग़लती करें। मेरी पार्टी ने ग़लती की, मैं स्पष्ट करदूं कि, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस वक्त टिकट देने की चर्चा चल रही थी तो मैंने पार्टी के अध्यक्ष को कहा था कि यह सज़ायाफ्ता है पर श्री जसराज ने यह कह कर गुमराह किया कि उन्हें 10 साल पहले सजा मिली थी, जब कि वास्तव में 6-12-65 को हाईकोर्ट ने नीचे की कोर्ट के फ़ैसले को बहाल करते हुए निर्णय दिया था। सरकार के सोचने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को जो सज़ायाफ्ता है, उसको सदन में बैठाना कहां तक शोभनीय है। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि वह इस मामले को इलैक्शन कमीशन को रैफ़र करें नहीं तो इससे हमारे सदन की मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है, इससे इस सदन की प्रतिष्ठा घट रही है।

श्री **प्रेमसिंह सिनसिनवी** : प्रजातन्त्र का भी हनन हुआ है।

मेजर श्री **फतेहसिंह** : सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल महोदय द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं जो भूतपूर्व सैनिकों के हित में हैं। यह घोषणा की गई है कि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, यह घोषणा की गई है कि भूतपूर्व सैनिकों को भू-खण्ड दिये जायेंगे, यह भी घोषणा की गई है कि भूतपूर्व सैनिकों को कृषि के लिये भूमि एलाट की जायगी, यह भी घोषणा की गई है कि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिये मैडिकल कॉलेजेज़ में, एग्रीकल्चर कॉलेजेज़ में, पोलीटैक्निक इन्स्टीट्यूशन्स में भी, उनके लिये स्थान सुरक्षित किये जायेंगे। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं पर एक खतरे से इस सदन को सावधान करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों को यह देखना होगा कि इन घोषणाओं का लाभ भूतपूर्व ग़रीब सैनिकों को मिलता है, इन सुरक्षित स्थानों का लाभ ग़रीब लोगों को मिलता है, यह ज़मीनें ग़रीब भूतपूर्व सैनिकों को एलॉट की जाती हैं। कहीं ऐसा न हो जाय कि ये भू-खण्ड भी उन लोगों को ही मिलें जो मेजर हों, कर्नल्स हों और कैप्टेन्स हों। इसलिये आप को ऐसे नियम

(मेजर श्री फतेहसिंह)

बनाने चाहियें जिसके अन्दर ग़रीब लोगों को इसका लाभ मिले।

जहां तक भूमि अलाटमेन्ट का सवाल है, किसी सैनिक को भूमि अलाट करदी या किसी शिडूल्ड कास्ट या शिडूल्ड ट्राइब के आदमी को भूमि अलाट कर दी काश्त करने के लिये, केवल यह ही पर्याप्त नहीं है। आप को यह भी देखना होगा कि भूमि अलाट करने के बाद में उस व्यक्ति का उस जमीन पर क़ब्ज़ा भी रहता है या नहीं। कहीं वह मुक़दमेंबाज़ी में तो नहीं फंस गया। सभापति महोदय, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है जहां लोगों को जमीन अलाट की गई लेकिन जमीन अलाट होने के बाद वह आदमी मुक़दमेंबाज़ी में फंस गया और बर्बाद होगया। मैं दो खास मिसाल इस तरह के देकर इस इश्यू को खत्म करता हूं। मसूदा क्षेत्र में अजीत मेड नामक गांव में, राव नारायण सिंह जी यहां नहीं हैं इस वक्त, वहां के एक हज़ारी सिंह नामक सैनिक, जो राजपूताना राइफ़ल्स में सेवा करते थे और जो पाकिस्तान से संघर्ष में मारे गये थे, उसकी सूचना गांव में पहुँची। उसके गांव में एक बहुत बड़ा समारोह किया गया। जिलाधीश भी वहां आये, एस. पी. साहब और जिला प्रमुख भी वहां पहुंचे। पंचायत समिति के प्रधान और सारे सरकारी अधिकारी वहां पर पहुंचे। मेरे ख्याल में श्रीमती प्रभामिश्रा, जो शायद उस वक्त उप मन्त्राणी थीं, वहां भी वहां पर आई और राव साहब मसूदा भी वहां पर पहुँचे। उस हज़ारीसिंह की विधवा औरत को एक हज़ार रुपया दिया गया और 25 बीघा बारानी जमीन अलाट करदी। सब लोगों ने इसका स्वागत किया और लोगों के अन्दर यह धारणा बनी कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के परिवार की तरफ़ ख़याल रखती है। सबको बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर क्या होता है ? सन् 1966 में जब उस विधवा ने उस जमीन को साफ़ किया, कंकर पत्थर हटवाये और फ़सल बोयी, तो गांव वालों ने वह फ़सल बर्बाद करदी। वह विधवा मेरे पास आई उसने इस बात की शिकायत सारे अधिकारियों को की, कलैक्टर और शायद मन्त्रिमण्डल को भी लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं वहां के एस. डी. ओ. श्री राजेश्वर दयाल माथुर से मिला और उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा "मेजर साहब" यह जमीन ऐसी जगह पर है जहां पर वहां के लोग नहीं चाहते हैं, इसलिये हम कुछ नहीं कर सकते।"

(8.23 म. प.)

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

यह आपका हाल है। जमीन अलाट कर दी है लेकिन क़ानून का पालन नहीं करवा सकते।

दूसरा इस तरह का उदाहरण सीकर के सिपाही ओनाड़ सिंह का है। वह भी पाकिस्तान से संघर्ष में जख़्मी हो गया। उसका दाहिना हाथ कट गया और पांव भी जख़्मी हो गया। उसको भी ज़मीन अलाट करदी गई और साथ में 2000 रु. भी दिये। उसने जमीन पर काश्त की और फ़सल बोई, लेकिन जब फ़सल पकने को आई तो गांव-वाले काट कर ले गये। उसने पुलिस में रिपोर्ट की, एस. डी. ओ. के पास रिपोर्ट की और भी कई लोगों से मिला लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की। मुकदमा अदालत

(मेजर श्री फतेहसिंह)

में चल रहा है, इसलिये मैं क़ानूनी मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। वह ग़रीब जयपुर में आया, राज्य सोल्जर्स सेलर्स बोर्ड के सेक्रेट्री कर्नल राजसिंह से मिला, और जहां तक मुझे याद पड़ता है, खेतसिंहजी से भी मिले। राजसिंहजी ने कहा कि खेतसिंहजी से मिलो और खेतसिंहजी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यह क्या बात है? आपने ज़मीन अलाट की, उसको दो हज़ार रुपये भी दिये, और उसने उन दो हज़ार रुपये के साथ अपने बचे हुए पैसे भी इस ज़मीन पर लगाये, तो उस ग़रीब के सारे पैसे और महनत बर्बाद हो गई।

इसलिये मेरी सरकार को सलाह है कि जब आप ज़मीन अलाट करते हैं तो यह भी आपका फ़र्ज़ हो जाता है कि जिस भूतपूर्व सैनिक या शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के आदमी को आप ज़मीन अलाट करते हैं उनका वहां पर क़ब्ज़ा बना रहे यह देखना भी आपका फ़र्ज़ हो जाता है। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि आप एक विशेष समिति का गठन करें जो कि आपको—रेवेन्यू मिनिस्टर को—यह सलाह दे कि क़ानून में किस तरह का संशोधन किया जाय जिससे उन भूतपूर्व सैनिकों या और जिन लोगों को आप ज़मीन अलाट करते हैं उनका क़ब्ज़ा उस ज़मीन पर बना रहे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवार नियोजन पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह एक ऐसा मसला है जिस पर मैं सस्ती लोकप्रियता को छोड़कर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा, जो कि राष्ट्र के हित में हैं। परिवार नियोजन अच्छा है, इसका हमारे दल के नेता महारावल श्री लक्ष्मणसिंहजी ने भी स्वागत किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो मैं भी स्वागत करता हूं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं इसका घोर विरोध करता हू। आप सबको यह मालूम होना चहिये कि इस परिवार नियोजन की योजना को केवल मैजोरिटी कम्यूनिटी ही अपना रही है, बहु संख्यक लोग ही इस योजना को अपना रहे हैं। जो मिनोरिटी कम्युनिटी के हैं, जो अल्प संख्यक हैं, वे इस परिवार नियोजन की योजना को नहीं अपना रहे हैं, या तो बिल्कुल नहीं के बराबर अपना रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि हमारा मज़हब परिवार नियोजन की इजाज़त नहीं देता। इसलिये इसका परिणाम क्या हो रहा है? मैजोरिटी कम्युनिटि की आबादी या तो घट रही है या स्थिर बनी हुई है और मिनारिटी कम्युनिटी की आबादी बढ़ रही है। अगर यही हाल रहा तो मैं इस सदन को सावधान करना चाहता हूं कि इससे देश के अन्दर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। 15 या 20 साल बाद ऐसा समय आ सकता है जब मैजोरिटी कम्युनिटी और मिनारिटी कम्यूनिटी की जनसंख्या का सन्तुलन बिगड़ जायगा, यह बात सम्भव है।

(कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों के हंसने पर)

आज आप इस बात पर हंस सकते हैं लेकिन मैं कह रहा हूं कि यही हाल रहा तो फिर देश का विभाजन और दूसरे पाकिस्तान की मांग खड़ी हो सकती है।

इसलिये आप परिवार नियोजन करिये, आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप ऐसे प्रयत्न कीजिये और केन्द्र को भी सलाह दीजिये कि परिवार नियोजन

(श्री फतेहसिंह)

हों पर उसके लिये कानून बनना चाहिये और उस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका बड़ा परिवार हो या जिसके तीन से अधिक बच्चे हों उन सब के लिये परिवार नियोजन अनिवार्य रूप से लागू होगा चाहे वह किसी भी मजहब का हो। इससे देश और राष्ट्र का हित होगा। मैं यह बात बड़े ही साहस से कह रहा हूं क्योंकि यह राष्ट्र के हित में है। मैंने बड़े लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना है। इस लिये आप इस पर सस्ती लोकप्रियता से ऊंचा उठकर विचार करें, सस्ती राजनीति में न आकर गम्भीरता से विचार करें।

इस समय राजस्थान के प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोल बाला है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भ्रष्टाचार निवारण के बारे में किसी कदम का संकेत नहीं है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। उनके भाषण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि यहां महाराजा अशोक या महाराजा हरिश्चन्द्र का जमाना आ गया है, या जिस राम राज्य की गांधीजी कल्पना करते थे वह राम राज्य आ गया है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में अधिक न कह कर एक-दो मिसाल ही देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति पन्नासिंह से राजगढ़ के एस. एच. ओ. और हैड कान्स्टेबल ने मिल कर के दो हजार रुपये रिश्वत मांगी वह दो हजार रुपया तो ला नहीं पाया, किसी तरह से 670 रुपये दे पाया। जब दस दिन के बाद मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने तार द्वारा एस. पी., अजमेर को इसकी सूचना दी। मैंने यह तार दिया 10 अक्टूबर, 1967 को और उसमें यह लिखा:—

"In a criminal case, State Vs Panna Singh and others, S.H.O. and Head Constable, Police Station Todgarh, took illegal gratification of Rs. 670.00 from Panna Singh of village Rodiana, and also kept the accused in wrongful confinement. Please take immediate action."

जब मैंने यह तार अपने नाम से 10 अक्टूबर, 1967 को भेजा लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक एस. पी. से उस तार का कोई जवाब तक नहीं आया। अब तक उस टेलीग्राम को अकनालेज करने की सूचना तक नहीं दी। जब एक महीने तक इन्तजार किया जब एस. पी. से कोई जवाब नहीं आया तो 7 नवम्बर, 1967 को एक पत्र आई. जी., जयपुर, आई. जी. एन्टी-करेप्शन, जयपुर, विजिलेन्स कमीशन और होम मिनिस्टर साहब को भेजा, इन व्यक्तियों से जवाब मिला कि कार्यवाही हो रही है। 16 नवम्बर, 1967 को गृह मन्त्री महोदय ने अपने डी. ओ. द्वारा मुझे सूचित किया कि शिकायत पत्र आपका प्राप्त हो चुका है और उन्होंने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के किसी डी. आई. जी. को जल्दी उचित कार्यवाही करने के लिये भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष : सब टेलीग्राम के प्राप्त हुआ।

श्री फतेह सिंह : मैंने अलग पत्र द्वारा होम मिनिस्टर साहब को, आई. जी. एन्टी-करेप्शन, को विजिलेन्स कमीशन को 7 नवम्बर, 1967 को दिया था। गृह मन्त्री महोदय ने मुझे सूचना दी है कि जल्दी तत्काल कार्यवाही करने के लिये मैंने डी. आई. जी. को मुकर्रर

(श्री फतेहसिंह)
किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी तक क्या कार्यवाही हुई, मुझे मालूम नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक किसी से पूछा नही है। विजिलेन्स कमीशन से जो मुझे पत्र मिला है उसमें लिखा है कि इसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के तार या पत्र आते हैं तो क्या यह नहीं कि अधिकारियों को अकनालेजमेन्ट करना चाहिये। आनरेबल मेम्बर्स जब लिखें तो अकनालेजमेन्ट होना चाहिये।

श्री दामोदर लाल व्यास : किया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री फतेह सिंह : एन्टी-करेप्शन ने 12-12-67 को यह उत्तर भेजा है कि इस सम्बन्ध में हमने उचित कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिये हैं। लेकिन अभी तक कोई जाच नहीं की गई है। सिर्फ इसका मतलब निकलता है कि सारा शासन भ्रष्ट है। सरकार इन भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को शायद ज्यादा से ज्यादा मौका देती है।

एक माननीय सदस्य : ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !

श्री फतेह सिंह : और उसका संकेत आपने माननीय गृह मन्त्रीजी को किया है। क्या यह कर्टसी नहीं है कि विधान सभा के सदस्यों के तार या पत्र जायें तो उसका अकनालेजमेन्ट करें। मैं तथ्यों में नहीं जाना चाहता लेकिन उसको अकनालेज तक नहीं किया गया। एक तरफ तो राज्यपाल महोदय कहते हैं कि हम विधान सभा के सदस्यों से जो कुछ प्रोग्राम सरकार की ओर से आता है उसमें सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो भी आपका पत्र आया है, सबने अकनालेज किया है। सबने तो लिखा है कि कार्यवाही हो रही है।

श्री विजयसिंह रावत : एक बनिया तीन दिन में जवाब दे देता है और आप कहते हैं अभी कार्यवाही की जा रही है। कितने अर्से बाद तो आप कहते है—कार्यवाही हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा : 16 नवम्बर को तो ..

श्री फतेह सिंह : Please do not try to defend your officers unnecessarily.

मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब को कि एस. पी. महोदय ने अभी तक मेरे पत्र को अकनालेज नहीं किया है, उसको आप डिस कर्टसी नहीं समझते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : It is a discourtesy.

श्री फतेहसिंह : लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह चरम सीमा तक फैला हुआ है एक-दो उदाहरण और देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में मुकदमें दर्ज हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : कुछ संक्षेप में कहें।

श्री फतेह सिंह : धारा 104 के अन्दर गवर्नमेन्ट के इसी तरह के आर्डर्स हुए हैं। इसी प्रकार जवाजा थाने में घीसूलाल का मुकदमा दर्ज हुआ है, एन्क्वायरी हुई।

(श्री फतेहसिंह)

एस. एच. ओ. न एन्क्वायरी की लेकिन दलगत राजनीति बीच में आई। विधान सभा के एक सदस्य ने यह गड़बड़ी की। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि वे गृह मन्त्रीजी के पास पहुंचे और उन मुकदमों को विथड्रा करने के लिये उनको दबाने के लिये कहा। मैं गृह मन्त्रीजी को इस बात के लिये चुनौती देता हूं। एम. एच. ओ. जवाजा ने एन्क्वायरी की, वे कागजात सेक्रेटेरियेट में आये और उनको दबा दिया गया। उचित तो यह होता कि आप इन कागजातों को अदालत में भेजते जिससे सच्चाई का पता लगता कि आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। आपकी कथनी और करनी में फर्क है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपने भ्रष्टाचार को मिटाने क लिये क्या सक्रिय कदम उठाये हैं। जिन मुकदमों को दबा दिया गया है क्या आप उनको वापिस खुलवाना चाहते हैं। श्रीमान्, मैं एक शब्द उद्योगों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह कहा कि कुछ उद्योगों को स्थापित करने के लिये सन्तोषजनक कदम उठाये गये हैं और इसमें ब्यावर में एक सीमेन्ट फैक्ट्री का जिक्र किया है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं राज्य सरकार का इसके लिये स्वागत करता हूं, सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही अपना आभार भी प्रकट करता हूं लेकिन एक बात है उस सीमेन्ट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिये मुझे यह जानकारी मिली है कि किसानों के पचासों कुए और सैंकड़ों बीघा जमीनें दब रही हैं। वहां कृषि योग्य भूमि की कमी है इसलिये मैं सरकार को कहूंगा कि जितनी कम जमीन किसानों की दब सके, उतना प्रयत्न किया जाय। अब उतनी जमीन किसानों को मिलने वाली नहीं है। अगर आप उनकी जमीन को एक्वायर करते हैं तो एक्वायर करने की रेट से बहुत अधिक पैसा देना चाहिये और उनको दूसरी जगह जमीन मिले, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये। साहू जैन जो यह फक्टरी बना रहे हैं उनके साथ ऐसी संधि होनी चाहिये कि जिनकी जमीनें दब रही हैं, उनको उस फैक्ट्री में कुछ नौकरी दे सकें। इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करेंगे।

श्री फतेह सिंह : मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपको जाना भी तो है।

श्री फतेह सिंह : मैं संक्षेप में कहूंगा····। मैं सिर्फ····

श्री अध्यक्ष : मुझे आपके जाने की चिन्ता है।

श्री फतेह सिंह : नेशनल हाई वे के लिये जमीन एक्वायर की गई है। उन लोगों को कम्पनसेशन अभी तक नहीं दिया गया है। ब्यावर से भीम तक जो नेशनल मार्ग जाता है। ब्यावर से 10 मील दूर सूरजपुरा की भूमि नेशनल हाई वे में ली गई है। वहां बहुत से किसानों को बेदखल किया गया है। 4-4, 5-5 वर्ष हो गये, उन किसानों की जमीन दबे लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनको अभी तक कम्पनसेशन नहीं दिया गया है। यही हाल मांगलियावास का है। अभी अभी मुझे एक पत्र मिला है। मैंने राज्य सरकार को एक

(श्री फतेहसिंह)
प्रश्न के तौर पर भी सूचित किया है, रीजनल कालेज, अजमेर के लिये किसानों को बे दखल किया गया है। पुष्कर रोड पर किसानों की एग्रीकल्चर लैण्ड को दबाये 6 वर्ष हो गये लेकिन अभी तक उनको मुआवजा व कम्पन-सेशन नहीं मिला है। इस पर आप बड़ी गम्भीरता से सोचें। सिचाई साधनों के बारे में जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है। जो सदस्य कांग्रेस की ओर से मेरी तरफ देख कर हंस रहे हैं·····

(हंसी)

श्री **अध्यक्ष** : वे भी आपको इज्जत से देख रहे हैं।

श्री **फतेहसिंह** : मगरे में मेरे चुनाव क्षेत्र में पानी की कमी है। शेरों का ताला वाली योजना अजमेर सरकार ने 10 वर्ष पहले हाथ में ली थी। उस पर अब तक 3-4 लाख रुपया खर्च हो चुका है। आपने परसों यह कहा था कि यह योजना लाभदायक नहीं है, मैं समझता हूं कि जिन्होंने आपको यह राय दी है, वह गलत है। आप इस पर पुनः विचार करिये। मगरे के लिये यही माही की योजना है, यही चम्बल की योजना है उनके लिये यही राजस्थान नहर की योजना हो सकती है यही उनके लिये भाखरा डैम की योजना है। अगर वह पानी फूलसागर में आगया तो ब्यावर की पेय जल की समस्या हल हो जायगी इसीलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर फिर से विचार कीजिये।

सोरठा फीडर के सम्बन्ध में जो योजना है उसको भी कार्यान्वित किया जाना चाहिये। इसके लिये कहा जाता है कि यह योजना होने पर फलां फलां तालाब में पानी कम हो जायगा। कहावत तो यह है कि "घर का पूत तो कुआरा फिरे पड़ौसी फेरा खावे" मगरे का पानी है और मगरे वालों के लिये आप पानी देने की से रोक रहे हैं इस पर आप विचार करिये। जब 1956 में 1 नवम्बर को अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था अजमेर वालों ने सोचा था राजस्थान में विलय के बाद उनका विकास होगा लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे साथ उपेक्षा वृत्ति बरती जा रही है। हमारी उचित मांग पर भी विचार नहीं किया जा रहा है यह सब कार्य राजनैतिक दृष्टिकोण से हो रहा है मैं इसके अधिक विश्लेषण में जाना नहीं चाहता।

अन्त में मैं अपना स्थान ग्रहण करने से पहले एक ही वाक्य में इस शासन के प्रति अपना रोष प्रगट करना चाहता हूं अगर हिमालय पर्वत कलम बने, हिन्द महासागर की दवात हो, पृथ्वी कागज हो, और लेखक स्वयं काल (Time) बने तो भी इस शासन की बुराइयों का लेख हो नहीं सकता। इस बीस बरस के शासन में जितने अन्याय, अत्याचार और फेवरिटिज्म, और पक्षपात किया गया है उसका वर्णन नहीं हो सकता। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रेमसिंहजी बार बार उचक रहे हैं उनको बोलने दिया जाय क्योंकि उनकी पत्नी गैलरी में आयी हुई हैं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

मूलचन्दजी डागा ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो जो उद्योग हमारे यहां स्थापित होने वाले हैं उसका विवरण दिया है। कोटा में सीमेन्ट फैक्टरी, भीलवाड़ा में वेजीटेबल फैक्ट्री इस तरह से पांच दस फैक्ट्रियों का निर्माण राजस्थान में हो रहा है इसके लिये जिस विभाग ने काम किया है वह बधाई के पात्र हैं।

ब्यावर और उदयपुर में सीमेन्ट फैक्ट्रीज बनने जा रही हैं मैं समझता हूं राज्य सरकार में इस प्रकार उद्योग धन्धे बढ़ाने में बहुत जोश है और इससे मालूम होता है राजस्थान की सरकार राज्य के विकास के लिये कितना सोचती है इसलिये इसको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता।

इसी प्रकार यातायात की सुविधा के लिये भी राजस्थान सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है जैसलमेर और पोकरण तक जो रेल लाइन बिछायी है वह एक अद्भुत बात है।

एक माननीय सदस्य : इसका श्रेय तो केन्द्रीय सरकार को है आपका इसमें लेना देना क्या है?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह भी कोई आपके दादाजी की सरकार थोड़े ही है।

श्री प्रेमसिंह : आपके दादाजी की ही रखिये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : इस प्रकार वह दिल्ली सरकार का पैसा है लेकिन प्रयत्न तो राजस्थान सरकार का है। जिनके कहने से यह काम हो सका जहां पर सड़कों से आना जाना मुश्किल था, उस क्षेत्र के लिये रेल्वे लाइन बिछा देना क्या कम बात है? जो लोग अपने क्षेत्र से एक दूसरे गांव आ जा नहीं सकते थे उनके लिये यह सुविधा कितनी अहमियत रखती है यह वे ही जानते हैं। उसके अलावा राजस्थान के सारे इलाकों में सड़कें बिछा दी हैं उसके लिये भी बधाई दिये बिना नहीं रह सकता।

अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार द्वारा अच्छे काम किये गये हैं उनकी सराहना की जानी चाहिये और कोई गलत काम है तो उस गलती की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी काफी सराहनीय काम किया है अधिक उपज देने वाले बीजों का वितरण किया गया जिसका बड़ा चमत्कार हुआ जिससे पहले से चार छः गुना अधिक उत्पादन हुआ है यह भी कोई कम बधाई का काम नहीं है।

राज्य के कर्मचारियों के लिये गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिश मान कर सरकार ने काफी साहस का काम किया है इससे राज्य सरकार पर छः करोड़ रुपये का अधिक भार पड़ा है इस कारण भी सरकार बधाई की पात्र है। इस तरह से सरकार ने गरीब कर्मचारियों पर ध्यान दिया है और आगे आगे भी बराबर देते रहे तो राज्य की नौकरी करने वालों को तकलीफ नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा पेन्शन के बारे में भी सुविधायें दी हैं जिस किसी कर्मचारी की सात वर्ष की सेवा अवधि में मृत्यु हो जाती

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

है तो उसके पीछे आश्रितों को सात साल तक आधा वेतन पेन्शन के रूप में मिलेगा।

इसी प्रकार सैनिकों के लिये भी कई भू-खंड तय किये गये हैं उनके बच्चों के लिये मेडिकल कालेजों में और दूसरी संस्थाओं में स्थान सुरक्षित रखे हैं यह भी कोई कम बात नहीं है।

26 जनवरी से सारा राजकाज का काम हिन्दी में होने लग जायगा। यह घोषणा भी बड़ी सुन्दर है अब तक जो हिन्दी हुई है वह तो हिन्दी की हिज्जे हुई है। आज भी हम देखते हैं गाड़ियों के पीछे जो पटरी पर नम्बर लगता है उस पर आर. जे.एल लिखा होता है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है यह तो हिन्दी की हिज्जे के अलावा और क्या बात हो सकती है। आप इसकी जगह आर. का राजस्थान और एल का कोई जिले का नाम दे सकते हैं। लेकिन आपको हिन्दी की परवाह नहीं। हिन्दी आन्दोलन जो चलाने वाले लोग हैं उनके बच्चे इन्जीनियरिंग में विलायत में पढ़ते हैं जो अपने बच्चों को साहब बनाकर ला रहे हैं। उनसे क्या हिन्दी का भला हो सकता है। राज्य सरकार ने यह घोषणा कर जनता की इच्छा की पूर्ति की है उमसे वह बधाई की पात्र है 26 जनवरी के बाद हम 29 को यहां मिलेंगे फिर मार्च में मिलेंगे उसके बाद हिन्दी की क्या प्रगति हो रही है उसको देखकर फिर बधाई दी जायगी इस वक्त भी देनी चाहिये।

मद्य निषेध की नीति में सरकार विश्वास करती है लेकिन सरकार मद्यपान को बन्द नहीं करवा सकती। गुजरात की सीमा के आस पास के दस मील के इलाके में शराब बन्द की है मैं सरकार से पूछना चाहता हूं जब गुजरात राज्य में मद्य निषेध लागू है तो आप अपने राज्य में क्यों नहीं कर सकते। उसको हमारे यहां चालू रखना क्या मायने रखता है। आप इसको बन्द कर जो कुछ राज्य कोष में पैसे का अभाव होता है उसके लिये टैक्स लगाइये भारत सरकार से मदद लीजिये। जब आप शराब बन्द की नीति में विश्वास रखते हैं तो इसको पीना बन्द क्यों नहीं कराते आज या कल यह कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिये मदिरा के पान के कारण यादव कुल का नाश होगया जब हम गुलाम थे उस समय में शुरू हुई बिकी यह चीज है इसको किसी भी हाल में हम लोगों को बन्द करना पड़ेगा आप मद्य निषेध के लिये यह जो गारन्टी सिस्टम है इसको बिलकुल बन्द कर दें और इस पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दें।

और वह तो बहानेबाजी छोड दो। शराब की नीति को कागजों में मान लेना ठीक नहीं है। इसे बन्द करना चाहिये।

शिक्षा के मामले में काफी तरक्की हुई है जिस तरह की शिक्षा का रवैया देश में है उस हिसाब से अच्छा है।

पुलिस में राज्यपाल ने फरमाया 82 डाकुओं को गिरफ्तार किया। पुलिस बधाई की पात्र है इसके लिये तो। पर पुलिस में ऐसे लोग भी हैं अध्यक्ष महोदय, जो काम नहीं करते। बीकानेर की बात बताता हूं। शहर के बीचों बीच में एक ही परिवार के लोग रहते थे। वहां एक लडके

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

का कत्ल हो गया, 17 साल के लड़के का। बन्द मकान। सब आदमी भीतर। अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी। एस. पी., डी. आई. जी., आई. जी., डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर साहब से भी कहा। कहते हैं मालूम कर रहे हैं। पढ़ने वाला था कालेज का लड़का कत्ल हो गया। नहीं मालूम हुआ किसने किया। वहीं के रहने वालों से हो सकता है। पर नहीं मालूम कर सकी पुलिस। लगा रहे हैं पता। छः महीने हो गये। सुराख ही लगा रहे हैं अभी कुछ नहीं कर पाते ऐसे मामलों में। वह तेज तब होती है अपने करतब तब बताती है जब मीटिंग में कोई बोल रहा हो, भाषण दे रहा हो। फौरन उसके पीछे पढ़ती है। इसमें पुलिस माहिर है। पर जो सुरक्षा का काम सौंपा गया है वह नहीं निभा पाती। इससे जनता में शहरी जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। इस पर ध्यान देना चाहिये।

अकाल में सरकार ने करोड़ों रुपये लगाये इसके लिये बधाई देता हूं। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक अकाल भोग रहे हैं। राजस्थान का वह इलाका जिसको रेगिस्तानी इलाका कहते हैं वहां बराबर अकाल पड़ते रहते हैं और बरसों से पड़ते रहते हैं आज यह जवाब मिलता है कि तुम्हारी स्थिति तो पहले यही थी। देश में तरक्की हो रही है पर उस तरक्की से हम महरूम हैं। मुझे याद आ रहा है। सेठजी दुकान बढ़ा रहे थे। बोल रहे थे धन प्रहलाद अजामिल पापी तारो। दूसरा बोल रहा था बंशीलाल को सौ थाली।

उसको सौ थाली मारा बाप को के।

आपने सारा विकास कर लिया। राजस्थान विकासशील है पर बीकानेर जिले के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल सकता। आपने विकास का क्या डंका बजा रखा है। आप करोड़ों रुपया लगा सकते हैं अजमेर में क्योंकि वे जोर से बोलते हैं। करोड़ों रुपया खर्च करके उनको पानी दे सकते हैं पर इस रेगिस्तानी इलाके को पानी नहीं मिल सकता। कहते हैं वे तो आदी हैं, उनकी आदत है दस दस और बीस बीस मील से पानी लाने की।

मैं कहना चाहता हूं हमारे उस इलाके से आये लोगों को जो कैबिनेट में भी बैठे हैं। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी जो पीने का पानी भी नहीं दे सके।

श्री बिजय सिंह (मकराना) : डूब मरना चाहिये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : प्यासे मर रहे हैं यहां तो। पानी मिलना चाहिये। डूब मरने को आप ही बहुत हैं। लेकिन उस इलाके के लोग आपको क्या कहेंगे। आपने क्या तरक्की की। सीमेन्ट की फैक्ट्री चित्तौड़ में लगादी। अच्छा कर दिया। ब्यावर में और कोटा में लगा रहे हैं। बीकानेर में वूलन मिल भी लगाई बड़ी बधाई की बात है। लाडनूं में भी फैक्ट्री लगाई। उन सबके लिये बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूं मेरे इलाके में पीने का पानी क्यों नहीं देते। साफ कहतो दो या तो कि प्रकृति के भरोसे

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

रहो। नहीं तो विकास और विज्ञान के इस युग में पानी की व्यवस्था करें। हजारों वर्ष राजाओं ने भी यही कहा, हम तो राम के भरोसे हैं। आज आप भी यही कहोगे? आप पानी ला सकते हैं राजमहल से गम्भीरी से अजमेर में करोड़ों रुपया खर्च करके ला सकते हैं वहां एक दो लाख के लिये करोड़ों खर्च कर सकते हैं, पर पचास स लाख लोगों के लिये पांच-सात करोड़ खर्च करके पानी नहीं ला सकते। हमारे लिये तो कहते हैं पैसा नहीं है। हमें जवाब मिलता है। सिर्फ इसलिये नहीं मिलता पैसा कि जिनको चुनकर भेजते हैं यहां वे बात नहीं करते। पीने का पानी नहीं देंगे और खाने के लिये हम साल दर साल अकाल करते हैं। आप सहायता देते हैं। हम इसके लिये शुक्रगुजार हैं। पर एक बात बतावें चुन कर वहां से आये लोगों से पूछना चाहता हूं क्या उस इलाके के लोग कभी भी भिक्षुक रहे हैं। आप कहते हैं सहायता देते हैं। हम सहायता को बर्दाश्त नहीं करते। अकाल मिट सकता है। अकाल मिटाइये। हमें अकाल सहायता की भीख नहीं चाहिये। एक्सपेरीमेन्ट हो गये हैं। किसी केनाल के भरोसे नहीं हैं। आप ट्यूब वैल लगाइये। इस एक से 150 सौ दो सौ एकड़ भी जमीन सिंचित होती है तो पांच सात करोड़ खर्च करके पांच हजार ट्यूब वैल लगा दें। इससे पांच दस लाख एकड़ जमीन सिंचित हो जाती है तो हम अकाल का काला मुंह कर सकते हैं। पर हमें अकाल-अकाल करके दो चार करोड़ हर साल देते रहें यह सही नहीं है। पर आप कहां पैसा खर्च करेंगे? अकाल का मुंह काला करने के लिये हमारे यहां नहीं। आप चम्बल में लगावेंगे सौ करोड़ रुपया जो न बैटरमेन्ट लेवी दे न पैसा दे। और जब जमीन बेचने की बात आई तो कहते हैं जमीन बेच रहे हैं। हमारी जमीनें बेच लो। हमारे तो ट्यूब वैल लगादो। जमीनें आपको बेचनी है जरूरतमन्द को आप नहीं देंगे। वे जरूरतवालों को बेचना चाहते हैं। नीलाम से बेचना चाहते हैं। यह हाल आज सरकार का है। मैं अर्ज करूं राजस्थान केनाल की बात। राजस्थान केनाल में जमीनें बेचने की बात आई। बड़ा विरोध हो रहा है। यह दस करोड़ रुपया ब्याज का दे रहे हैं। यह किस बातका। चम्बल नहर राजस्थान नहर और भाखरा का है। उन पैसों की जमीन नहीं बेचेंगे तो दूसरी जगह डवलपमेन्ट नहीं हो सकेगा। आप जमीनें भी बेचेंगे किसको? नीलाम करेंगे। किसे करेंगे? आत पूछें न पांत। आया उसको ही नीलाम। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको दे देंगे। चाहे राजस्थानी हो चाहे बाहर का। आपको परवाह नहीं होगी। आप वहां के निवासियों को उसी रेट पर जमीन दे दें तो क्या बुरा होगा। जब से भरती बसी है वहां तब से बरो लोग बस गये हैं रेगिस्तान का सामना करते आये हैं अब जब वहां पानी आया तो उनको उजाड़ दोगे? आप उनको दो पैसा जिसके पास होगा। आप पन्द्रह बीस किश्तों में उनसे पैसा लो। पर जमीन उनको दो।

आप कहते हैं एक लाख हरिजनों के लिये सुरक्षित रखेंगे। पर कैसी जमीन सुरक्षित रखेंगे जिनमें गड्ढे होंगे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है हनुमानगढ़ की मण्डी बसाने के लिये चार हजार एकड़ जमीन बेदखल की गई। क्या हुआ उसका। किसानों

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

को तो मुआवज़ा देकर भगा दिया गया और वह ज़मीन जिनके पास है। कोई ऐसा कमिश्नर बचा नहीं जिसने ज़मीन न ली हो। कैनाल कमिश्नर। ग़रीब से छीन ली और उनको दे दी। जिनका प्रभाव पड़ता था उन ने ली।

जिन लोगों को ज़मीनें अलाट की हैं आप उनसे पैसा वापिस क्यों नहीं लेते हैं? पैसा उनसे लेना चाहिये। दस आने के लगान वालों से दस रुपया स्माल सेविंग में ले लेंगे। आप उनसे नहीं लेंगे जिनकी ज़मीन में किसी दिन एक दाना पैदा नहीं होता था पर आज 200 मन अनाज पैदा होता है। आप उनसे लीजिये। आप उनसे तो लेते नहीं क्यों कि वे ज़ोरों से बोलते हैं।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जैसलमेर नल कूप के बारे में राज्यपाल महोदय ने फ़रमाया कि वे बेचे जावेंगे। मैं पूछता हूं जिन जगह करोड़ों रुपया लगाकर छोटे मोटे बांध बनाये हैं 70-80 लाख रुपया सारी ज़मीन बची हैं। झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर ज़िले में और जयपुर में सवाई माधोपुर में जहां जहां बांध बांधे बूंदी झालावाड़ में आपने बेची हैं। बता दीजिये। सब अलाटमेन्ट किया है। या रेगिस्तान ही ऐसा है कि वहां आप बेचेंगे। वहां के लोग क्या खावेंगे क्या पीवेंगे? कैसे जीवेंगे? क्या वह हमेशा ही रेगिस्तान में घूमते रहें और आप नल कूप बनायें, नहरें बनायें और ज़मीन दूसरों को बेच देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पीने के पानी का इन्तज़ाम पूरा हो और यह शर्मनाक बात जो हमारे लिए कही है कि रेगिस्तान के इलाके में ट्रेक्टरों से पीने का पानी पहुंचेगा, गाड़ियों से पानी पहुंचेगा इसका दुःख मुझे होता है, मैं समझता हूं इस सदन को भी दुःख करना चाहिये कि ऐसी बात क्यों हुई और इसके बदले में पीने के पानी का इन्तज़ाम क्यों नहीं हुआ?

मैं शहर बीकानेर से आया हूं। वहां अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट हैं। अध्यक्ष महोदय ट्रस्ट के हाल बुरे हैं। दूसरे हमारे गांवों के लोग इसको यू. आई. टी. की जगह ऊ. आई. टी. ऊ. आई. टी. कहते हैं। वहां शहर में क़रीब 7-8 हज़ार मकान बिना इजाज़त के बन गए और वर्षों से बने हैं। वहां ग़रीबों की भी झोंपड़ियां हैं जो कि सन् 57 के पहले की हैं। उनको भी तुड़वाने की बात है और वहां पर जिन लोगों ने 40-50 हज़ार की बिल्डिंग बनाली उसको आप लोग नहीं तुड़वा सकते और क्यों नहीं तुड़वा सकते इसलिये नहीं तुड़वा सकते इतने का इनवेस्टमेन्ट हो गया तो आप 100 रुपये की कोठरी तो तुड़वा देंगे लेकिन 50 हज़ार वाले का कुछ भी नहीं। कितनी बुरी बात है। पैसे वालों के काम तो ज्यों के त्यों रहेंगे पर ग़रीबों की झोंपड़ी तोड़ने की बात कही जाती है। यह क्यों तोड़ी जाती है? जब आप उनके मकान नहीं तुड़वा सकते तो फिर यह झोंपड़ियां कैसे तोड़ सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, बड़े मज़े की बात है। वहां पर जो यू. आई. टी. के सेक्रेट्री हैं वह वर्षों से बैठे हैं, करते कुछ भी नहीं हैं बीमार रहते हैं। उनका कोई इन्टर-

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
फ़ियरेन्स नहीं है। वह तो शायद दूसरे डिपार्टमेन्ट में चले जायें तो अच्छा हो। बहुत ईमानदार हैं लेकिन ईमानदारी करें क्या काम कुछ करते नहीं हैं। काम नहीं करने की हालत इसलिये है कि पले हुए हैं रईस खानदान के······

श्री **विजयसिंह रावत** : कौन है ?

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : नाम पूरा याद नही आ रहा है ?

श्री **विजयसिंह रावत** : फिर भी नाम तो बता दो ?

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : नाम याद नहीं आ रहा है और कोई मैं सब नामों की सूची रखता हूं ? मैंने सेक्रेट्री बता दिया है, बस। लेकिन एक और अजीब बात है और वह मैं नवाब साहब को आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इनके डिपार्टमेन्ट में याने पी. डब्ल्यू डी. में ऐसे इन्जीनियर्स भी हैं जिनको कोई नहीं रखना चाहता है। उनमें से एक को कई वर्षों से यू. आई. टी. में रखा हुआ है······

श्री **अमीनुद्दीन अहमद** (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : आप शिकायत लिखकर भेजिये।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : लिखकर क्या भेजें, कई बार कहा है····

श्री **अमीनुद्दीन अहमद** : कहने वाली बात गलत है।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** : नवाब साहब कहते हैं कि करूं क्या ?

वही इन्जीनियर साहब मुझे कल यहीं मिल गए। वह कहते हैं कि ट्रान्सफ़र होता ही नहीं है और यू. आई. टी. में काम भी कुछ नहीं है। इसलिये उन्होंने अब मकान तुड़वाने शुरू कर दिये और वह कहते हैं कि इससे लोग नाराज़ होंगे और तबादला जल्दी होगा। तो यह उनका बदली का तरीक़ा है। मैं कहता हूं कि लोग झगड़ा करेंगे और मकान नहीं तोड़ने देंगे। लोगों ने मकान आपकी यू. आई. टी. के भरोसे नहीं बनाये उनसे पैसा लीजिये और अच्छा पैसा लीजिये। स्वायत्त शासन विभाग को चाहिये कि जिन्होंने बिना इजाजत के मकान बना लिए उनसे वह अच्छा पैसा ले और अच्छी पैनल्टी उनके ऊपर लगायें जिससे दूसरों की अक़्ल दुरुस्त हो जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे यहां रेगिस्तान तो है लेकिन एक वन विभाग का भी दफ्तर है और वहां पर शहर के तुरन्त बाहर बीड है जिसमें गायें चरती हैं उस बीड के ऊपर वन विभाग का क़ब्ज़ा है और उसने वहां पर क़ब्ज़ा कर रखा है और वह बीकानेर शहर से निकलते ही हैं। वहां 10-12 हज़ार गायें निकलती हैं चरने के लिये। वहां पर क्या कर रखा है कि ऊंट नसल सुधार के लिये उनको करीब 50 हज़ार एकड़ ज़मीन दे दी है। उनको तो ऊंट नसल सुधार के लिये ज़मीन दे दी और गायें भूखी मरें। उनके यहां। अगर कोई भी गाय चली जाती है तो वह उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि या तो पैसे दो या फिर यह गाय फाटक में जायेगी। न तो वहां उसकी कोई फेन्सिंग है। अगर आपको ऊंट की नस्ल सुधारनी थी तो

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
पुगल की तरफ़ चले जाते । वहीं बीकानेर शहर के तुरन्त बाहर जाकर आपकी ऊंट नसल सुधार होगी। क्या बीकानेर शहर के दरवाजे पर ही नसल सुधार होने को लिए शहर के बाहर ही बैठा रखा है · · ·

श्री भैरोंसिंह : शहर के ऊंटों की नसल तो पहले ही अच्छी है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वह तो बीकानेर और सीकर में बराबर ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।

वहां भेड़ सुधार भी होता है। वहां भी फ़ेन्सिग नहीं है। गायें वहां भी पकड़ी जाती हैं और वन विभाग ने अलग से 4-5 हजार एकड़ ज़मीन की बीड़ रोक रखी है, कहते हैं कि यह रक्षित ज़मीन है। और उस वन विभाग का काम तो यह था कि उस सुन्दर भूमि में जो इतनी पवित्र मानी जाती है और जहां मृग घूमते थे उनकी रक्षा करते। जिनको कभी नहीं मारा जाता था और जिनको मारने की मुमानियत थी उस पवित्र भूमि में आज आपको वह मृग नहीं मिलेंगे। आर. ए. सी. के आदमी चाहे जब उनको मार देते हैं। नहीं तो आज से 20 वर्ष पहले मृग डाल के डाल घूमते थे। जानवरों की रक्षा करनी चाहिये वह तो रक्षा नहीं है। रक्षा तो वह इसकी करते हैं कि कोई गाय चरती मिल जाये तो उसको पकड़ लो। यह फ़िज़ूल का खर्चा वहां से हटा लिया जाये और गोचर भूमि गायों के चरने के लिये रखदी जाये और गायें वहां आराम से चरें, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं · · · · · ·

श्री अध्यक्ष : अन्तिम बात।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अन्तिम बात।

बीकानेर के आसपास जो राजस्थान कैनाल आ रही है 50 मील कैनाल है। 121 मील लम्बी में से 71 मील तो वह और 50 मील हमारे इलाके में है। आप यह बतादें कि क्या आप एक एकड़ भी जमीन सिंचित कर लेंगे। उसमें 25 करोड़ रुपया सरकार का मुफ्त में व्यर्थ जा रहा है। जो भी प्लानिंग हुआ है वह टेबल पर बैठकर हुआ है। जमीन पर जाकर नहीं देखा गया है। जब कुछ मन्त्री लोग सीमा पर दौरे पर गये थे तो मुख्य मन्त्री जी भी थे। उन्होंने हमारे सामने कहा है कि इसमें कैसे पानी आयेगा? तो प्लानिंग से उन्होंने भी कहा कि टेबल पर बैठकर अच्छे बनते हैं लेकिन हम टेबल की प्लानिंग पर ही रह गये। 50 मील के एरिया के लिये अगर देखा जाये तो 9 करोड़ से ज्यादा की स्कीम नहीं है और वह स्कीम लिफ्ट इर्रीगेशन की थी। इससे काफ़ी ज़मीन सिंचित हो सकती है, इससे अनाज की पैदावार तुरन्त हो सकती है। तो यह 9 करोड़ रुपया लगाकर जो काम हो सकता है वह नहीं करेंगे क्योंकि रेगिस्तान के आदमी सुख से क्यों रह जायें । इनकी कैबीनेट में फ़ैसला होते समय मैं समझता हूं कि ध्यान ही नहीं देते कि वहां के इलाक़े की क्या स्थिति है? यह समझते हैं कि जहां चम्बल है तो चम्बल वाले भी केबीनेट में हैं। लेकिन रेगिस्तानी इलाक़े में पानी नहीं है वहां पर पानी की कीमत लोग जानते हैं। आप 20 करोड़ के बजाय 9 करोड़ रुपया लगाकर

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
एक अच्छी योजना बना सकते हैं और 11 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। यह क्या बात है बीकानेर में लिफ्ट इर्रीगेशन से तब पानी लायेंगे जब कि यह नागौर ज़िले में चली जाये तो नागौर के पीछे आप बीकानेर को क्यों खा रहे हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो रेगिस्तान के टीलों के बजाय आप बीकानेर में पानी लाओ। मैं अन्तिम बार यह सूचना देना चाहता हूं कि अगर आपने पीने के पानी का इन्तजाम नहीं किया और नल कूपों का निर्णय नहीं किया तो वहां के लोग भिक्षुक नहीं हैं। वहां के लोग इसके लिए आन्दोलन सुन्दर ढंग से करेंगे और खाली आपको वोट देकर हम यहां हाजिर नहीं हुए हैं। अगर आपको यहां टिकना है तो आपको करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर कई दिनों से वाद-विवाद चल रहा है । धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले और उसका समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों ने जहां धन्यवाद-प्रस्ताव को पारित करने की बात कही है वहां दबी-दबी जबान में राज्य सरकार की कटु आलोचना भी की है । अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है पिछले 16 सालों में, जब कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अशुद्धियां रही हैं, यह पहला मौका है जब कि 5 महीने 28 दिन के बाद विधान सभा का अधिवेशन बुलाया गया हो, यह पहला मौका है जब कि अभिभाषण के दौरान किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार किया गया हो, और, अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है जब कि इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद के समय मुख्य मंत्रीजी अनुपस्थित हों, और यह पहला मौका है पिछले 16 सालों में जब कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद के समय 36 व्यक्तियों का मंत्री-मंडल इस सदन में विराजमान हो । यह बात दूसरी है कि मंत्री-मंडल के सदस्य कैसे हैं । यह बात दूसरी है कि किस तरह के लोग मंत्री-मंडल में शामिल किये गये हैं, क्योंकि राज्य-विधान सभाओं में संविधान के अनुसार यदि कोई जिम्मेवार है राज्य की नीतियों के बारे में तो मंत्री-मंडल जिम्मेवार है, और जिस राज्य का मंत्री-मण्डल जिस प्रकार का होगा, उस राज्य का विकास उसी आधार पर हो सकेगा । लोकतन्त्र की शासन-पद्धति में संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य विधान सभा सर्वोच्च संस्था उस राज्य की है, और उस राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री मण्डल है, उस मंत्री-मण्डल में शामिल किये गये लोग, उनका चरित्र, उनका दिमाग उनका आचरण, उनके कार्यकलाप, उनकी बुद्धि, उनकी समझ, उनके कार्य करने की क्षमता उनकी प्रशासनिक योग्यता, ये सारी चीजें हैं जो राज्य की जनता को उस राज्य को विकासोन्मुख करने के लिए प्रेरणा दे सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि पिछले 20 सालों में आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद और तीन पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपयों की धन राशि खर्च करने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के बावजूद आज राजस्थान जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में विकास कर सकता था वह राजस्थान आज पिछड़ा हुआ है। आज राजस्थान विकास की दृष्टि से अन्य राज्यों से पिछड़ रहा है। स्वंय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को समाप्ति के पश्चात् राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए थी और उद्योगों में उत्पादन बढ़ना चाहिये था, बिजली की खपत बढ़नी चाहिए थी, बेकारों को काम मिलना चाहिये था, कहने का तात्पर्य है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि का जहां तक सवाल है, स्वयं राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान के अन्दर इन क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया। राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये थे उनकी उपलब्धि नहीं कर पाये, और यही कारण है कि आज राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में हर मामले में पिछड़ा हुआ है।

आज राजस्थान के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती राज्य होने के साथ-साथ अनेक समस्याएं राजस्थान के अन्दर हैं। विशेष रूप से सीमा-सुरक्षा, जन-सुरक्षा, राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से विलम्ब के मामले और राजस्थान में बेकारी और बेरोजगारी का सवाल जो पिछले दिनों से बढ़ रहा है, राजस्थान में भूमि-सुधार के मामले, कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के मामले, सीलिंग के मसले, ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने सदन के सदस्यों को इस बात के लिए स्वागत किया है कि देश की संकटकालीन स्थिति में देश के अन्दर जो हिंसा का वातावरण है, देश के अन्दर के उपद्रव हो रहे हैं उस समय में भी यहां शांति रही राजस्थान में। इसके लिए राज्यपाल महोदय क दो दृष्टिकोण हो सकते है। एक तो यह है कि उपद्रव जो हो रहे हैं अन्य राज्यों में यह मानकर चला जाय कि यह सारा काम सारा श्रेय केवल सत्तारूढ़ दल को है और जो उपद्रव करा रहे हैं वह विरोधी पक्ष करा रहा है यह शायद राज्यपाल महोदय की मन्शा नहीं हो सकती। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के अन्दर विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग जिस सन्जीदगी से जन-जीवन को शान्तिपूर्ण बनाये हुए हैं उनकी सराहना की है, उसके लिए उन्होंने धन्यावाद दिया है। लेकिन साथ ही मैं कांग्रेसी सदस्यों से सवाल करना चाहता हूं वे जवाब दें कि आपने इस देश के लिए लोकतन्त्र का नारा दिया और समाजवाद के आधार पर इस देश के विकास की योजनाएं बनाने की इस देश के सामने नीति रखी तो यदि गम्भीरता से विचार करें तो पिछले 20 सालों के बाद आज यह अनुभव करते हैं कि क्या देश में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हुई? क्या देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है? क्या हम अनुभव कर रहे हैं कि लोकतन्त्र के भवन, इमारत को मजबूत बनाया या लोकतन्त्र की नींव को मजबूत बनाया है? अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है है कि पिछले सालों में कांग्रेस पार्टी चाहे वह सत्तारूढ़ दल रही हो और कांग्रेस पार्टी को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पिछले 20 सालों से सौभाग्य मिला इस बात का कि देश का शासन-सूत्र सम्हाले और देश पर हुकुमत करें, उस कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ होते हुए 20 सालों में क्या किया ? यह हिसाब लगायें कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले एक साल से विपक्ष में बैठकर क्या किया ? मुझे खेद इस बात का है कि कांग्रेसी नेता जो सत्तारूढ़ दल में बैठकर पिछले 20 सालों से विपक्ष के लोगों को यह उपदेश दिया करते थे कि विपक्ष के लोगों को इस प्रकार संजीदगी के साथ व्यवहार करना चाहिए । मुझे अच्छी तरह याद है, अध्यक्ष महोदय, कि पिछली बार जब इस सदन में राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देने के लिए आये तो जिस प्रकार से संसोपा और कम्युनिस्ट पार्टी ने यह योजना बनाई थी कि हम अपनी कुछ ग्रीवेन्सेज, हम अपने कुछ अभाव अभियोग राज्यपाल महोदय के सामने रखेंगे, उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार का उन संसोपा और कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर्स के साथ में इस सदन में व्यवहार किया गया और किस प्रकार से सार्जेन्ट की मदद से उन्हें खींच खींच कर सदन के बाहर फेंक दिया गया, और सदन में बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया कि 12 विरोधी पक्ष के सदस्यों को सारे सत्र काल के लिए सदन से निष्कासित कर दिया । एक तरफ तो यह व्यवहार सत्तारूढ़ दल में बैठकर यह सोचे कि विपक्ष के द्वारा राज्यपाल महोदय जो राज्य की सर्वोच्च संस्था है, राज्यपाल महोदय जो राज्य के सर्वोच्च स्थान पर विराजते हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अभी बिहार की विधान सभा में जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिए आये तो अभिभाषण प्रारम्भ करने से पहले कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स ने बिहार की विधान सभा में कोई नीति सम्बन्धी मामले नहीं उठाये, जनता के अभाव-अभियोग के मामले की ओर राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित नहीं किया और एक लिस्ट लेकर पहुंचे गये कि हमारा बहुमत है और यह सरकार अल्पमत में है इस प्रकार सरकार बनाने का झगड़ा राज्यपाल महोदय के सामने खड़ा करके किस प्रकार का दृश्य बिहार विधान सभा में कांग्रेस के लोगों ने खड़ा किया ? उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जाकर बैठी तो वहां पर जूतों, चप्पलों की बौछार की । उत्तर प्रदेश और बिहार विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विपक्षी दल की तरफ से कैसा व्यवहार किया गया ? वे अध्यक्ष की कुर्सी पर पंहुच गये और जूते, चप्पलों की बौछार शुरु करदी दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौन्सिल और म्युनिसिपल कार्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में बैठकर जितना अभद्र व्यवहार किया है उसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ रहते हुए, कुर्सियों पर बैठे हुए भी पिछले 20 सालों में इस देश का विकास नहीं कर सकी और कांग्रेस पार्टी को एक साल से विपक्ष में बैठने का मौका मिला तो उस एक साल में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नाते जिस प्रकार का व्यवहार किया है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा ।

क्या आप यह नहीं समझते कि लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष की आवश्यकता नहीं है? आप विपक्ष को उपदेश देते आये हैं लेकिन एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साल भर भी विपक्ष में बैठकर विपक्ष जैसा व्यवहार नहीं कर सकते । आप दूसरों को उपदेश देते हैं । यह बात दूसरी है कि राजस्थान में कांग्रेस का यह मानस नहीं बना। सन् 67 के चुनाव में अल्पमत में आने के बाद कांग्रेस के लोगों को आशंका हुई कि शायद हम गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे । आपने यह सोचा कि येन केन प्रकारेण गवर्नमेंट बनानी चाहिये और आपने लोक तंत्र की हत्या करके भी गवर्नमेन्ट बनाई विपक्ष में बैठने की आपकी हिम्मत नहीं हुई । हम तो जनता जनार्दन की सेवा करने का मौका विपक्ष में बैठकर भी उठा रहे हैं (हीयर हीयर) आप किन तौर तरीकों से बैठे हैं उसका निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे वेदना होती है कि जब कांग्रेस सामन्तवाद के बारे में बात करती है। सन् 47 में देश स्वतंत्र हुआ । उसके पश्चात् राजा महाराजाओं ने अपने अपने भूतपूर्व राज्यों का बलिदान किया उसके पश्चात् राजस्थान राज्य की स्थापना हुई । राजा महाराजाओं ने जब स्वेच्छा से अपने राज्यों का विलीनीकरण स्वीकार किया तब राजस्थान बनाने की कल्पना सामने आई आप अपने दिल पर हाथ धर कर सोचिये जिन राजा महाराजाओं के पूर्वजों ने तलवार के बल पर राज्य कायम किये थे उन राज्यों को इन राजा महाराजाओं ने अपने राज्य कलम के बल पर स्वेच्छा से न्योछावर कर दिये और आप जैसे कांग्रेसियों को बनने का मौका दिया । आज आप उन सामन्तों को गालियां देते हैं (शेम शेम की आवाज) कांग्रेसियों का आचरण उन सामन्तों से गया बीता और निकृष्ट साबित हुआ है । पिछले 20 सालों में आपने क्या क्या कारनामे किये हैं बिहार में क्या हो रहा है । • • •

(श्री विशम्भरनाथ जोशी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर) आप आगे बैठे हैं शान्ति से सुनते रहिये ।

श्री खेतसिंह:—बिहार में क्या हुआ ? क्या कुछ गड़बड़ होने की खबर आ गई है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां गड़बड़ हुई या नहीं यहां की बता रहा हूं।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय • •

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मामला बजट के समय उठाऊंगा । जमीन के मामले में जो गड़बड़ की है । • • •

श्री विशम्बरनाथ जोशी : मोस्ट वल कम ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बैठ जाइये । नये नये आये हैं, आपको मालूम नहीं सदन में ज्यादा बोलते हैं उनकी गत बनती हैं ।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : सदन में लेटिट्यूड दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उसका मतलब यह नहीं कि वे जैसा चाहें वैसा कह दें ।

श्री भैरोंसिंह : सदन में परंपरा निर्धारित है । जिसके लिये सीटें निर्धारित हैं वह वहीं पर बैठता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शुरू करें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, जोशी जी किसकी गत बनाना शुरू करूं आप बता दीजिये ।

कैप्टिन फतेहसिंह : जोशीजी से शुरू करें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कैप्टिन साहब कह रहे हैं जोशी जी से शुरू करो । आप शान्ति से बैठिये । नये नये आये हैं, नये नये मंत्री बने हैं ।

श्री **विशम्बरनाथ जोशी** : ओन पोइन्ट आफ ओर्डर सर, सदन में डाइरेक्ट रेफरेन्स प्रक्रिया और नियमों के विरुद्ध है । आसन को संबोधित करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : सीधी बात चीत नहीं करें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय पिछले 13, 14 साल का इतिहास राजस्थान का यदि उठा कर देखें तो सन् 54 के बाद राजस्थान की इस विधान सभा में मंत्री-मंडल के सदस्यों के ऊपर जितने आरोप लगाये हैं अब तक उनमें से एक की भी जांच नहीं कराई । एक भी मंत्री की जांच आपने अब तक नहीं कराई । कहने को तो सुखाडियाजी कह सकते हैं कि मैंने अपने रिश्तेदारों को जमीन देने के मामले की जांच करवाई । सोना कांड की जांच कराने के लिये मैंने खुद ने लिखा सेन्टर को कि सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स की मार्फत जांच करवाई जाय । सुखाडिया जी इसके लिये गृह मंत्री जी को लिख देते हैं, चाहे वे जांच कराने का नाटक ही करते हों । हाई कोर्ट के जज के द्वारा जांच नहीं करवा कर रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर द्वारा जांच करायेंगे लेकिन जनता में एक प्रकार की भावना पैदा करेंगे कि मैं जांच करने को तैयार हूं । लेकिन मंत्रियों पर आरोप हैं उनकी जांच वे नहीं कराते लेकिन इन सब की फाइल बना कर रखते हैं । इन मंत्रियों पर आरोप लगते रहें और वे फाइल बनाते रहें । कोई मंत्री उनसे अकड़े तो उसकी फाइल उसके सामने खोल कर रख देते हैं सारे मंत्रियों पर आरोप हैं लेकिन कोई खड़ा होकर नहीं कहता कि उसकी जांच करवाई जाय, मेरी जांच कराई जाय । सुखाडिया जी मास्टर ट्रिक खेल रहे हैं, उनके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो झट कह देते है कि मैं जांच करवाने को तैयार हूं । लेकिन मंत्रियों पर आरोप लगाये जायें, कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों पर आरोप लगाये जाते हैं तो उनकी जांच नहीं करवा कर फाइल खुलवा देते है, चाहे हरदेव जी जोशी की जमीन का मसला हो, जयपुर से 5, 6 मील की दूरी पर सांसियों और कंजरों की जमीन दबा ली, सदन में आरोप लगाये पर जांच का नाम नहीं । बालकृष्ण जी कौल द्वारा शराब के ठेकों में गड़बड़ कराने के आरोप लगाये लेकिन जांच कराने का कोई नाम नहीं । अमृतलाल यादव का मामला उठाया लेकिन आज तक जांच नहीं करवाई । बृजसुन्दर जी का मामला है लेकिन उनकी आज तक जांच नहीं करवाई । एक एक मंत्री के लिये सप्रमाण आरोप लगाये लेकिन जांच नहीं करवाई क्यों कि जांच करवाने पर आरोप साबित हो गये तो मंत्रियों के स्वाभिमान पर आंच आएगी इसलिये उनकी फायलें बनाकर रख छोड़ी हैं ताकि वे सुखाडिया जी से दबते रहें और वे कहते रहें हुक्म है शाह कलन्दर का कि बैठा दुम हिलाया करे ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज राजस्थान कांग्रेस की हालत क्या है ? आज किसी कांग्रेसी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन कोई महिला नहीं कह सकती कि उसको केबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाय। आज शिड्यूल्ड कास्ट का कोई केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है, पिछड़ी हुई जातियों को कोई प्रति निधित्व नहीं दिया गया है लेकिन कोई कहने की हिम्मत नही कर सकता कि हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है। यदि वे कहें कि केबिनेट लेवल का मंत्री लिया जाना चाहिये तो कह देते हैं कि ले तो लिया है मीखा भाई को। लेकिन मीखा भाई क्या कर सकते हैं ? यदि वे जाकर सुखाडिया जी को कहें तो वे कह देते हैं कि आपके खिलाफ तो शिकायत है किसकी शिकायत है यदि वे पूछें तो कह देते हैं कि फोरेस्ट रोजन में 2 लाख रुपये लिये हैं एक एम एल. ए. ने शिकायत की है, जी. ए. डी. में फाइल खुल गई है। यह सुन कर मीखा भाई वापिस लौट आयें, बोल नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, एक एक व्यक्ति के बारे में यहां पर आरोप लगाये, मंत्रियों पर आरोप लगाये पर कोई जांच नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा कोष के नाम पर धन राशि इकठ्ठी की गई, लेकिन उसका ये कोई हिसाब नहीं। करोड़ो रुपये इकट्ठे किये गये आज उदयपुर में कोई हिसाब नहीं ? कितना सोना इकट्टा किया गया ? क्या राजस्थान गवर्नमेंट सोने का हिसाब दे सकती है ? कोई हिसाब नहीं दे सकती डिफेन्स बोन्ड के बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुरक्षा के लिये इकट्ठा किये गये सोने ओर धनराशि को भी सरकार और उसके अन्य व्यक्ति खा जायं, दुरुपयोग करें, घोटाला करें इससे ज्यादा पाप अन्य हो नहीं सकता। राजस्थान सरकार में सुरक्षा के पैसे का दुरुपयोग इस कदर हुआ कि कहने की बात नहीं। क्या हुआ अलाउद्दीन खिलजी का ? क्या हुआ केलक्टर झुंझुनूं का जिसके खिलाफ डिफेन्स फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है ? कहां है जांच रिपोर्ट ? कहां है उसका डिसमिसल ? वह आज भी कलेक्टरी कर रहा है। सुखाडियाजी के राज्य में डिफेन्स फंड का पैसा खा जाय, चार्ज शीट दे दिया जाय, केस साबित हो जाय लेकिन कलेक्टर के पद से वह तब तक नहीं हट सकता जब तक सुखाडिया जी मौजूद हैं। जब तक सुखाडिया जी मौजूद हैं तब तक अलाउद्दीन मोजूद है चाहे कांग्रेस के भूत-पूर्व प्रधान हरलालसिंह जी कह दें, चार्ज शीट देदी जाय लेकिन जब तक सुखाडियाजी का वरद् हस्त उस पर मौजूद है तब तक अलाउद्दीन खिलजी सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं जन संघ के नेता भैरोंसिहजी ने सदन में हथियारों का प्रश्न उठाया था। कितने ऑफिसर फंसे हैं उसमें ? 18 आई. ए. एस. के कलेक्टर और 18 आई. पी. एस. के एस. पी. पुलिस के अधिकारी। राजस्थान में जो 26 जिले थे उनमें से 18 जिलाधीश और 18 एस. पीज. जिनका दोष साबित हो गया है। क्या राज्य सरकार कह सकती है, मैं डी. आई. जी. की बात नहीं कहता, मैं तो आई. ए. एस. और आई.पी.एस. की बात कह रहा हूं कि उन अठारह आई. ए. एस. और 18 आई. पी. एस. व्यक्तियों में से कितनों को सस्पेन्ड किया है, कितनों को चार्ज शीट देदी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इमने तो आपको एक स्केण्डल दिया लेकिन आप उनको प्रमोशन दे रहे हैं। सुखाड़ियाजी पूछते हैं, तुमने क्या किया ? बोले, हथियारों में घोटाला कर दिया। अच्छा तुम्हारी पोस्ट में प्रमोशन कर दिया। पहले क्या थे और अब सुखाड़ियाजी ने क्या बनाया ? जो अब तक सेक्रेटरी थे उनको अब कमिश्नर बनाया जा रहा है, किसी की पोस्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसको पहले साढ़े बाईस सौ मिलते थे उसको अब साढ़े पच्चीस सौ दिये जा रहे हैं। सुखाड़िया जी के राज्य में तो जो भ्रष्टाचार करें, जो गबन करें उसको प्रमोशन दिया जायगा। कितने ही ऐसे केसेज आर. ए एस., आर. पी. एस., आई. ए. एस. और आई. पी. एस के हैं। अध्यक्ष महोदय, सुखाड़िया जी ने यह हालत पैदा कर दी है, इन सारे मसलों को मैं इस सदन के सामने नहीं लाना चाहता था। लेकिन जो व्यक्ति सुरक्षा कोष की 11 सेर चांदी खा गया और 11 सेर चांदी जिसने गायब कर दी उसको सुखाड़ियाजी ने पूछा––तुमने क्या किया ? कहा कि चांदी गायब कर दी। उसको कहा अच्छा तुम मंत्रिमंडल में आ जाओ। यदि कोई सुरक्षा कोष की चांदी गायब करें तो उसको मंत्रिमंडल में ले लिया जाता है · · ·

श्री खेतसिंह : कौन है।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : जो पहले सेक्रटरी थे उनको अब फाइनेन्स कमिश्नर बना दिया। पहले जो सेक्रेटरी थे उनको अब होम कमिश्नर बना दिया। जो पहले सेक्रेटरी थे साढ़े बाइस सौ की ग्रेड में उनको अब साढ़े पच्चीस सौ की ग्रेड में अपग्रेड कर दिया। जो जितना करप्शन करे उसका उतना प्रमोशन राजस्थान में किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह सारे करप्शन के इतने गम्भीर मसले हैं जिनके बारे में केन्द्र यदि पूछता है कि हम लोकपाल की व्यवस्था करें और राज्य सरकार के विचार जानना चाहें तो राज्य सरकार उस पर मौन साध कर बैठी है। अभी पिछले दिनों गुलजारी लाल नन्दा जयपुर में आये थे और उन्होंने भाषण दिया कि मैंने भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की लेकिन मैं मिटा नहीं पाया। आज अरबों रुपया हमारे प्लान पर खर्च किया जा रहा है लेकिन उसका पूरा फायदा जनता को इसलिये नहीं मिला क्योंकि पच्चीस प्रतिशत का घोटाला होता आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, नन्दा जी ने प्रतिज्ञा की थी भ्रष्टाचार को मिटाने की लेकिन वह भ्रष्टाचार को तो नहीं मिटा सके वह खुद ही मिट गये, वह खुद ही चले गये। अब प्रतिज्ञा की है हमारे गृह मंत्री जी ने श्री दामोदर लाल जी व्यास ने प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है। मालपुरा में उन्होंने भाषण दिया था कि मैं राजस्थान में से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कृत-संकल्प हूं। आप बताइये, कितने मामले चाहिये। कौन कौनसे मामले आपको चाहिये ? लेकिन आप क्या करेंगे ? अभी तक इस संकल्प को पूरा करने के लिये आपके पास कौनसा कानून है जिस कानून के आधार पर आप मंत्रियों के मामलों को रजिस्टर कर सकते हैं ? आपके यहां पर पब्लिक मैन की एन्क्वायरी के संबंध में कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। राज्यपाल ने इस संबंध में तो ऑर्डिनेस जारी कर दिया कि नये मंत्रियों के लिये व्यवस्था नहीं है, इसलिये स्टेट मिनिस्टर्स को, डिप्टी मिनिस्टर्स को और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी को इतने हजार की तनख्वाह दी जायगी, किसी को साढ़े सात सौ,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसी को हजार, किसी को सवा ग्यारह सौ और मकान भता और टेलिफोन आदि लिये जैसा सरकार चाहे वैसी व्यवस्था कर दी। लेकिन पब्लिक मैन की इन्क्वायरी के संबंध में कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेन्ट है जिससे ऐसा ऑर्डीनेंस जारी किया है जिसके अन्तर्गत विधान सभा के सदस्यों के खिलाफ भी जांच की जा सकती है। आज बिहार में एक कमीशन बैठा दिया गया। पिछले पांच साल के मंत्रियों, कृष्ण वल्लभ सहाय और भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ सौ पृष्ठों की चार्ज शीट बना कर बिहार गवर्नमेन्ट को दी गई और उसमें कृष्ण बल्लभ सहाय और साथियों पर अभियोग लगाये गये हैं जिसके ऊपर वह हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई अब वह सुप्रीम कोर्ट में गये हैं...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बिहार तो चला जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिहार चला जाय या नहीं चला जाय, वहां पर सरकार हमारी बने या नहीं - इसकी चिन्ता नहीं है। राजस्थान में हमारी सरकार बने या नहीं बने इसकी चिन्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बने, या कल बने, दो साल बाद बने या चार साल बाद बने लेकिन मंत्रियों के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिये कमीशन बैठेगा और एक एक भ्रष्टाचार के मामले को निकाला जायगा क्योंकि इसके अन्दर कोई मियाद नहीं है। यह कोई सिविल सूट नहीं है जिसके अन्दर यदि तीन साल की मियाद निकल जायगी तो फिर हो नहीं सकेगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है, पन्द्रह साल पीछे नहीं हो पायगा तो बीस साल के पीछे हो जायगा। लेकिन आप कान खोल कर सुन लें, सुखाड़िया जी का राज्य आज है और कल नहीं हो सकता है। यह नहीं कह सकते कि उनका राज्य रहेगा। हिन्दुस्तान में यह हाल आज हो रहा है कि एक सरकार आज आती है और कल चली जाती है। आज बिहार में एक सरकार आई है तो कल वह जा सकती है और उसी तरह से राजस्थान में भी हो सकता है। आप क्यों चिन्ता करते हैं? आपका तो उसमें नम्बर आ नहीं रहा है। हम भले ही आप पर कृपा कर दें लेकिन इस राज्य में आपका नम्बर नहीं आ सकता है, अभी तो बाई जी बैठी हैं बीकानेर डिवीजन वाली। आपका नम्बर नहीं आने वाला है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने इस बात का ऑर्डीनेंस जारी नहीं किया कि आज राजस्थान में कोई एम. एल. एम. के खिलाफ कोई शिकायत हो, कोई मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत से तो उसकी एन्क्वायरी की जा सकती है। क्या आप 161 में कोई केस रजिस्टर कर सकते हैं, सेक्शन 5 में कोई केस रजिस्टर हो सकता है। आपके पास कौनसा कानून है? आप कहते हैं कि रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी को पकड़ लिया। हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। मैं अदालत में देखता हूं, कोई आठ आने का केस है तो कोई एक रुपया का केस है, कोई डेढ़ रुपये की रिश्वत का केस है, तो कोई आठ रुपये का केस है। आज डेढ़ रुपये से लेकर सौ रुपये के ऐसे केसेज अदालतों में आते हैं और उसके लिये आपका जज होता है, पब्लिक प्रासीक्यूटर होता है और उसके दो दो साल तक मुकदमे चलते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिसमें आठ आने का रिश्वत का मामला है। मैं मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक पानी की टंकी है छत पर, उसमें जहर मिला हुआ है और नल में से वह पानी होकर आ रहा है तो क्या उसको आप कपड़े से छान लेंगे तो उसमें से जहर मिट जायगा? मैं कहता हूं कि उसके लिए आपको पानी की टंकी को साफ करना होगा। इसलिए पटवारी को पकड़ लेने से या कानूनगो को पकड़ लेने से या गिरदावर को पकड़ने से आज काम नहीं चलेगा, आपको जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके खिलाफ मुकदमे चलाने पड़ेंगे। आपको इस पानी की टंकी को साफ करना होगा तब जाकर कहीं भ्रष्टाचार मिट सकता है, नहीं तो नहीं मिट सकता। अध्यक्ष महोदय, आज हालत क्या है? इसके बारे में कोई ऑर्डिनेन्स नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज राजस्थान में जनता इसके कारण परेशान है। आप आज विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट देखिये, विजिलेन्स कमीशन की जो पिछली रिपोर्ट है उसमें कितने मामले आये और इसके अलावा कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से मामले इस सदन में आये मैं उन सबको दोहराने में सदन का समय नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, कल ही एक मसला आया था, मैंने मंत्री महोदय के बारे में जिक्र किया था। कल एक मामला आया था दलित वर्ग संघ के संबंध में, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय के खिलाफ केस बनता है। अब मंत्री जो सरकार में आते हैं वह किन किन क्वालिफिकेशन के कारण मंत्री मंडल में आते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राजस्थान में एक बड़े भारी अधिकारी थे, उनकी काफी योग्य और बुद्धिमान पत्नी थी, उनका काफी आदर किया जाता है और उनकी काफी इज्जत है, स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी उनका आदर किया करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में मंत्रियों की क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। उन्होंने उस पुस्तक को लिखने से पहले राजस्थान में और हिन्दुस्तान में दौरा किया था और हिन्दुस्तान के दौरे में आजादी के पहले और आजादी के बाद में जो नक्शा देखा है उसका उन्होंने उस पुस्तक में उल्लेख किया है। उसमें से केन्द्र के मंत्री का उदाहरण न देते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार का आचरण है उसमें मंत्रियों के बारे में, किस प्रकार की जानकारी दी है मंत्रियों के बारे में कि वह मंत्री मण्डल में कैसे शामिल होते हैं और उसका क्या आधार है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन हैं। इसके लिए उसमें एक रेलेवेन्ट पैराग्राफ है राजस्थान का। अध्यक्ष महोदय, आपका काफी साहित्य पढ़ा हुआ है, उसके बारे में आप जानते होंगे। उसकी किताब का नाम है चैलेंजेज आफ इंडिया बाई ताया जिल्किन। इसके पेज 68 पर लिखा हुआ है। उन्होंने पूरे राजस्थान का दौरा किया, सब जगह राजस्थान में गई, गांवों में गई और जगह जगह गई, वह मंत्रियों से परिचित थीं, इसका उसमें उन्होंने हवाला दिया है। मैं रेलेवेन्ट 6-8 लाइन सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं। अब वह किसके लिए है, वह आप समझ लीजिये सुन कर, मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा कि किसके लिए लिखा है:

"As the driver was unburdening his indignation against minis-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ters, he kept pointing to handsom and expansive residences which, he told me, belonged to ministers and ex-ministers who could only have built them out of the illicit gains since they had entered politics without any private means. What particularly shook me was when the driver pointed to a two-storey bungalow, saying it belonged to an ex-minister whom I had known when he had been in office and he struck me as dedicated and honest, perhaps because of his untouchable background. He had been forced to resign after the police had found opium being smuggled by him in his car, and the driver told me that the only reason why he was not forced to be surrendered the house was that his wife, who was reported to be the mistress of a Delhi minister, had got her lover to intercede."

अध्यक्ष महोदय: अब यह किताब है ····

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** : ड्राईवर की एवीडेंन्स है ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं सारी एवीडेंसेज तो आपके सामने नहीं रख रहा हूं। आप कहें तो सदन के किसी सदस्य को पेश कर दूं अगर कुछ कार्यवाही करें ।

अध्यक्ष महोदय, जानते आप भी हैं, किसी को शुबह नहीं है, कहलवाना हो, वह और बात है ।

सवाल इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, कि आज ऐसी इस पुस्तक का कोई प्रतिवाद है क्या ? सरकार ने इस पुस्तक को प्रोस्क्राइब नहीं किया है, इसको जब्त करने के कोई आदेश नहीं दिये हैं । यह हिन्दुस्तान के एक सीनियर भूतपूर्व आई. ए. एस. ऑफीसर की पत्नी ने लिखी है, जिनके अपने ताल्लुकात, सम्बन्ध आने जाने के, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के साथ रहते थे, उनसे बात चीत करती थी, इतनी वह रेपुटेशन रखती थी, उनकी लिखी हुई यह पुस्तक है ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा के बैठे बैठे ही कुछ बोलने पर)

कौन पूछने वाला है गोकुल प्रसादजी, यह सरकार किसकी सुनती है, सरकारी गाड़ियों का सवाल सदन में आया, मंत्री की गाड़ी से किसी नागरिक को मार दिया, उसका सवाल यहां सदन में उठाया गया, कोई केस रजिस्टर नहीं होता है, कानून बना हुआ है कि सरकारी गाड़ियों को मंत्रियों के संबंधी नहीं चला सकते, क्या सरकार की नई गाड़ी को अमृतलालजी के दामाद ने ड्राइव नहीं किया? किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, कोई कार्यवाही नहीं की । मंत्रियों के रिश्तेदार सरकारी गाड़ियों को चलाते हैं, ऐरे गैरे उनमें घूमते हैं और एक्सीडेंट होते हैं पर कोई कार्यवाही नहीं होती ।

मैं अभी निवेदन कर रहा था, एक उदाहरण तो यह दिया कि क्या क्वालिफिकेशन है मंत्री मण्डल में आने की ·· ···· ····

(4. 44 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

सुखाड़ियाजी को आदमी ऐसे चाहिये, ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, समय थोड़ा है और कहना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बहुत है इसलिये मंत्री-मण्डल के गठन के बारे में पहले बता देता हूं, अब आप ही सोच लीजियेगा कि वे कौन हैं, वह घटना एक मंत्री के मामले में है 'Minister' includes State Minister, Deputy Minister and Parliamentary Secretary. यह नियमों में व्यवस्था है, इसलिये मंत्री का मामला, यह शब्द इस्तेमाल में लेता हूं। अजमेर जिले में नसीराबाद है, उस केन्टोनमेंट पर वह मंत्री महोदय पहले सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर थे। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में इन्स्पेक्टर थे तो कैन्टीन में चैकिंग करने गये और वहां जाकर केन्टीन वाले से कहा कि बताइये लाइसेंस कहां है, उसने कहा कि लाइसेंस नहीं है तो कहा कि 500) रु. रिश्वत दो, उसने कहा नया हूं, 500 रु. नहीं दे सकता तो कहा कि 400) रु. दे दो, उसने कहा कि 400 भी नहीं दे सकता तो उन्होंने कहा कि 300) रु. दो उस पर उसने कहा कि मैं 300 भी नहीं दे सकता तो 200) रु. तय हुए, कैन्टीन का मैनेजर टालता रहा, उस मैनेजर ने अपने मालिक को जो दिल्ली में था टेलीफोन किया, उसने उसको दिल्ली में इत्तिला की, इस पर कैन्टीन का मालिक दिल्ली से आया और डी. वाइ. एस. पी. अजमेर के पास उसने शिकायत की, बात चीत करके 200 के नोटों पर दस्तखत किये और 10, 10 के बीस नोट दस्तखत करके डी. एस. पी. ने दिये। कैन्टीन के मैनेजर ने दस्तखत शुदा 200 के नोट लेकर सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर को इत्तिला की कि 200 रुपये ले जाइये तो सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर ने कहा कि मैं तो कालेज में पढ़ता हूं, 200 रुपये लेकर वहीं आ जाना। मैनेजर वहां गया और उसने सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर को 200 रुपये रिश्वत के दिये, सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर ने 200 रुपये रिश्वत के ले लिये और रेड हैन्डेड पकड़े गये, इन्स्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा अदालत में चला, गवाहों के बयान हो गये, मौतबिरों के बयान हो गये और मुकदमा साबित हो गया, 200) रु. रिश्वत लेने का अपराध साबित होने पर कोर्ट ने 18 महीने की सजा दे दी। अपील में सेशन कोर्ट में गये, कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की मन्जूरी नहीं ली गई है। सरकार के पास मंजूरी के लिये लिख कर भेजा, सरकार ने कागजों को डेढ़ साल तक दबा कर रखा। पूरे डेढ़ साल बाद चालान हुआ, फिर कन्विक्शन हुआ डेढ साल की सजा हुई, भारतीय दण्ड विधान की दफा 161 और दफा 5 करप्शन एक्ट के तहत डेढ़-डेढ़ साल की सजाएं हुई। फिर हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने कहा कि सारा रिश्वत का मामला साबित है, 200) रु. की रिश्वत का मामला साबित है, हाई कोर्ट ने अपील नामंजूर की और डेढ़ साल की सजा नीचे के स्पेशल जज ने दी थी उसे बहाल रखा लेकिन कहा कि इसने अपने आपको सुधार लिया है, आयन्दा के लिये अच्छे कन्डक्ट का भरोसा दिला रहा है इसलिये जितनी सजा जेल में काट ली उस ही को मान लिया जाय और छोड़ दिया जाय।

ऐसा कौनसा आदमी है जिसको मैं मंत्री-मण्डल में लूं, सुखाड़ियाजी को मालूम पड़ा कि ऐसा फैसला हुआ है हाई कोर्ट ने सजा बहाल रखी है स्पेशल जज ने जो डेढ़ साल की सजा दी उसको हाई कोर्ट ने बहाल

Page No.119

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रखा है, कौन ऐसा है, वही सबसे ज्यादा योग्य है मिनिस्टरी में लेने के लिये और सुखाड़ियाजी ने उनको मंत्री-मण्डल में ले लिया और आज वे सजायाफ्ता भूतपूर्व सेल्स इन्स्पेक्टर साहब राजस्थान के मंत्री-मण्डल की शोभा बढ़ा रहे हैं।

अब सभापति महोदय, आप समझ गये होंगे कि मैं किनके लिये कह रहा हूं, यह हाई कोर्ट का फैसला है......

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : वह तो 9 रत्नों में से एक हैं।

एक माननीय सदस्य : कौन ?

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : जसराज।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : He was your Chief Whip. What do you say

आपने अपना चीफ व्हिप बना रखा था।

श्री **विजयसिंह** (नसीराबाद) : चीफ व्हिप मैं था और अब भी मैं हूं। वह चीफ व्हिप नहीं था, व्हिप भी नहीं था।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : जिनका आपोजिशन ने संयुक्त रूप से डिप्टी स्पीकर की आगस्ट पोस्ट के लिये पुट अप किया, उस समय आपका स्टेन्डर्ड कहां चला गया था ?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं तो जोशी जी से पूछ रहा हूं, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या रह गया है ......

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : आप जिसके बारे में कह रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आपने उसको टिकट कैसे दिया, चीफ व्हिप कैसे बनाया, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिये संयुक्त रूप से उसका नाम कैसे दिया ?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप समझ तो गये न कि मैं किसके लिये कह रहा था ?

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : You can very convenienty forget your own character and conduct.

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिये अपोजिशन ने क्यों नॉमिनेट किया। यह फैसला परसों ही हाई कोर्ट से आया है, इसलिये हम कह रहे हैं कि ऐसा आदमी मंत्री-मण्डल में बैठा हुआ है आपकी तरफ बैठा हुआ है, आप हमारे किसी एक भी विरोधी पक्ष के सदस्य के लिये इस तरह का चार्ज साबित कर दीजिये हम उसे अपने दल की सदस्यता से तो दूर करेंगे ही विधान सभा की सदस्यता से भी हटा कर दूर करेंगे।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : फैसला उस समय नहीं था क्या ? Where were you that day ?

श्री **विजयसिंह रावत** : सुबह मेजर फतेहसिंहजी ने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी को गलत बयानी कर के गुमराह किया था कि मुझे तो 10 साल पहले सजा हुई थी। अगर हमें पता होता तो उसे टिकट नहीं देते। अब यह फैसला आ गया है। और यह सब मामला सदन में रख दिया है, क्या आप उसे हटाने को तैयार हैं ?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह सैशन जज, अजमेर का जजमेंट 30—31 पेज का है, इसके कुछ पोर्शन मैं पढ़ कर सुना देता हूं :

"The result is that accused Jasraj son of Keshoram is convicted of

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

the offence under section 161 I. P. C. and sentenced to one and a half year's rigorous imprisonment. Jasraj is also convicted under section 5 (1) (d) punishable under section 5 (2) of the Act and sentenced to one and a half year's rigorous imprisonment ?

सभापति महोदय, कांग्रेस पक्ष की ओर से यह दलील देना कि ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया, उपाध्यक्ष के पद के लिये क्यों खड़ा किया ? मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अभी हाई कोर्ट की पेशी के समय कुछ हमारे सदस्य जोधपुर गये हुए थे तो वहां उन्हें पता चला कि इस प्रकार का हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है, तब हाई कोर्ट से इस फैसले की कापी ली गई। आप हमारे किसी भी सदस्य के लिये इस प्रकार का हाई कोर्ट का जजमेंट दीजिये हम एक मिनिट के लिये भी उसे नहीं रखेंगे। पर यह सितम्बर 65 का फैसला है क्या आप आज ही उसे मंत्री मण्डल से बर्खास्त करेंगे, क्या राजस्थान के मंत्री-मण्डल से बाहर करेंगे ? क्या आप इस प्रकार का कमिटमेंट दे सकते हैं ?

यह तो हाई कोर्ट का, सेशन जज का फैसला है, क्या कन्डक्ट है, उसका और क्या कन्डक्ट है आपका कि इसकी जानकारी देने के बाद भी आप उसे मंत्री-मण्डल में बनाये रखते हैं।

हमारे कई माननीय सदस्य इलेक्शन पिटीशन के सिलसिले में जोधपुर गये हुए थे तब पता चला, गुमानमलजी ने परसों ही हाई कोर्ट से इसकी सर्टिफाइड कापी ली है, कल मुझे यह कापी मिली सवाल यह है कि हाई कोर्ट से फैसला दिया गया, सेशन्स के फैसले को बहाल किया गया हाई कोर्ट द्वारा, उसको भी डिफेन्ड करने की हिमाकत मंत्री-मण्डल में बैठ कर करते हैं, ऐसे करप्ट आदमियों को मंत्री-मंडल में रखा जाता है तो क्या आशा रखी जाय राज्य के मंत्री-मण्डल से कि आप राजस्थान से करप्शन को मिटाने का प्रयास करेंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, सभापति महोदय, राज्य के मंत्री मण्डल पर आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति जिसके लिये हाई कोर्ट ने फैसला किया, उसको मंत्री-मण्डल में लिया। आप अपनी दलील दे रहे हैं, जिसे फैसले का हवाला दे रहे हैं, उन जसराज को आपने अपनी पार्टी का चीफ व्हिप बना कर क्यों रखा ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मैंने कह दिया कि चीफ व्हिप तो मैं था और अब भी मैं हूं, वह चीफ व्हिप नहीं था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उस दिन यह फैसला कहां था ? उसके बाद आपने डिप्टी स्पीकर जैसे जिम्मेदार आसन पर चुनने के लिये विरोधी पक्ष की ओर से उन्हें संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया था, उस वक्त आपकी सारी जानकारी कहां चली गई थी, यह सारा स्टेन्डर्ड आपका कहां चला गया था ? इसका कोई जवाब है आपके पास, आप पहले अपना आचरण देखिये, आप अपने गिरेबान में मुंह डाल कर तो देखिये।

श्री विजयसिंह रावत : यह पोइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है, हमने पहले ही कह दिया कि परसों फैसले की कापी मिली है, वह चीफ व्हिप नहीं था, टिकट के समय उसने मुगालता दिया कि

(श्री विजयसिंह रावत)

मुझे सजा 10 साल पहले हुई थी फिर भी आप वही बार बार कह रहे हैं, इन मंत्रीजी की अकल भांग खा गई है क्या ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपका चेहरा शीशे में दिखाया जाता है तो यही कहेंगे···

श्री विजयसिंह रावत : हमने एक दफा कह दिया है, वह आदमी जब सजा भोग चुका था तो उसने हमको गुमराह किया कि मुझे 10 साल पहले सजा हुई थी । हमने गलती मान ली पर तुमने कैसे गलती की, अब मालूम पड़ा है तो कह रहे हैं कि सजायाफ्ता है अब निकालो उसे । मैंने कितनी दफा कह दिया कि चीफ विप नहीं था वह, चीफ विप मैं था और अब भी चीफ विप मैं हूं । हमने एक दफा गलती कर दी पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी वह गलती करे । मैं कुए में कूद गया तो जोशीजी भी उस ही कुए में कूदें जिसमें मैं कूदा ।

यदि विरोधी पक्ष वाले कुए में गिरते हैं तो क्या तुम भी गिरने के लिए तैयार हो ? हमने अपनी आंख फोड़ ली तो तुम भी फोड़ोगे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : लेकिन दूसरे के बारे में आंख क्यों उठाते है ? आपको अधिकार नहीं है ।

श्री विजयसिंह रावत : तुम पर उत्तरदायित्व ज्यादा है । आप आपत्ति करने वाले कहां से आ गए ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : It does not lie in your mouth to raise objection.

श्री भैरोंसिंह : जो विवादास्पद मामला है यह केवल आरोपों और प्रत्यारोपों से निपटने वाला नहीं है । प्रश्न इस सदन की व्यवस्था का है । आज राज्य मंत्री जो कुछ कह रहे हैं कि विरोधी दल के अन्दर वह चुनकर आए, उसको डिप्टी स्पीकर के पद के लिए खड़ा किया । मैं कानून पढ़ा हुआ नहीं हूं, वह स्वयं पढ़े हुए हैं, वकील भी हैं । अगर विरोधी दल में कोई सदस्य चुनकर आ गया या हमने खड़ा कर लिया तो कानून के दायरे से चाहे वह कांग्रेस में चले गए या विरोधी दल में रहे, बचकर नहीं निकल सकता । यह आप मानकर चलें कि आपका जो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट है उसमें डिस्क्वालीफिकेशन का प्रावधान है जिसमें साफ लिखा है कि एक आदमी यदि दो साल की सजा भुगत चुका है और अमुक समय के अन्दर चुनाव लड़ता है तो उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है लेकिन यहां पर कानून में आगे चलकर अड़चन पैदा करें कि इस आदमी ने दो साल सजा नहीं भोगी लेकिन उसी एक्ट में यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति करप्शन के मामले में बरखास्त हो जाय और बरखास्तगी के 5 वर्ष के अन्दर इलेक्शन कान्टेस्ट करे तो वह डिस्क्वालीफाई हो जायगा । मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जिस राज्य मंत्री या संसदीय सचिव का उल्लेख किया जा रहा है वह 1965 में राज्य सरकार की सेवा से बरखास्त हुए हैं, अभी 5 वर्ष का समय नहीं निकला है और इस कारण आप चाहे विरोधी दल पर आरोप लगावें चाहे कांग्रेस पर आरोप लगायें, कानून के अनुसार आप उनको रख नहीं सकते, उनको सदन से बाहर जाना पड़ेगा । उसकी प्रक्रिया है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन को मूव किया जाय

(श्री भैरोंसिह)
सदन मूव करेगा या नहीं, लेकिन आप और सुखाडिया जी कितनी भी ताकत लगायें, जसराज विधान सभा में नहीं बैठ सकता है ।

श्री **विशम्भरनाथ जोशी** : जो जनता द्वारा चुनकर आए हैं और यहां बैठे हैं, बैठे रहेंगे। आप कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं ।

श्री **विजयसिंह रावत** : तुम्हारे घर का कानून थोड़े ही है जोशीजी ?

श्री **विशम्भरनाथ जोशी**: जिस माननीय सदस्य के बारे में कहा जा रहा है, उनको कांग्रेस ने नहीं बल्कि विरोधी पार्टी ने खड़ा किया ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : व्यवस्था का सवाल है ।

श्री **विशम्भरनाथ जोशी** : विरोधी दल ने लाकर उनको बिठाया, कांग्रेस ने नहीं, इस बात को नजरंदाज नहीं कर सकते ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आगे बोलूं इससे पहले मेरी व्यवस्था का निर्णय किया जाय जिससे कि वह भाषण में इतनी ज्यादा बाधा उपस्थित न करें । एक परम्परा का सवाल है आज केबीनेट लेविल के तीन मंत्री हैं । मैं समझता हूं उनके होते हुए एक जूनियर मिनिस्टर, जो नया है और नौसीखा है, उनको संसदीय परम्परा के अनुसार बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए ।

श्री **विशम्भरनाथ जोशी** : पाइंट आफ आर्डर सर, नियमों का हवाला ··

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जिस राज्य मंत्री को इतनी अकल नहीं है कि पाइंट आफ आर्डर में दूसरा पाइंट आफ आर्डर नहीं उठता उसको कैसे बोलने की इजाजत है ?

श्री **सभापति** : पाइंट आफ आर्डर, एक पोइंट आफ आर्डर जो चल रहा है उसको डिस्पोज आफ करने दें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पाइंट आफ आर्डर के बीच में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता । सभापति महोदय, इनको नियमों की किताब दीजिए और इनको डांट कर बतायें नहीं तो मैं नियमों को कोट करके प्रस्ताव करूंगा कि मेरे भाषण में निरंतर बाधा डालने के अपराध में श्री बी. एन. जोशी को निष्कासित किया जाय ।

श्री **विशम्भरनाथ जोशी** : करिए ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप चेयर के भ्रू मुझसे बातें करें, सीधी न करें । सभापति महोदय इनको नियमों की किताब बता दीजिए मेरा व्यवस्था का सवाल है । नियमों में मिनिस्टर की जो डेफीनेशन है वह संशोधन के लिए सदन के सामने आएगी और जब तक सदन में स्वीकार नहीं होगी तब तक नियमों में संशोधन नहीं होगा और तब तक राज्य सरकार की ओर से मिनिस्टर इनक्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर । सरकार की तरफ से उप मंत्री बोल सकता है, राज्य मंत्री या संसदीय सचिव नहीं बोल सकता, इनको सदन में बोलने का अधिकार नहीं है ।

श्री **विशम्भरनाथ जोशी** : पाइंट आफ आर्डर । मैं सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे रहा था । आइ एम आल्सो ए मेम्बर

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)
आफ दिस हाउस ड्यूली इलेक्टेड विधान सभा सदस्य की हैसियत से मेरा यह फंडामेन्टल राइट है।

कई माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिए।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : मैं जानकारी चाहता हूं सभापति महोदय कि जो सदस्य भाषण दे रहा हो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, वही सदस्य पाइंट आफ आर्डर उठा सकते है या नहीं।

श्री **सभापति** : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और उन्होंने मेरा रूल्स की ओर ध्यान आकर्षित किया है लेकिन जहां तक राज्य मंत्री का प्रश्न है, वह स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह मिनिस्टर की परिभाषा में आकर मिनिस्टर के अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे थे बल्कि साधारण सदस्य की हैसियत से बोल रहे थे। इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : उस बारे में क्लेरीफिकेशन दें कि एक सदस्य भाषण दे रहे हैं, वही पाइंट आफ आर्डर उठा सकते हैं या नहीं।

श्री **भैरोंसिंह** : आपका निर्णय तो हो गया कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह मंत्री की हैसियत से नहीं, एक सदस्य की हैसियत से। इसी संबंध में नियमों में व्यवस्था की गई है कि ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठकर कोई साधारण सदस्य किसी प्रकार की कोई बात सदन में नहीं कहे। इसी सदन में कई बार इस बात की व्यवस्था हो चुकी है, जिस सदस्य को जो सीट एलॉट की गई है, उस पर ही जाकर बोले, दूसरी सीट पर नहीं मेरे स्वयं के बारे में व्यवस्था हुई थी। अध्यक्ष ने कहा था कि अगर बोलना है तो अपनी सीट पर आकर कोई बात कह सकते हैं। तो जानकारी चाहता हूँ कि व्यवस्था केवल हमारे लिए है या ट्रेजरी बेन्चेज पर जबर्दस्ती जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उन पर भी लागू हो सकती है?

श्री **सभापति** : इस संबंध में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को वैसे अपनी सीट से ही बोलना चाहिये।

श्री **भैरोंसिंह** : आप अपने आदेश का पालन करवाइए।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : फ्लोटिंग दी चैयर इज ए सीरियस आफेंस।

श्री **सभापति** : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री **सभापति**: क्या सदन की इच्छा है....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आई विल कन्टीन्यू लेटर आन।

श्री **सभापति** : मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहूंगा कि बांसवाड़ा के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव आया है, उसके संबंध में वह स्टेटमेंट देना चाहेंगे ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** (राजस्व मन्त्री) : मेरे पास तैयार है।

श्री **सभापति** : तो क्या यह सदन की इच्छा है कि जब तक राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य समाप्त करें.....

कई माननीय सदस्य : आधे घंटे के लिए।

श्री **सभापति** : आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है।

(5 म. प.)

बांसवाड़ा जिले के अकाल पीडित किसानों से लगान व तकावी की एक मुश्त वसूली से सम्बन्धित विषय पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : सभापति महोदय, बांसवाड़ा से आये हुये माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव बांसवाड़ा जिले के अकाल पीडित किसानों से लगान व तकावी की एक मुश्त वसूली करने के सम्बन्ध में इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां भी अकालग्रस्त परिस्थितियां हैं वहां पर सरकार का रुख बहुत नरम रहा है। राज्य सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, उनसे लगान वसूली के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाते हुये आज्ञा संख्या 7 (86) रा। ग। 67 दिनांक 18-11-67 द्वारा लगान वसूली की एक साल प्रक्रिया निर्धारित की, जो इस प्रकार थी:—

(1) राज्य में किसी भी क्षेत्र में लगान की वसूली किसी अच्छी फसल के वर्ष में इस प्रकार की जायेगी कि किसी भी कृषक से दो वर्ष से अधिक का लगान एक साथ वसूल न हो।

(2) यदि किसी क्षेत्र में दो वर्ष लगातार अकाल की स्थिति रहे तथा उसके कारण लगान की वसूली स्थगित होने के पश्चात् तीसरे वर्ष अच्छी फसल हो तो वसूली निम्न प्रकार से होगी :—

(क) लगातार दो वर्षों तक अकाल की स्थिति होकर तीसरे वर्ष फसल अच्छी होने की अवस्था में तीसरे वर्ष का लगान यथावत् वसूल होगा।

(ख) तीसरे वर्ष की लगान वसूली के साथ अकाल के दूसरे वर्ष के लगान की भी वसूली की जावेगी।

(ग) अकाल के पिछले वर्ष के लगान की वसूली माफ करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधीश जांच करके नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) यदि किसी क्षेत्र में तीन वर्ष अकाल रहा हो और उनके कारण लगान की वसूली स्थगित होने के पश्चात् चौथे वर्ष में अच्छी फसल हुई हो तो वसूली निम्न प्रकार से होगी:—

(क) लगातार तीन वर्ष तक अकाल की स्थिति होकर चौथे वर्ष फसल अच्छी होने की अवस्था में चौथे वर्ष का लगान यथावत् वसूल होगा।

(ख) चौथे वर्ष के लगान वसूली के साथ अकाल के तीसरे वर्ष के लगान की भी वसूली की जायेगी।

(ग) अकाल के दूसरे वर्ष के लगान की वसूली माफ करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधीश जांच करके

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(घ) शेष अकाल के प्रथम वर्ष के लगान की वसूली स्वतः माफ मानी जावेगी।

(4) तकावी की वसूली के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण किया जावेगा :—

(क) किसी भी अच्छे वर्ष में कृषक से एक साथ दो से अधिक किश्त वसूल नहीं की जायेगी। यदि वह स्वेच्छा से किश्त देना चाहे तो उसे राज्य सरकार स्वीकृत करेगी। इन व्यक्तियों से दाण्डिक ब्याज, पैनल इन्टेरेस्ट वसूल नहीं किया जावेगा।

(ख) जिन लोगों में पुरानी तकावी की वसूली बाकी हो और जिन्होंने बीच में अच्छी फसल आने पर भी उसकी अदायगी नियमानुसार नहीं की हो, उनसे अधिक से से अधिक तीन किश्तों की वसूली एक साथ की जावे। ऐसे व्यक्तियों से दाण्डिक ब्याज एक मुश्त वसूल किया जावे।

जिन जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है, तथा जहां आदिवासी काश्तकारों की बस्ती ज्यादा है, जैसे कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर वहां के काश्तकारों को राहत देने के लिये तथा सुविधानुसार पिछले वर्ष का लगान जमा कराये जाने के लिये दो किश्तों में वसूल करने के लिये निर्देश दिये गये हैं जिसमें से पहली किश्त इस वर्ष की खरीफ की वसूली के साथ होगी तथा दूसरी किश्त 31 मार्च सन् 1968 से पूर्व ली जायगी। तहसील कुशलगढ़ की तारीख 13-1-68 की कोई इस प्रकार की मारपीट की घटना होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश, बांसवाड़ा से बात हुई। उन्होंने भी कोई इस प्रकार की सूचना अपने पास होना जाहिर नहीं किया। उन्हें ये आदेश दिये गये हैं कि यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो फौरन जांच करके रिपोर्ट दी जावे। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जरूर मुकम्मिल कार्यवाही की जावेगी जिससे सदन को सन्तोष होगा।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : सभापति महोदय, जो बताया गया है कि 3 साल लगातार अकाल होने पर और चौथे वर्ष अच्छी फसल होने पर दो साल की वसूली की जायगी, ठीक है-यह जो आपका कानून बना है लेकिन बांसवाड़ा जिले में 4 वर्ष से लगातार अकाल पड़ते आ रहे हैं। अब इस साल भी रबी की फसल में मक्के व ज्वार में इल्लड़ी जानवर पड़ने के कारण पचास प्रतिशत नुकसान हुआ है और पचास प्रतिशत नुकसान होने के कारण वहां के किसान आज दो साल की लगान, तीन साल की तकावी, एक साल का सहकारी समिति का कर्जा और अन्य व्यापारियों का कर्जा एक मुश्त कैसे दे सकता है। पचास प्रतिशत फसल पकने के बाद दो साल का कर्जा एक साल में वसूल नहीं हो सकता

(श्री विट्ठल भाई)
इसलिये हमने स्थगन प्रस्ताव रखा है और राज्य सरकार को हमने समय पर सूचित किया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह आदिवासी इलाका है। उस इलाके के सभी ऐसे काश्तकार हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हुये लोग हैं। पिछड़े हुये लोगों के कारण और 4 साल के अकाल के कारण उनकी स्थिति बिलकुल खराब हो चुकी है। दो साल का लगान आप उनसे मांगें, यह आपका कानून बना हुआ है, ठीक है लेकिन तीन साल की जो तकावी, किसी के 1,000 किसी से 800 और किसी के 1,200 एक मुश्त तहसीलदार लोग वसूल कर रहे हैं। वे पटवारियों को साथ में ले जाते हैं। पटवारी उनके साथ मार-पीट करके वसूल करते हैं। कोई काश्तकार जमा नहीं कराता तो यहां तक कहना चाहता हूं, सभापति महोदय कि ऐसे कई काश्तकार हैं आदिवासियों में जिन्होंने अपनी लड़की को बेचा (विरोधी पक्ष की ओर से शेम शेम की आवाज) हजार रुपये में, 800 रुपये में अपनी लड़कियों को बेचकर लगान चुकाया। 8-8, 10-10 वर्ष की लड़कियों को बेच दिया। उन्होंने शादी करके................

एक माननीय सदस्य : शादी करा दी होगी।

श्री विट्ठल भाई : मेरे पास सबूत हैं, मैं पेश कर दूंगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

श्री सभापति : श्री विट्ठल भाई। नाम बता दें, जानकारी हो जायगी।

श्री विट्ठल भाई : धानपुर में बारी गांव है लोचा नाम का आदिवासी है, सभापति महोदय। तहसीलदार और पटवारी लगान वसूल करने में इतनी सख्ती बरतते हैं, सभापति महोदय, उन्हें अपनी लड़की को बेचाना पड़ा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या नाम बताया?

श्री विट्ठल भाई : लोचा, धानपुर में है आज उसको अपने बच्चों को बेचना पड़ा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तकावी अगर तीन साल की वसूल करनी है तो आप करें लेकिन ऐसी सख्ती के साथ वसूल न की जाय। एक साल का जमा करा रहा है, एक साल का जमा कर लें। ब्याज चढ़ेगा तो उस पर चढ़ेगा लेकिन एक मुश्त तीन साल की वसूली नहीं होनी चाहिये। यह काम आप कलेक्टर को दें, सभापति महोदय, मैं इजाजत मांगता हूं। कलेक्टर इतनी सख्ती से और कम से कम आदिवासियों की इज्जत तो नहीं बिगड़ेगी लगान वसूल करने में। वे इतनी सख्ती तो नहीं करेंगे, सभापति महोदय, लगान अगर आता है दो साल का तो दो साल का ले लें। 2॥ साल का आता है, 2॥ साल का ले लें। आपने आर्डर निकाला है। पटवारी लोग तीन तीन साल का लगान वसूल कर रहे हैं। सभापति महोदय, मांग-पत्र पटवारियों के पास रखा है। इसलिये वहां की स्थिति को देखते हुए तकावी के लिये अविलम्ब मंत्री महोदय से कहूंगा इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिये जिससे कि यह एक साथ वसूल हो। इस साल हमारे यहां पचास प्रतिशत फसल हुई है। गत साल हमारे यहां मक्का का भाव बांसवाड़ा में साढ़े सात रुपये की बीस किलो था हमारा

(श्री बिट्ठल भाई)

इलाका मध्य प्रदेश की सरहद पर है जहां पर 11 रुपये की बीस किलो है जब कि हमारे यहां साढ़े सात रुपये की बीस किलो है। इतना सस्ता अनाज होने पर भी उनसे एक साथ तकावी की रकम वसूल करना आप समझते हैं यह उनके बूते की बात है क्या आप इसी तरह से आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं आप कहते हैं उसको अनाज बेचकर या अपने बच्चे बच्चियों को बेचकर तकावी का रुपया चुकाना होगा। मेरा आपसे कहना है कि यह रुपया आप एक मुश्त में मत लीजिये दो चार साल से लगातार जहां अकाल पड़ता आ रहा है आज भी पचास प्रतिशत फसल है फिर भी मैं विरोधी पार्टी में होते हुए वहां अकाल माना जाय यह हम कोशिश नहीं करते। अकाल नहीं मानते हुए भी गत सालों में जो अकाल पड़ा है उसको देखते हुए जो रवैया सरकार अपना रही है उसको कुछ ठंडा किया जाय तकावी एक किश्त में वसूल न की जाय बल्कि यह पांच किश्तों में वसूल की जाय यही मेरा निवेदन है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया है कि जहां आदिवासी एरिया है वहां दो किश्तों में वसूल करने की रियायत दी है। वहां पर इसकी वसूली के लिये मारपीट की जाती है औरतों को तहसीलदार पटवारी रात को 12 बजे तक घर से बाहर निकाल कर पीटते हैं यदि यह सही नहीं है तो आप जांच करवा लीजिये। आप इसकी इन्डाइरेक्ट जांच करवा लें कितनी औरतों की तहसीलदार पटवारी ने 12 बजे रात को पीटाई की और उनको रास्ते में लेजाकर छोड़ दिया उसके अलावा पचासों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया।

हरिया लूम्बाना की औरत को दस मील दूर भगाकर ले गये। चार औरतों के नाम देता हूं। मूटाबाडा डूंगरा कुशलगढ़ के पटवारी की यह घटना है। आप इस संबन्ध में कलेक्टर से जांच मत करवाइये विधान सभा के सदस्यों का एक कमीशन बिठाइये और उसमें चाहे कांग्रेस के ही ज्यादा सदस्य हों यदि मेरे लगाये हुये आरोप गलत निकल जायं तो मैं सदन से त्याग-पत्र देने के लिये तैयार हूं। आप हमारे द्वारा लगाये हुए आरोपों की जांच तहसीलदार, कलेक्टर द्वारा करवाते हैं उससे कोई सच्चाई मालूम नहीं होती है। वे लोग आदिवासियों की बेइज्जती करते हैं कलेक्टर उनको बचायेंगे इसलिये मेरा आपसे कहना है कि आप विधान सभा के सदस्यों का एक कमीशन बिठाइये और उसके द्वारा जांच करवाइये। अगर मेरे आरोप गलत निकलेंगे तो घर चला जाऊंगा।

लगान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है? लगान के लिये तीन साल के मांग-पत्र दिये जाते हैं। संवत् 23 और 24 के बजाय तीन साल के मांग-पत्र दिये जाते हैं उसके अलावा 6 रुपया अलग लिया जाता है अन्य के नाम से जिसका कोई नाम नहीं। आज रेवेन्यू विभाग में इस प्रकार का भ्रष्टाचार है कि तीन साल के मांग पत्र देते हैं तीन साल का लगान लिया जाता है और रसीद दो साल की दी जाती है। आपको मैं वे मांग-पत्र भी पेश करूंगा जिनमें तीन साल के मांगे गये हैं। पटवारी लगान लेने के बाद रसीद दो साल की देता है इसके लिये

Page No.128

(श्री हीराभाई)
वहां के लोगों की दरख्वास्त है वह भी मैं आपको सामने रख दूंगा। आपके टीनेन्सी एक्ट में कोई भी प्रावधान हो लेकिन वहां के गरीब लोगों की आर्थिक हालत को देखते हुए अकाल चार साल तक पड़ने के कारण उनसे लगान एक साथ वसूल करना यह उनके साथ भारी अन्याय है। आज वहां के आदिवासी की सालाना पांच सौ या सात सौ रुपया वार्षिक आमदनी है आपके अधिकारी उनसे तीन हजार डेढ़ हजार एक साथ वसूल कर रहे हैं इससे क्या होगा या तो वे अपनी जमीन बेचेंगे या अपने बेटे बेटियों को बेचेंगे ईसाई मिशनरियों को बेचेंगे उनकी गोद में रखेंगे। क्या आप इसी तरह से राजस्थान के आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं?

श्री सभापति : भाषण नहीं प्रश्न पूछिये।

श्री हीराभाई : क्या आप उनसे जमीन बिकवाकर या बच्चे बच्चियों को बिकवा कर वसूल करना चाहते हैं इसके अलावा उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं।

उंटावाडा गांव की थावरी पत्नी लक्मी वजीरा ....यह जो सूची है वह मैं राजस्व मंत्री को दे दूंगा।

श्री सभापति : यह सूची आप राजस्व मंत्री को दे दीजिये।

श्री नाथूराम बागीडोरा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले में लगातार तीन साल से अकाल रहा है इस साल भी जो पैदावार है वह पचास प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुई है। पहले संवत् 2021 का लगान माफ कर दिया था और गढ़ी तहसील में लगभग अस्सी प्रतिशत लगान सरकार ने जबरदस्ती वसूल कर लिया है। श्री कलेक्टर को दरख्वास्त पेश की कि जो 21 का वसूल कर लिया है वह संवत् 2023 में एडजस्ट कर लिया जाय लेकिन कलेक्टर ने यह नहीं माना। इस साल भी 23 और 24 का लगान वसूल हो गया है।

इसके साथ साथ सहकारी समितियों का ऋण दस लाख रुपया भी वसूल हो गया है। बांसवाड़ा में अधिकतर लोगों ने 80 रुपया या दो-तीन शेयर के रुपयों से ज्यादा ऋण नहीं लिया। इस तरह से कुल मिलाकर दस लाख रुपया ऋण वसूल हो गया। इसके अलावा सरकार द्वारा जो तकावी दी गई जिनकी तीन तीन किश्तें थीं वह भी सरकार जबरदस्ती वसूल कर रही है। तहसीलदारों ने पटवारियों को यह आदेश दिया है कि पहले अल्प बचत योजना का पैसा लो और बाद में लगान का पैसा लो। गढ़ी तहसीलदार ने अल्प बचत की रकम छोटे छोटे कृषक दस रुपये से कम वालों से वसूल कर लिया है। वे लोग लगान बाद में लेते हैं पहले पैसा अल्प बचत में लेते हैं। तकाबी की रकम दो तीन किश्तों की एक किश्त में ले रहे हैं। तकावी की रकम जमा कराने के लिये बड़ी सख्ती से काम हो रहा है।

माननीय सदस्य ने जो चीज रक्खी है वह सारे जिले में है। इसके साथ साथ जहां भयंकर दुष्काल रहा, सौ बैल मर गये, सौ बैलों की तकावी दिलाई। तो दो दो तीन तीन किश्तें शरीक हुई। वह पहले वसूल हो रही हैं। बैल बीज आदि तमाम तकावी

(श्री नाथूराम)

की रकम पहले वसूल करते हैं तब लगान जमा करते हैं ।

शादी का मौका नहीं है, पर सरकार का ऋण जमा कराने के लिये लड़कियों पर रुपया लेते हैं । लड़कों को सौ सौ दो दो सौ रुपयों में हाली रखने को मजबूर हो रहे हैं । आपने सागड़ी प्रथा का कानून बनाया । पर जैसा पिछली बार भी निवेदन किया जो आपने कानून बनाया है उसका पालन नहीं हो रहा है ।

डूंगरपुर बांसवाड़ा में यह हालत है । और आज आदिवासियों का शोषण हो रहा है ।

इसलिये सभापति महोदय आपके द्वारा मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लगान संवत् 2021 का वसूल कर लिया वह तकाबी हो या लगान बकाया हो उसमें 23 । 24 के लगान में एडजस्ट करना चाहिये । और तकाबी की किश्तें चढी हुई हैं यह सारी रकम रबी की फसल तक जमा करानी चाहिये यह सहूलियत होनी चाहिये ।

साथ साथ यह निवेदन करता हूं कि रेवेन्यू मन्त्री ने कल परचा दिया कि केबिनेट ने यह फैसला लिया है कि दो किश्तों में लगान वसूल करना चाहिये पर कलेक्टर कहते हैं कि कोई आर्डर उसके पास नहीं पहुंचा है । कैबिनेट का चार तारीख का फैसला है । जो सरकार ने निर्णय लिया है पालन नहीं हुआ। हाथी के दांत बताने के अलग हैं और चबाने के अलग हैं ।

कलेक्टर ने आपके आदेश का पालन नहीं किया है । आदिवासियों की हालत ज्यादा बुरी है । घर की चीजें बेच दीं । सैंकड़ों उदाहरण मैं बताऊं जिनके घरों में खाने को नहीं है । सामान नीलाम हो रहा है । किश्तें आगे वसूल करने का कोई आर्डर नहीं है । आदिवासियों का जबर्दस्त शोषण हो रहा है । बांसवाड़ा जिले में जो सरकार ने ज्यादतियां की हैं सरकारी ऋण की वसूली में उसके लिये जांच के लिये स्पेशल कमीशन बिठाकर जांच कराई जानी चाहिये । यह निवेदन करूंगा । जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है वह मिटना चाहिये ।

एक तरफ समिति का करजा वसूल हो रहा है, दूसरी तरफ सरकारी तकाबी वसूल कर रहे हैं, एक तरफ बनिया कुरकियां लाये जा रहा है । इसके लिये जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिये और कलेक्टर को आदेश देकर जो सख्ती की जा रही है वह रोकनी चाहिये । यह आपके द्वारा निवेदन करता हूं ।

आदिवासियों के लिये ये माननीय हमारे सदस्य डूंगरपुर के हैं उदयपुर के जो हैं दबे हुए हैं बैठे हैं । (हीयर हीयर) डरते हैं सो यहां बोलते नहीं हैं । सारे उदयपुर डिविजन की यही हालत है आदिवासियों की । इस लिये सभापति महोदय, सरकार की जो नीति है, जो वतीरा है उसको रोकना चाहिये और आदिवासियों का शोषण रोकना चाहिये । यह आपके द्वारा निवेदन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री रावत ।

एक माननीय सदस्य : वास्तव में किसको बेचा है क्या किया है यह जानकारी सरकार के लिये छोड़ दें ।

श्री **नाथूराम** : आप लोग डरते हैं ।

श्री **सभापति** : ऑर्डर प्लीज । आप बैठिये ।

(5.24 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री **विजयसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, इस वसूली के बारे में जो माननीय सदस्य ने यहां सरकारी नौकरों के बारे में कहा उससे भयंकर स्थिति पैदा हो गई है । जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह बांसवाड़ा का ही हाल नहीं है यह प्रैक्टिकली:

श्री **अध्यक्ष** : आप जल्दी समाप्त करेंगे मैं स्थगित करने की सोच रहा हूं ।

श्री **विजयसिंह रावत** : जब रेवेन्यू का रिकार्ड बनता है तो जिले का जो क्षेत्र ईरिगेट किया गया होता है उसके आंकड़े के बेसिस पर फेमिन डिक्लेयर नहीं करते । यह पहली बात है ।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर प्लीज । समाप्त करिये ।

श्री **विजयसिंह** : अभी दो शब्द तो कहे ही हैं अध्यक्ष महोदय ।

श्री **अध्यक्ष** : मैं एक ही शब्द में स्थगित करूंगा ।

श्री **विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इस निकम्मी सरकार के द्वारा आज जो शोषण आदिवासियों का हो रहा है उसके कारण वे लड़कियां बेच रहे हैं और आप लोग यहां बैठे हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर ऑर्डर । सदन की कार्यवाही 29 जनवरी को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.25 पर सोमवार दिनांक 29-1-68 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम पंचायत खारा द्वारा रक्षा कोष के लिए चन्दा

141. श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम पंचायत खारा, पंचायत समिति सांचोर द्वारा पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के समय रक्षा कोश के लिए कितना चन्दा इकट्ठा किया गया था ? वह चन्दा किसके द्वारा व कब इकट्ठा कियगया था ?

(2) क्या यह सही है कि वास्तव में ग्राम पंचायत खारा की जनता से रक्षा कोष का चन्दा वसूल कर लिया गया, परन्तु राज के खजाने में जमा नहीं कराया गया ? अगर हां, तो ऐसा किसने किया ? क्या यह भी सत्य है कि इस बारे में जनता की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं ? अगर हां, तो कब और उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो अब कब तक जांच कर ली जावेगी ?

(3) अगर रक्षा कोष की रकम का किसी ने गबन किया है तो उस बारे में अब क्या कानूनी कार्यवाही की जावेगी ?

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

बबाई तथा बसेई की जल योजना

142. श्री **रघुवीरसिंह** (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि फरवरी सन् 1967 के प्रथम सप्ताह में गृह मन्त्रीजी ने बबाई तथा बसेई जल योजना का शिलान्यास किया था तथा दोनों स्थानों पर पाइप्स भी डलवाये गये थे और कहा गया था कि शीघ्र ही यहां जल योजना का कार्य शुरू हो जावेगा ? यदि हां, तो:—

(1) इस बारे में क्या योजना बनी और कौन कौन से कुओं से पानी निकालने को स्कीम बनाई गई ?

(2) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई और यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

उत्तर

जी हां ।

(1) दोनों जगहों की योजना बनाई जा चुकी है तथा निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है । ग्राम बबाई की योजना में दो कुओं से (1) इमामदिन व (2) चौधरी के कुओं से पानी प्राप्त करना है । बसई की योजना में भी दो कुओं से (1) बासी का कुआ व (2) गोशाला के कुआ से पानी लेना है ।

(2) इन दोनों योजनाओं में टंकी एवं क्वार्टरों के कार्य निर्माणाधीन तथा पाइप्स वगैरह प्राप्त कर लिये गये हैं ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री

साधारणतया धन एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धि पर एक योजना को पूर्ण करने में दो से तीन वर्ष की अवधि लग जाती है।

किशनगढ़–श्रीनगर सड़क की मरम्मत

143. श्री **सुमेरसिंह** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ श्रीनगर रोड का एक माइल करीब का टुकड़ा खराब हालत में कई दिनों से पड़ा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो उक्त खराब व टूटे हुए सड़क के टुकड़े की अब तक मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मिट्टी इकट्ठी करा दी गई है। आशा है यह काम वर्ष 1968–69 में पूर्ण हो जावेगा।

कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

144. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट होस्टल का कैन्टीन सरकार द्वारा चलाया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक चलाया गया और इस अवधि में सरकार को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उस समय जो वेटर और बैरा वहां काम करते थे उनका वेतन अब तक नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस किस व्यक्ति का कितने कितने माह का वेतन बकाया है और क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सरकार द्वारा राजकीय प्रवास भवन में केन्टीन 15 जुलाई, 1960 से 30 जून, 1961 तक चलाई गई। मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान द्वारा संबंधित लेखों को पुनः निर्मित कराया गया है और महा-लेखाकार द्वारा इन सारे हिसाबात को पुनः अंकेक्षण करने के लिये निवेदन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में फिलहाल यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस केन्टीन में कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है।

(2) यह सही है कि उस समय जो "वेटर" और "बैरे" काम करते थे उनमें से कुल 8 (आठ) (जिसकी सूची संलग्न है) का केवल माह जून, 1961 का वेतन अभी तक नहीं चुकाया गया है। क्योंकि राजकीय प्रवास भवन कैन्टीन में सरकार "क्रोकरी" एवं "कटलरी" इन "वेटरों और बैरों द्वारा कमरों की सर्विस" हेतु काम में ली जा रही थी और उसके हिसाब पूरे नहीं थे, अतः इस केन्टीन के पूरे हिसाबात जिसमें "क्रोकरी" एवं "कटलरी" भी सम्मिलित है, प्रस्तुत न कर दिये जायं, इन कर्मचारियों का केवल एक माह का वेतन रोका गया था। तत्पश्चात् इन कर्मचारियों को इस बात का "एफीडेविट" पेश कर देने पर कि बाद जांच यदि कोई कमी पाई गई तो वे इसके जिम्मेवार होंगे एक माह की रुकी तनख्वाह दे दिये जाने हेतु पर्यवेक्षक, राजकीय प्रवास भवन, जयपुर को लिख दिया था, किन्तु उन कर्म-

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

चारियों ने अभी तक "एफीडेविट" पेश नहीं किया है अतः उनकी रुकी तनख्वाह का भुगतान नहीं किया जा सका है।

जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, उनकी सूची :—

क्र. सं.	कर्मचारियों का नाम	वेतन माह जून, 1961 की बकाया रकम
1.	श्री ईशाक मोहम्मद	55-00 रुपये
2.	श्री दीन	55-00 "
3.	श्री जेम्स	60-00 "
4.	श्री इकरामुदीन	55-00 "
5.	श्री प्रहलाद	60-00 "
6.	श्री राम लाल	60-00 "
7.	श्री बुन्दू	55-00 "
8.	श्री रामसिंह	55-00 "
	कुल	455-00 रुपये

नगरपालिका मण्डावा के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा तांबे के तारों का बेचना

145. श्री **रामनारायण चौधरी** (मंडावा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंडावा नगरपालिका (झुंझुनूं जिला) के भूतपूर्व अध्यक्ष ने बिजली के खम्भों के तांबे के तारों को जयपुर लाकर बेचा है ? यदि हां, तो कितने रुपयों में यह सामान बेचा गया है ? क्या इन तांबे के तारों को नीलामी में बेचा गया है ? तारों का वजन कितने किलो था ?

(2) क्या यह सही है कि इन तारों की कीमत बहुत ज्यादा थी नगरपालिका के भूतपूर्वाध्यक्ष ने पालिका कोष को जानबूझ कर हानि पहुंचाई है ? क्या यह भी सही है कि इन तारों को उक्त भूतपूर्व अध्यक्ष के पहले वाले अध्यक्ष ने 3222 रु. में बेचना तय किया था परन्तु पूरी कीमत नहीं आ रही थी इसलिये उन्होंने उन तारों को नहीं बेचा ? यदि हां, तो फिर वही तार उक्त भूतपूर्व अध्यक्ष ने बहुत कम कीमत पर क्यों बेच दिए हैं।

(3) क्या भूतपूर्व अध्यक्ष ने तारों को बिना नीलाम किए बेच कर नियमों का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) से (3) चूंकि समस्त कागजात भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध जांच हेतु एस. डी. ओ. झुंझुनूं के अधिकार में हैं अतः अभी विस्तृत जानकारी दे सकना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची देखिये)

सूची परिशिष्ठ "क"

अलवर जिले में मूंजबाण उत्पादक सहकारी समितियों को ऋण व अनुदान दिया गया उसकी सूची

क. सं.	नाम समिति	वर्ष	ऋण	अनुदान	कहां से
1.	रामपुर मूंजबाण उत्पादक सहकारी समिति लि.	1961–62	..	800	खादी बोर्ड से
		"	..	500	पंचायत समिति से
				1300	
2.	रसगढ़ा मूंजबाण उत्पादक सहकारी समिति लि.	1961–62	2500	421.78	पंचायत समिति से
3.	बिनजारा मूंजबाण उत्पादक सहकारी समिति लि.	1959–60	..	1100	खादी बोर्ड से
		60–61	1000	..	"
		61–62	2000	..	"
		64–65	..	600	पंचायत समिति से
			3000	1700	

4.	टपूकड़ा सरकी मूंजबाण उत्पादक सहकारी समिति लि. ..	1960–61	..	1100	खादी बोर्ड से
		61–62	2000	..	"
		62–63	1312.50	..	"
			3312.50	1100	
5.	बोलनी मूंजबाण उत्पादक सहकारी समिति लि.	1961–62	1000	1100	खादी बोर्ड से
6.	मूगंसका मूंजबाण उत्पादक सहकारी समिति लि.	1958–59	..	1100	"
7.	बिलोहेड़ी मूंजबाण उत्पादक सहकारी समिति लि.	1961–62	..	1100	"

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी, 1968)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	2	दिनांक 25--68	दिनांक 25-1-68
,,	7	प्रश ोत्तर	प्रश्नोत्तर
2	9	श्री अ ृतलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
,,	12	श्री विर्जसिंह रावत	श्री विजयसिंह रावत
,,	अन्तिम से 6	से डी	सरेडी
3	अन्तिम से 5	उप न्त्री गृ	उप मन्त्री गृह
4	5	जा फो. मे	जा. फो. में
6	11	सपेण्ड	सस्पेण्ड
,,	अन्तिम से 2	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
7	3	श्री अध्क्ष	श्री अध्यक्ष
,,	9	सपेण्ड	सस्पेण्ड
8	अन्तिम से 3	श्री अ ीनुद्दीद	श्री अमीनुद्दीन
10	अन्तिम से 13	करने क्या	करने से क्या
14	अन्तिम से 5	(श्री श भाराम)	(श्री शोभाराम)
22	1	लि क	लिपिक
,,	3	श्री रार्मसिंह कुड़	श्री रार्मसिंह कुड़ी
36	अन्तिम से 11	श्री । ।ोदर लाल व्यास	श्री दामोदर लाल व्यास
38	15	श्रीमती प्र ।। मि ।।	श्रीमती प्रभा मिश्रा
,,	अन्तिम से 10	।।वश्य	अवश्य
39	4	श्री अमदत भाट	श्री ओमदत्त भाटी
40	10	सभ्। 196	सन् 1965
41	अन्तिम से 2	ढ़	पढ़
48	अन्तिम से 10	श्री अध क्ष	श्री अध्यक्ष
,,	अन्तिम से 8	श्री फतेह ह	श्री फतेहसिंह
49	अन्तिम	होदय	महोदय
50	अन्तिम से 14	जन-सम्पर्क मंत्र	जन-सम्पर्क मन्त्री
57	अन्तिम से 9	सूचना थी के	सूचना के
58	3	ह	है
60	1	श्री जुझर्रसिंह	श्री जुझारसिंह
,,	अन्तिम से 6	मय	समय
61	8	अल्पहार	अल्पाहार
,,	19	मुनानियत	मुमानियत
67	15	श्री देदित गाडि ।	श्री देवीदत्त गाडिया
74	10	श्रेणी क कर्मचारियों	श्रेणी कर्मचारियों
77	5	काट	काटे
78	7	नीम व	नीमच

1	2	3	4
82	शीर्षक	श्री मोहन लाल मीणा	श्री मोडू लाल मीणा
83	अन्तिम	(बागीदुरा)	(बागीडोरा)
84	6	(बागीदुरा)	(बागीडोरा)
85	7	मामल	मामला
96	अन्तिम	क	को
101	11	कसेज	केसेज
,,	10	जल्नी	जल्दी
104	11	(बा ा)	(बारां)
108	7	श्री भगवान ।स शास्त्री	श्री भगवान दास शास्त्री
,,	15	वक्तय	वक्तव्य
130	1	इसके बाद में वाद-विवाद	इसके बाद में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद
133	6	भूक	भूख
,,	7	पढ़े	पड़े
137	2	का	को
143	अन्तिम	स	सौ
146	अन्तिम से 9	ता	तो
147	9	गि	डीग
,,	अन्तिम से 12	माननीय	मानवीय
148	1	वाद	वादा
,,	अन्तिम	जाता	जाना
149	1	श्री रघुनाथ श्ोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
150	2	नक	जनक
,,	13	क	कर
,,	अन्तिम से 8	रोजगा	रोजगार
152	अन्तिम से 5	फ	साफ
,,	अन्तिम से 4	व्यवस्थ	व्यवस्था
169	3	आर्थिफ	आर्थिक
170	7	निरपेक्ष	निरपेक्षता
173	अन्तिम से 7	दारु पिलान	दारु पिलाने
178	10	एशओ	ऐशो
184	13	के	की
,,	अन्तिम से 8	तो मेरा मध्ययुग	तो मध्ययुग
,,	अन्तिम से 2	इतिहासकारों ने उसको पागल	इतिहासकारों ने पागल
185	अन्तिम से 2	जढ़े	जड़े
189	17	मिसाल	मिसालें
,,	,,	के	की
,,	अन्तिम से 6	वहां	वह
192	3	राजनीतिक	राजनैतिक
194	अन्तिम से 6	पत्र द्वारा होम मिनिस्टर	पत्र होम मिनिस्टर
197	2	न	ने

1	2	3	4
197	17	क	के
200	5	को से रोक	की रोक
200	अन्तिम	क	के
202	15	म	में
204	10	बन्द	वन्दी
207	9	स	साठ
208	अन्तिम से 12	भरती	धरती
,,	अन्तिम से 11	तब से बसे लोग	तब से लोग
209	अन्तिम से 13	रुपया सारी	रुपया में सारी
,,	अन्तिम से 12	बची	बेची
211	4	इमानदारी करें	इमानदारी का करें
,,	अन्तिम से 9	श्री अमीनुद्दीन अमद	श्री अमीनुद्दीन अहमद
213	5	की	के
218	20	धन्यावाद	धन्यवाद
219	अन्तिम	चाहसा	चाहता
220	अन्तिम से 4	म	में
225	अन्तिम से 8	ये	यहाँ
226	1	ओर	और
229	4	आदि लिये	आदि के लिये
230	अन्तिम से 15	शिकायत से	शिकायत हो
233	11	benloged	belonged
237	अन्तिम से 10	जिनका	जिनको
241	5	श्री विशम्भर नाथ जशी	श्री विशम्भर नाथ जोशी
242	10	कांग्रेसो	कांग्रेस